तृतीय माला, खण्ड १९—अंक १०

सोमवार, २६ अगस्त, १९६३
४ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १९ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या २७० से २७२, २९६ और २७३ से २७६ .	१२३७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या २७७ से २९५, २९८ और २९९ .	१२६०—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२३ से ९०६	१२७०—१३०७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	१३०८
आसाम के लाटीटीला क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडा फहराया जाना और पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१३०८–०९
राज्य सभा से संदेश	१३०९
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक सभा पटल पर रखे गये . .	१३०९
याचिका का उपस्थापन	१३०९
गाजियाबाद के किसानों की भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में . .	१३०९—११
उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी आंकड़ों के बारे में वक्तव्य . . .	१३११—१३
श्री नन्दा	१३१२–१३
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९६३ —पुरःस्थापित . .	१३१४
सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक . .	१३१४—१८
विचार करने का प्रस्ताव	१३१४
श्री काशी राम गुप्त	१३१४–१५
श्री वारियर	१३१६
श्री स० मी० बनर्जी	१३१६
श्री ब० रा० भगत	१३१६
खंड २, ३ और १	१३१७
पारित करने का प्रस्ताव	१३१७
श्री ब० रा० भगत	१३१७–१८
बड़े पत्तन न्यास विधेयक	१३१८–३१
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में, . . .	१३१८
विचार करने का प्रस्ताव	१३१८

†किसी नाम पर अंकित यह * चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

सोमवार, २६ अगस्त, १९६३
४ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रतिरक्षा उपकरण

†*२७०. श्री श्रीनारायण दास :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के सहयोग से प्रतिरक्षा उपकरण के उत्पादन कार्यक्रम में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख) : प्रतिरक्षा उत्पादन में विशेषज्ञों के एक दल ने जुलाई, १९६३ में भारत का दौरा किया था। जिन क्षेत्रों में आस्ट्रेलिया से प्रविधिक सहायता लाभपूर्वक प्राप्त की जा सकती है उन्हें जान लिया गया है और जब इन क्षेत्रों में सहायता के लिये प्रस्ताव किया जायगा तो उसका उपयोग किया जायगा।

†**श्री श्रीनारायण दास :** यदि आस्ट्रेलिया के सहयोग में यह योजना प्रारम्भ की जाती है तो इसमें कितना धन लगेगा ?

†मूल अंग्रजी में ।

1040(Ai)LSD—1.

†श्री रघुरामैया : इस मामले की जांच की जा रही है कि किन किन क्षेत्रों में वे हमारी सहायता कर सकते हैं। चर्चायें की गई है तथा हमारे अधिकारियों के एक दल के द्वारा, जिसके कि शीघ्र ही उस देश के दौरे पर जाने की संभावना है, आस्ट्रेलिया में कुछ और भी चर्चाओं के जारी किये जाने की आशा है। जब सम्पूर्ण मामले की अन्तिम रूप दे दिया जायगा केवल तभी हम यह आंक सकने की स्थिति में होंगे कि इसमें कितना धन लगेगा।

†श्री श्रीनारायण दास : जो समझौता बार्ता चल रही हैं उन्हें कब अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

†श्री रघुरामैया : मैंने पहले ही यह बताया है कि अधिकारियों के एक दल की शीघ्र ही आस्ट्रलिया को जाने की आशा है और केवल इसके उपरान्त ही मामले को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वर्तमान प्रतिरक्षा उत्पादन कारखानों के विस्तार का अथवा आस्ट्रेलिया के सहयोग में नये कारखानों को स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल आस्ट्रलियन सहयोग से ही सम्बन्धित है।

†श्री प्र० चं० बरुआ : प्रतिरक्षा उत्पादन की किस शाखा में तथा किस रूप में आस्ट्रेलिया हमारी सहायता करेगा ?

†श्री रघुरामैया : प्रतिरक्षा उत्पादन के सम्पूर्ण क्षेत्र पर चर्चायें की गई थी। प्रश्न तो यह रह जाता है कि किन विशष पहलुओं में उनकी सहाता लेकर हम लाभ उठा सकते हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या आस्ट्रेलिया के अतिरिक्त भारत सरकार ने और भी किसी देश के साथ बातचीत की है और क्या प्रतिरक्षा उपकरणों के निर्माण में हमें उनसे सहायता मिल रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल आस्ट्रेलिया के ही सम्बन्ध में है।

मद्य निषेध अध्ययन दल

+

†*२७१. श्री यशपाल सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० कें० देव :
श्री मोहन नायक :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एक मद्य निषेध अध्ययन दल नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश पद क्या हैं ; और

†मूल अंग्रजी में।

(ग) दल अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) जी हां ।

(ख) दिनांक २९ अप्रैल, १९६३ के योजना आयोग संकल्प की एक प्रति सभा-पलटर पर रख दी गई है जिसमें कि निर्देश पद दिये हुए हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस टी-१५५०/६३]**

(ग) आशा है कि दल अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक प्रस्तुत कर देगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जब कि हमारे आयोजना आयोग के मेम्बर, श्री श्रीमन्ननारायण जी, का पूरा बयान आ चुका था और उन की पूरी रिपोर्ट पेश हो चुकी थी, तो फिर इस दल को दोबारा गुकर्रर करने का क्या फायदा हुआ ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : उस रिपोर्ट में उन्होंने जो सिफारिश की थी, उन की दूसरी पंच-वर्षीय योजना में ध्यान में रखा गया था । उस के बाद की जो स्थिति थी, उस के अनुसार फिर इस इन्क्वायरी की जरूरत पड़ी ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जब सरकार का इरादा प्रोहिविशन का नहीं है, जब कि वह इस बात पर तुली हुई है कि वह शराबबन्दी न करें, और जब यू०पी० के पुण्य-तीर्थों में, जहां शराब नहीं बेची जाती थी, दोबारा शराब चालू कर दी गई है, तो फिर इस तरह की टीम को भेजने से क्या फायदा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो दूसरी बात है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि पीछे कुछ राज्य सरकारों ने, जिनमें मध्य प्रदेश और आंध्र भी सम्मिलित है, मद्य निषध के कार्य की जांच करने के लिये समितियां नियुक्त की थीं और उन्होंने उन राज्यों में मद्यनिषध की या तो शिथिल करने अथवा उसमें परिवर्तन करने अथवा उसे समाप्त करने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकरा द्वारा अब नियुक्त की गई समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे विवरण में दिये हुए हैं । उन्हें उन सब निर्देश पदों की जांच लेनी चाहिये और तब यहां आना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने उन निर्देश-पदों की जांच की है । क्या यह सच है कि सरकार ने, यह शर्त लगा कर कि समिति को मद्य निषेध की क्रियान्विति के लिये केवल अधिक अच्छे तथा अधिक प्रभावपूर्ण मार्गोपायों की ही सिफारिश करनी चाहिये और इसको समाप्त करने अथवा इसमें परिवर्तन करने की नहीं, इस समिति के कार्य में पहले ही से कठिनाई उपस्थित कर दी है ?

†**श्री चे०रा० पट्टाभिरामन** : राष्ट्रीय मद्य निषेध की आधारभूत नीति संविधान के अनच्छेद ४१ तथा राज्य नीति के नैदेशिक सिद्धान्तों में दी हुई है । सारा मामला राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्मख रखा गया था और उसे उनकी स्वीकृति मिल गई थी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह मेरे प्रश्न का बिल्कुल भी तो उत्तर नहीं है । मुझे यह कहते हुए खेद है । नैदेशिक सिद्धान्त तो अन्य बातों के बारे में भी हैं परन्तु वे क्रियान्विति नही किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ऐसा निदेश देते हैं कि इसे क्रियान्वित किया जाना है, समाप्त नहीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि इसे उचित प्रमाणित करने लिये समिति के सम्मुख पर्याप्त साक्ष्य है ?

†**श्री नन्दा** : समिति के प्रतिवेदन के प्राप्त होने से पहले हम किसी बात की कल्पन नहीं करते। इसे सफल बनाने का हमारा निश्चय है और इसीलिये हमने समिति से उन सब दोषों और अन्य बातों का पता लगाने को कहा है जो कि इस नीति की सफलता के मार्ग में बाधक बन रही हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह प्रत्यक्ष ही असफल रही है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मन्त्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही कुछ राज्य सरकारों ने अपने मद्य निषेध कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिये हैं, उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश के ११ जिलों में जो मद्य-निषेध कर दिया गया था, वह समाप्त कर दिया गया है ? इसलिए क्या राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट न दे और अखिल भारतीय दृष्टिकोण से कोई निर्णय न किया जाये, तब तक राज्य सरकार वर्तमान कार्यक्रम को चालू रखें और उसमें कोई संशोधन परिवर्तन या परिवर्द्धन न किया जाये ?

†**श्री नन्दा** : जी हां, ऐसा किया गया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार इससे अवगत है कि उन कुछ क्षेत्रों में जिन्हें कि मद्य विषद्ध क्षेत्र घोषत कर दिया गया है अवेध शराब का उत्पादन तथा उपभोग बढ़ रहा है और इसी प्रयोजन के लिये यह समिति नियुक्त की गई है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : अवध शराब का उपभोग और उत्पादन स्वयं निर्देश-पदों में से एक हैं। वे इसका व्यापक अध्ययन करेंगे और यह बतायेंगे कि यह कितना फैल गया है और इसे किस प्रकार रोका जा सकता है।

श्री विभूति मिश्र : यह जानना चाहता हूं कि सभी स्टेटों में मादक-द्रव्यों से सरकार को कितनी आमदनी होती है और अगर मादक-द्रव्यों को बन्द किया जाये, तो सरकार उस घाटे को कहां से पूरा करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत लम्बा सवाल है।

†**श्री प्र० के० देव** : विवरण के पैरा (३) में कहा गया है :

"भारत सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों के परामर्श में स्थिति का पुनर्विलोकन किया था..."

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अध्ययन दल का ध्यान इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है :

"मैं और खल्लीकोट के राजा बहादुर उन व्यक्तियों में से हैं जो यह दावा करते हैं कि मद्य-निषध को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। मुझे में यह अनुभव करने का साहस और विश्वास है कि इस सम्बन्ध में संविधान में जो व्यवस्था की गई है वह गलत है तथा घिसी पिटी है।"

जो कि उड़ीसा विधान सभा में उस राज्य के उस मुख्य मन्त्री द्वारा दिया गया था जो कि अब कांग्रेस के आदर्शों को शिक्षा देने के लिये मैदान में आ रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : अन्य मत भी व्यक्त किये गये हैं।

†**श्री प्र० के० देव** : मैं नहीं समझ सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह पूछा गया था कि क्या समिति का ध्यान उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया था और उसका विरोध नहीं किया गया था।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : जो बहुत से लोग बेकार हो गये हैं उनका पुनर्वास करने के लिये मार्गोपायों का सुझाव देने के कार्य को क्या इस समिति को सौंप जायेगा ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : निर्देश-पद बहुत व्यापक हैं।

†**श्री मानसिंह पु० पटेल** : क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि जिस समय यह दल विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहा था तो उस समय इसके द्वारा संसद्-सदस्यों के अनुभव का निर्धारण नहीं किया गया था, और यदि हां, तो संसद् सदस्यों के अनुभवों का अध्ययन दल द्वारा किस प्रकार निर्धारण किया जायेगा ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : एक प्रश्नावली जारी की गई थी और उत्तरों पर विचार किया गया था।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि मद्य निषेध जांच समिति की सिफारिशों और केन्द्रीय मद्य निषेध परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों की भी क्या स्थिति होगी ? क्या यह समिति उन सिफारिशों पर विचार करेगी और स्वयं उनसे लाभ उठायेगी अथवा उन सिफारिशों को खतम हुआ समझा जायेगा ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : हमने एक समिति नियुक्त की है। हम रूचिपूर्वक उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसकी सिफारिशों पर उचित विचार किया जायेगा।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भारत सरकार की मद्य निषेध नीति के होते हुए भी मेसर्स डायर मीकिन कम्पनी लिमिटेड को गाजियाबाद में एक बड़ी मद्य निष्कर्षशाला खोलने के लिये लाइसेंस दे दिया गया है ; यदि हां, तो क्या यह समिति इस बात को ध्यान में रखेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक बिल्कुल ही अलग बात है।

†**श्री जसवन्त मेहता** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न विधियां लागू हैं और संविधान में दिये हुए राज्य नीति के निदेशिक सिद्धान्तों को क्रियान्विति नहीं किया गया है क्या सरकार सम्पूर्ण देश में एक समान नीति को रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक दल नियुक्त किया गया है। अनुपूरक प्रश्न उस दल के सम्बन्ध में ही होने चाहिये।

†**श्री जसवन्त मेहता** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह बात उस समिति के एक विशेष निर्देश-पद के रूप में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कपूर सिंह** : किन प्रबल कारणों के कारण सरकार ने समिति के निर्देश-पदों से एक मूलतः दिलचस्पी वाले प्रश्न को विशेष रूप से छोड़ना उचित समझा, अर्थात् कि क्या मद्य निषेध नीति ने अब तक कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं की है और क्या अब आगें भी इसके सफल होने की कोई सम्भावना है।

†**श्री नन्दा** : पहला निर्देश-पद ही निर्धारण करने का है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमन्, एक औचित्य प्रश्न पर। मैं यह देखता हूं कि—मैंने पहले भी एक अवसर पर आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाया था—कभी कभी सभा-पटल पर रखे जाने वाले विवरणों की प्रतियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होतीं। आज मेरे साथ यह हुआ है। नोटिस आफिस में विवरण की एक भी प्रति उपलब्ध नहीं थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात को देखूंगा कि पर्याप्त संख्या में प्रतियां उपलब्ध हों। अगला प्रश्न ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह**: श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या २९६ को भी प्रश्न संख्या २७२ के साथ ही ले लिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह भी इस प्रश्न के साथ ही ले लिया जाये।

एवरो-७४८

+

†२७२.
श्री भागवत झा आजाद
श्री भक्त दर्शन :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ओंकार लालबेरवा :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री दे० जी० नायक :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरो—७४८ (माला २)[1] की प्रदर्शनात्मक उड़ानें सफल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण का कार्यक्रम क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) इस समय सरकार एवरो-७४८ माला १ वायुयान का निर्माण कर रही है। अभी तक माला २ के एक भी वायुयान का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) वर्तमान उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार, १९६३ के दौरान माला १ के ३ वायुयान और माला २ के २ वायुयानों का पूरी तरह से निर्माण किया जाना है, १९६४ में माला २ के ७ वायुयानों का निर्माण किया जायेगा और १९६५ में माला २ के १२ वायुयानों का।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Series II

एवरो-७४८ संबंधी टाटा समिति

†*२९६. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री प्र० के० देव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा समिति ने कानपुर में एवरो-७४८ परियोजना को बन्द कर देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) एवरो-७४८ के स्थान पर दूसरे प्रकार का परिवहन विमान बनाने की नई योजना चालू करने के वित्तीय, प्रविधिक तथा सैनिक पहलू क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया)**: (क) टाटा समिति ने यह सिफारिश की है एवरो-७४८ के निर्माण के स्थान पर करिबानु का क्रमित ढंग में निर्माण किया जाये।

(ख) वित्तीय, प्रविधिक सैनिक तथा वैधिक पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार करने के पश्चात सरकार ने यह निश्चय किया कि एवरो-७४८ के उत्पादन कार्यक्रम को जारी रखा जाना चाहिये। करिबानु अथवा अन्य किसी विमान के निर्माण को प्रारम्भ करने के प्रश्न की अग्रेतर प्राप्त होने वाले ब्यौरों की दृष्टि में जांच की जायेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री भागवत झा आजाद** : श्रीमन्, जैसा कि मैं समझ सका हूं, माला २ के उत्पादन के १९६३ के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि एवरो-७४८ की इस किस्म के लिये देश में अथवा देश के बाहर कितनी मांग होगी ?

†**श्री रघुरामैया** : इस समय, वायुसेना की आवश्यकतायें बता दी गई हैं और उत्पादन कार्यक्रम उनके अनुसार चल रहा है। मैं यह बता दूं कि हमें यह भी आशा है कि संचार मन्त्रालय भी इन विमानों के लिये क्रयादेश देगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह कहना ठीक होगा कि इस माला के उत्पादन के दौरान एक विमान की लागत देश में अथवा बाहर ऐसे उत्पादन की लागत की तुलना में अनुकूल उतरेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया :** एक विमान के लागत मूल्य को दूसरे विमान की लागत के साथ तुलना करना बहुत कठिन है क्योंकि इस के अपने विशेष गुण हैं और कोई भी तुलना करना कठिन होगा ।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या यह सच है कि एवरो-७४८ का निर्माण उस कार्यक्रम से बहुत पीछे रह गया है जो कि प्रारम्भ में निर्धारित किया गया था और यदि हां, तो क्या भविष्य में इसके निर्माण को अधिक करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री रघुरामैया :** यह सच है कि उन बातों के कारण कुछ विलम्ब हुआ जो कि इंगलैंड में हुई थीं—वहां आग लग गई थी और ऐसी कुछ बातें हुई थीं । परन्तु निर्माण को बढ़ाने के लिये हम अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** माननीय मंत्री द्वारा अभी बताये गये एवरो-७४८ के निर्माण कार्यक्रम के अनुसार, क्या हम यह समझ लें कि इस समय ऐसी कोई परियोजना अथवा योजना विचाराधीन नहीं है जिसके अनुसार हम पूर्वचिन्तनीय भविष्य में परिवहन विमानों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे और करिबाउ, ए० एन० टी० और फेअरचाइल्ड पैकेट विमानों के आयात को बन्द कर सकेंगे ?

†**श्री रघुरामैया :** सारा उद्देश्य एक ऐसी स्थिति बनाने का है जब कि हम आत्म-निर्भर होंगे । परन्तु इस में समय लगेगा ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या विशेष रूप से विमान को चलाने की लागत और ढोने की क्षमता की दृष्टि से अन्य विमानों की तुलना में एवरो-७४८ का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन से विमानों की एवरो-७४८ के साथ तुलना की गई है ?

†**श्री रघुरामैया :** यहां फिर मैं यह बता दूं कि इसकी तुलना करना बहुत कठिन है क्योंकि किसी समान विमान के साथ ही ठीक तुलना की जा सकती है। यह एक अच्छा विमान है जिसकी कि ३८ यात्रियों को ले जाने की क्षमता है और इसकी गति लगभग २६० मील है ।

†**श्री रंगा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मित्र देशों से सर्वाधिक-सुविख्यात विशेषज्ञ एक बड़ी संख्या में भारत आते रहे हैं, क्या इस विमान की उपयोगिता, दक्षता तथा विश्वसनीयता के भी सम्बन्ध में उन में से किसी से परामर्श लिया गया है जिससे कि इन विमानों के लिये परिवहन मंत्रालय द्वारा क्रयादेश दिये जाने के सम्बन्ध में विश्वासपूर्वक आशा की जा सके ?

†**श्री रघुरामैया :** कुछ विदेशी विशेषज्ञ वहां गये थे, परन्तु विशेष रूप से इसकी जांच करने के लिये नहीं क्योंकि यह योजना ब्रिटिश लोगों के सहयोग में है । ब्रिटेन में भी यह विमान बनाये जा रहे हैं । हमारा अपने विमान ने दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत से देशों की उड़ान की है और वहां इसकी बहुत प्रशंसा की गई है । सामान्यतः प्रविधिक राय यह है कि यह एक अच्छा तथा विश्वसनीय विमान है ।

†**श्री रंगा :** हमारा अपना ही परिवहन मंत्रालय इसके लिये क्रयादेश क्यों नहीं दे रहा है ?

†**श्री रघुरामैया :** मैंने यह पहले ही बताया है कि हम यह आशा करते हैं कि वह अपने क्रयादेश भेजेंगे । मैं यह और बता दूं कि संचार मंत्री ने एक बैठक में कहा था कि उन्हें इस प्रकार के कुछ विमानों की आवश्यकता पड़ेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि टाटा समिति ने यह बताया है कि यह एवरो विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ान करने के योग्य नहीं हैं। यदि हां, तो इस में कितनी सच्चाई है ? अथवा यह केवल प्रचार मात्र है ?

†**श्री रघुरामैया** : जैसा कि मैं ने बताया है, प्रत्येक विमान के अपने कुछ विशेष गुण होते हैं। उदाहरणार्थ, करिबाउ कुछ क्षेत्रों में तथा उस प्रयोजन के लिये जो कि मेरे माननीय मित्र के मस्तिष्क में है एक अच्छा विमान है। यह एक छोटी सी हवाई पट्टी पर से उड़ सकता है, इस में पीछे से माल लादा जा सकता है, इत्यादि। इसी प्रकार एवरो के अपने विशेष गुण हैं और हम नौ-परिवहन योजनाओं के लिये, प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिये और अन्तर्देशीय परिवहन प्रयोजनों के लिये इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक विमान अपना एक अलग भाग अदा करता है। हमारे पास कुछ करिबाउ विमान पहले से हैं।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या इन दो विमानों, करिबाउ और एवरो-७४८, के सापेक्षिक गुण दोषों का मामला, जिस पर कि टाटा समिति ने अपनी उपपत्तियां दी हैं, प्रतिरक्षा उत्पादन में विशेषज्ञों के उस दल को सौंपा गया था जो कि आस्ट्रेलिया से आया था ? यदि हां, तो उनकी क्या राय थी ?

†**श्री रघुरामैया** : आस्ट्रेलिया से आने वाला विशेषज्ञों का दल मुख्य रूप से आयुध कारखानों, हथियारों और युद्धोपकरणों के उत्पादन तथा अन्य ऐसी बातों से सम्बन्धित था।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : दल के सदस्यों में से एक सदस्य विमानों के निर्माण के मामले में विशेषज्ञ था जिससे कि परामर्श लिया जाना चाहिये था।

†**श्री रघुरामैया** : उन से परामर्श नहीं लिया गया।

†**श्री त्यागी** : एवरो-७४८ की जिन दो यूनिटों का यहां निर्माण करने का कार्यक्रम है उन की कुल अनुमानित लागत कितनी होगी ?

†**श्री रघुरामैया** : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना दी जाये।

†**श्री त्यागी** : मुझे आश्चर्य है। क्या उन्होंने लागत का अनुमान लगाये बिना ही उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आश्चर्य के स्थान पर हमें उन्हें कुछ समय देना होगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्री त्यागी को अब उस ओर चले जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्योंकि इन विमानों के तो स्वयं अपने सु-परिभाषित गुण हैं तो फिर किस विशेष आधार पर टाटा समिति ने यह सिफारिश की थी कि इन विमानों का निर्माण बन्द कर दिया जाना चाहिये ?

†**श्री रघुरामैया** : जो कारण उन्होंने बताये हैं उन में से एक यह है कि यह अधिक ऊंचाई पर उड़ाने की वर्तमान आवश्यकताओं के उपयुक्त नहीं है इत्यादि, क्योंकि इसके लिये उस किस्म के विमान की आवश्यकता होती है जो कि छोटी सी हवाई पट्टी पर से उड़ सके, इत्यादि। उस प्रयोजन के लिये हम ने कुछ करिबाउ विमान मंगा ही रखे हैं। जैसा कि सदन को कुछ दिन पूर्व

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचित किया गया था, हम ने कुछ और करिबाउ विमानों को खरीदने के लिये इनका निर्माण करने वाले लोगों के साथ एक समझौता किया है। परन्तु अन्य आन्तरिक आवश्यकतायें दूसरे प्रकार से विमानों से पूरी की जायेंगी।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इस विमान की योजना बनाने और उसका निर्माण करते समय क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड तथा कानपुर कारखाने के बीच सर्वदा ही सहयोग रखने की बात को विचार में रखा गया था अथवा वे पृथक पृथक ही कार्य करते हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : इस समय कानपुर वाली संस्था एक स्वतंत्र संस्था है।

†**श्री काशीराम गुप्त** : वर्तमान उत्पादन कितना है और निर्धारित लक्ष्य से यह कितना कम है ?

†**श्री रघुरामैया** : मैंने यह बात अपने उत्तर में पहले ही बता दी है।

श्री रामेश्वरानन्द : भारतीय वायुयानों में ऊंची से ऊंची उड़ान करने वाले वायुयान कितने मील की ऊंची उड़ान कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल बहुत ऊंचा है।

श्री रामेश्वरानन्द : इस का उत्तर तो आना चाहिये।

कल्याण संगठन

+
†*२७३. **श्री वारियर** :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्धारण किया है कि तीसरी योजना में सम्मिलित विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों को चलाने के लिये किस प्रकार के कर्मचारी चाहियें;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) उन कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) जी, हां। तृतीय योजना के प्रारम्भ में एक प्रारम्भिक प्रयत्न किया गया था।

(ख) कल्याण कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित कर्मचारियों के अनुमानों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-१५५१/६३] जो कार्यक्रम तृतीय योजना में वास्तव में चल रहे हैं उन को दृष्टि में रखते हुए इन अनुमानों में संशोधन करना आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जहां तक केन्द्रीय योजनाओं का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ने कस्तूबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास तथा अन्य उचित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अपेक्षित चारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी ।

†**श्री वारियर :** यह कर्मचारी, जो कि वास्तव में ९३,००० हैं किस प्रकार भरती किये गये थे ? क्या वे विभिन्न स्थानों से भरती किये जाते हैं अथवा केवल एक ही केन्द्र से ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** अनेक केन्द्रों से । अनेक कक्षायें हैं और अनेक प्रकार की हैं और वे अनेक केन्द्रों से भरती किये जाते हैं ।

†**श्री वारियर :** क्या कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण बहुत से केन्द्रों पर दिया जाता है अथवा थोड़े से केन्द्रों पर ही ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** दो या तीन किस्में हैं । पहली किस्म पर्यवेक्षी कर्मचारियों की है, दूसरी किस्म के कर्मचारी वे हैं जो संस्थानों में काम करते हैं और तीसरे फील्ड में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं जिनकी संख्या कि सब से अधिक है । पहली किस्म के कर्मचारी लगभग ४,५०० हैं, दूसरी के ३४,९३६ और तीसरी के ९५,००० से अधिक ।

†**श्री स्वैल :** विभिन्न कल्याण संस्थाओं के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने आदिम जाति क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न धार्मिक मिशनों के, विशेषत: ईसाई मिशनों और रामकृष्ण मिशन के, कर्मचारियों की यथासम्भव सहायता प्राप्त करने की सम्भावना पर विचार किया है ?

†**श्री चे०रा० पट्टाभिरामन :** जी, हां । हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं और वास्तव में, जहां तक आदिम जाति क्षेत्रों का सम्बन्ध है स्वयंसेवी संस्थायें हमारी सहायता कर रही हैं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या उन कर्मचारियों का प्रशिक्षण जो कि इन संस्थाओं में कार्य करते हैं स्वयं इन संस्थाओं की साधन सम्पन्नता पर ही छोड़ दिया जायेगा अथवा सरकार इसे अपनी एजेन्सी के द्वारा करवायेगी ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** यदि सरकार प्रशिक्षण के कार्य को किसी संस्था को सौंप देती है तो वे साधनों की व्यवस्था कर देते हैं और फिर अन्य व्यवस्था भी कर दी जाती है ।

†**डा० कोलाको :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में प्रति व्यक्ति आय के गणनात्मक आंकड़े देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग की प्रति व्यक्ति आय के वास्तविक आंकड़ों के साथ मेल नहीं रखते हैं, जैसा कि स्पष्टत: देश में धन के बहुत असमान वितरण के कारण ही है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किन्हीं विस्तृत कल्याण योजनाओं के स्थापित किये जाने के पूर्व पहले पहलइस मूलभूत समस्या का ही सुलझाना उचित नहीं होगा ?

†**श्री नन्दा :** दोनों ही बातों को साथ साथ करना होगा ।

†**डा० सरोजिनी महीषी :** क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि फोर्ड फाउण्डेशन योजना के अधीन प्रारम्भ किये गये ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण, देने वाले कर्मचारियों के पास वर्ष में कोई नियमित कार्य नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : अधिकांश ग्राम सेविकाओं का पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है और जहां तक हमें ज्ञान है वे एक बहुत ही उपयोगपूर्ण कार्य कर रही हैं।

†**श्री दे० जी० नायक** : क्या आदिवासी विकास खण्डों में कार्य करने के लिये आदिवासी स्त्रियों को प्रशिक्षित करने के हेतु कुछ कक्षायें चलाई जा रही हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : जहां तक आदिवासी क्षेत्रों का सम्बन्ध है कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे साथ सहयोग कर रही हैं और हम वहां भी प्रवर्गों को बनाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

डा० गोविन्द दास : जहां तक इन कर्मचारियों का सम्बन्ध है, क्या सरकार ने कुछ इस बात का तखमीना लगाया है कि इस प्रकार के कार्यों के लिये कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, और उनमें कस्तूरबा ट्रस्ट से तो कुछ सहायता ली जा रही है, लेकिन क्या किसी और ट्रस्ट से भी इस तरह की सहायता लेने का विचार किया जा रहा है ?

श्री नन्दा : इसके जो आंकड़े थे वे दिये गये थे। उनमें फर्क यह हो रहा है कि कुछ अब उसको रिवाइज किया जा रहा है। चुंकि जो अलोकेशन्स थे वे उस तरह के नहीं रहे। स्टेट्स में जो काम हो रहा है वह थोड़ा सा और ढंग का हो रहा है बमुकाबले उस के जो पहले सोचा गया था। जैसा कहा गया है, उसमें तबदीली हो रही है। जहां तक दूसरी संस्थाओं का सम्बन्ध है, यह बात सही है कि कस्तूरबा ट्रस्ट के अलावा और संस्थाओं से भी काम लिया जा रहा है।

लंका में भारतीय

†*२७४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम बरुआ
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इन्द्र जीत गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री प्र० के० देव :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री कजरोलकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका में भारतीयों की समस्या की वर्तमान स्थिति क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस समस्या पर लंका सरकार के साथ फिर से बातचीत शरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों के अधीन और किस स्तर पर ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). इस विषय पर श्रीलंका के प्रधान मन्त्री ने भारत के प्रधान मन्त्री के साथ संक्षेप में उस समय विचार विमर्श किया था जबकि वह अक्टूबर, १९६२ में लंका गये थे। उसके बाद दोनों कोलम्बो और दिल्ली में अधिकारियों के स्तर पर भी विचार विमर्श हुए हैं। इस बारे में भारत सरकार के क्या विचार हैं, वे एक स्मरणपत्र के रूप में, जो हमारे उच्चायुक्त ने जून, १९६३ में लंका विदेश कार्यालय को दिया था, सरकार के आधार पर बता दिये गये हैं। लंका के प्रधान मन्त्री ने भारत के प्रधान मन्त्री को एक पत्र लिखा है जो एक पखवाड़े पहिले इस बारे में लिखा गया था। यह पत्र विचाराधीन है और यथासमय लंका सरकार को एक सोचा समझा उत्तर भेज दिया जायेगा।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : अपनी लंका यात्रा के समय में प्रधान मन्त्री ने एक वक्तव्य में कहा था कि विस्तृत रूप से विचार विमर्श करने के लिए इस यात्रा में उनके पास समय नहीं है और बाद में इस पर अधिकारीगण विचार करेंगे। बाद में २४ मई, १९६३ को लंका के प्रधान मन्त्री ने वक्तव्य दिया वार्ता के लिए भारत सरकार के तैयार होते ही हम वार्ता आरम्भ करेंगे। मैं नहीं समझता कि वार्ता आरम्भ करने के लिए हमारी ओर से कोई अरुचि हो सकती। हमारी स्थिति स्पष्ट करने वाले टिप्पण भेजनेके बजाये क्या यह बताने के लिए कोई कोशिश की गई है कि समस्या क्या है और उन पर दोनों सरकारों के अधिकारियों के बीच विचार विमर्श करने की कोशिश की गई है ताकि समस्या शीघ्र हल हो सके ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : १९५४ के बाद १९५४ के करार को लागू करने और इस समस्या को हल करने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। दुर्भाग्य की बात है कि यह अभी हल नहीं हुई है। समस्या को हल करने के लिए अब भी प्रयत्न कर रहे हैं जैसा कि मूल उत्तर में उल्लेख है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : लंका के नये विधान का, विशेषकर वहां लागू की गई कार्य परमिट व्यवस्था का क्या निश्चित और विस्तृत प्रभाव पड़ा है ? भारतीय उद्भव के लंकाबासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अस्थायी परमिट व्यवस्था केवल उन भारतीय राष्ट्रीयजनों पर लागू होती है जो लंका में काम करते हैं। परमिट की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वापस आना पड़ता है।

†**डा० मा० श्री० अणे** : क्या सरकार का ध्यान लंकावासी भारतीय कांग्रेस के उस संकल्प की ओर आकर्षित किया गया है, जो हाल में अजीज के सभापतित्व में पास हुआ था, और विशेषकर इस सुझाव की ओर कि लंका सरकार को अपने प्रस्ताव, रियायतें, आकर्षण, आदि इस दृष्टि से बनाने चाहियें कि लंका में भारतीय भारतीय राष्ट्रीयता अपनाने की ओर आकर्षित हों और जो वे आकर्षण नहीं चाहते और निर्धारित समय में भारतीय राष्ट्रीयता धारण नहीं करते, उन्हें स्वाभाविक रूप में लंका वासी माना जाये ? क्या इस आधार पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस संकल्प और अन्य सभी संकल्पों के बारे में, जो लंका में भारत-वासी स्वीकार करते हैं, उच्चायुक्त तथा सरकार को बताया जाता है और हम वार्ता करते समय इसका ध्यान रखते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० मा० श्री अणे :** क्या मेरा यह समझना ठीक है कि प्रस्ताव भेजते समय सरकार इस प्रस्ताव पर भी जोर देगी ?

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या १९५४ के करार के किसी भाग को लागू करने में कोई प्रगति हुई है, या उसके सभी भाग अकार्यान्वित पड़े हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** १९५४ के करार के बारे में नाममात्र प्रगति हुई है, और यह कारण है कि हम यह सारी वार्ता अधिकारियों के आधार पर कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अभी बतलाया गया कि श्रीलंका की प्रधान मन्त्रिणी जी ने हमारे आदरणीय प्रधान मन्त्री जी को हाल ही में इस सम्बन्ध में एक नया पत्र भेजा है । मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कौन से नए विशेष सुझाव दिए गए हैं, और उनके सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वह खत जो लंका के प्रधान मन्त्री जी ने भेजा है वह बहुत लम्बा है और दो चार शब्दों में मैं नहीं कह सकता कि उसमें क्या है । उन्होंने ज्यादातर यही बहस पेश की है कि जिन लोगों को हम कहते थे कि वह स्टेट लैस परसन्स हैं वे स्टेट लेस नहीं हैं, वे हिन्दुस्तान की जिम्मेदारी हैं और हिन्दुस्तान के नागरिक हैं ।

एक बात और मैं कह दूं कि हमारी और भी कोशिश हो रही है, खाली खतो किताबत ही नहीं हो रही है । अभी कुछ समय हुआ हमारे कामन वैल्थ सेक्रेटरी भी वहां गए थे और उन्होंने लंका के अफसरों से बातचीत की थी ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि दोनों देशों में १९५४ के नेहरू-कोटलावाला सन्धि के आधार पर वार्ता होगी और उसका विषय यह योजना होगी कि लंकावासी भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को इस गारण्टी पर भारतीय नागरिकता धारण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये कि उन्हें ५५ वर्ष की अवस्था होने तक वहां रहने तथा काम करने दिया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जब भी पुनः वार्ता होगी, वह पीछे दिये गये किसी वक्तव्य या किसी बात-विशेष तक ही सीमित न रहेगी । वे पूर्ण समस्या के बारे में होगी । यह प्रश्न हमारे पत्र-व्यवहार में उत्पन्न हुआ है और इसी कारण मैंने कहा था कि लोगों को लगभग आश्वासन दे दिया गया है कि उन्हें वहां रहने दिया जायेगा और पचपन वर्ष की आयु तक नौकरी में रहने दिया जायेगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या भारतीय नागरिकता धारण करने वाले इन नागरिकताहीन व्यक्तियों को भारत लौटने के लिए कुछ वित्तीय सहायता देने का प्रश्न भी उठा है और क्या लंका सरकार ने कभी प्रस्ताव किया था कि ऐसा प्रोत्साहन देने के लिए भारत को ऋण देना चाहिये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी नहीं । ऐसा कोई प्रश्न पैदा नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**श्री प्र० के० देव** : लंका के प्रधान मन्त्री की इस बात का ध्यान रख कर कि भारत सरकार लंका में नागरिकताहीन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दे सकती है, क्या सरकार उन व्यक्तियों को नागरिकता देने पर विचार कर रही है और साथ ही इस पर विचार कर रही है कि उन्हें पारपत्र दे दिये जायेंगे जिनका हर तीन साल के बाद नवीकरण हो जायेगा ताकि वे वहां रह सकें ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : भारत सरकार का सदैव यह मत रहा है कि जिनके पास भारतीय पारपत्र हैं वे भारतीय हैं और वे भी भारतीय हैं जो भारतीय नागरिकता अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता के पात्र हैं ।

†**श्री प्र० के० देव** : मेरा प्रश्न लंका में नागरिकताहीन व्यक्तियों—भारतीयों—के बारे में था और क्या सरकार उन्हें पारपत्र देने पर विचार कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारी स्थिति यह रही है कि जो हमारे संविधान के अन्तर्गत सुपात्र हैं, उन्हें भारतीय नागरिक रजिस्टर किया जायेगा बशर्ते कि उन्हें इसके लिए बाध्य न किया जाये और वे स्वेच्छा से ऐसा करना चाहें । आरम्भ में, १९५४ में या उसके बाद, करार ने बताया कि दोनों लंका और भारत की सरकारें इन व्यक्तियों को लंका के नागरिक या भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर करेंगी । उस समय आशा थी कि इस कार्यवाही से इनमें से अधिकतर व्यक्तियों की समस्या हल हो जायेगी और सम्भव है कि थोड़े से व्यक्ति छुट जायें जिनके बारे में हमने कहा था कि हम बाद में विचार करेंगे । वास्तव में, वह कार्यवाही अधिक सफल नहीं रही । कुछ लंका के नागरिक बन गये और कुछ भारत के नागरिक बन गये, परन्तु अब भी बहुत बड़ी संख्या है और इन्हीं के बारे में अब कठिनाई पैदा हुई है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जबकि भारत सरकार उन्हें इंडियन ओरिजिन का मानती है, तो क्या उन लोगों को कोई निश्चित तारीख दी जा सकेगी जिस तारीख तक कि उनकी जो दिक्कतें हैं वे दूर हो जाएंगी ?

†**श्री दिनेश सिंह** : प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : जो हमारे भारतीय लंका में हैं उनको यहां लाने के लिए या उनकी पासपोर्ट आदि की दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या कोई निश्चित तारीख दी जा सकेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझा । शायद माननीय सदस्य समझे नहीं हैं कि क्या सवाल है, इसलिए उन्होंने यह सवाल पूछा है । सवाल दूसरा है । कोई तारीख देने का सवाल नहीं है । यह तसलीम कर लीजिए कि आप भारत के हैं तो तब तो सब बातें निकल आती हैं । हमने कह दिया है कि हम उनको यहां लाने को तैयार हैं अगर उन पर दबाव न डाला जाए । इनमें से बहुत से तो वहां पैदा हुए हैं, एक दो पुश्त से वहां रह रहे हैं । वहीं काम करते हैं, उनका कोई खास सम्बन्ध भारत से नहीं रहा है । आम तौर पर उनको सीलोन का नागरिक समझा जाना चाहिए । यह पेचीदा सवाल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारत में चीनियों की नई घुस पैठ

श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हरिश्चन्द्र माथर :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री य० ना० सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री हेम बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री द्वारका दास मंत्री :
†*२७५. श्री राम रतन गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेम राज :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० के० देव :
श्री राम सेवक यादव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री रामचंद्र उलाका :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनियों ने पिछले चार महीनों में हमारे क्षेत्र में कोई **घुसपैठ** की है ; और

†मूल अंग्रजी में ।

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) १ अप्रैल, १९६३ से चीनियों ने दस घुसपैठ की हैं और इतनी ही बार उन्होंने हमारी वायु सेना का उल्लंघन किया है ।

(ख) इन सभी सीमा-उल्लंघनों के बारे में चीन सरकार से विरोध प्रकट किया गया है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या कोलम्बो देशों के युद्ध विराम प्रस्तावों के खण्डन की घटनायें उन देशों को बताई गई हैं और यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्री दा० रा० चव्हाण : जी हां । कोलम्बो देशों की प्रतिक्रिया के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या इन प्रेस समाचारों में कोई सच्चाई है कि चीनी लोग सिंकियांग से पश्चिमी तिब्बत तक एक पाइप लाइन बना रहे हैं या बना चुके हैं और इसका कुछ भाग लद्दाख में हो कर जाता है जो कि चीनियों के अधिकार में है ?

†श्री दा० रा० चव्हाण : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है । इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार यह बतला सकेगी कि जबकि विरोध पत्रों का कोई असर चीन सरकार पर नहीं पड़ता है, तो इन विरोध पत्रों को बन्द करके कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता जिससे यह घुसपैठ न हो ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हम उनको विरोध पत्र भेजते हैं और उधर से भी शिकायतों के विरोध पत्र हमारे पास आते हैं । ये सब उस किताब में छपे हैं, आप देख सकते हैं । यह बड़ा मुश्किल सवाल है । अगर न भेजें तो कहा जाएगा कि हम बात को पी गए, कुछ कहा नहीं । उनके पास से विरोध पत्र आते रहते हैं, उनका जवाब देना होता है । इसलिए भेजना जरूरी है । और क्या इस में कदम उठाना होता है यह तो गौर करने की बात है । थोड़ से फौजी कदम इस के अलावा और उठ सकते हैं । फौज के जो हमारे सलाकार हैं वे ही फौजी कदम उठाने के बारे में निश्चय कर सकते हैं कि कब करें और क्या करें ।

†श्री शं० ना० चतुर्वेदी : क्या चीनियों ने केवल विसैन्यीकृत क्षेत्र पर ही पुनः अधिकार किया है या वे नवम्बर, १९५९ की वास्तविक अधिकार रेखा से भी आगे आ गय हैं जैसा कि उन्होंने कोलम्बो देशों के प्रस्तावों का निर्वचन किया है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य जिस विसैन्यीकृत क्षेत्र का उल्लेख कर रहे हैं ? क्या वह लद्दाख क्षेत्र का उल्लेख कर रहे हैं ?

†श्री शं० ना० चतुर्वेदी : दोनों नेफा और लद्दाख में ।

---

†मूल अंग्रजी में,

†**श्री** जवाहरलाल **नेहरू** : लद्दाख में अनेक असैनिक चौकियां बना ली गई हैं । मुझ इसका पता नहीं है कि उन्होंने लद्दाख या नेफा के विसैन्यीकृत क्षत्र में अपने सैनिक भेजे हैं । परन्तु उन्होंने असैनिक चौकियां बना ली हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या हमारी सीमा पर चीनी सेना के भारी जमाव के बारे में, जिसका उल्लेख माननीय प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में किया था, सभी कोलम्बो देशों को बताया गया है और क्या इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बता दी है ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : यह प्रश्न इस प्रश्न से पैदा नहीं होता । इसका संबंध केवल घुसपैठ और सीमा उल्लंघन से है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उत्तर सुनाई नहीं दे रहा...

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : मेरे माननीय मित्र हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी ओर चीनी सेना के जमाव का उल्लेख कर रहे हैं ।

†**श्री रंगा** : क्या इस बात को ध्यान में रख कर कि इस मामले में स्वयं चीनियों ने अपना वचन भंग कर दिया है और अपनी असैनिक चौकियां बना ली हैं, तो क्या हमने उन स्थानों पर, जहां हमारी चौकियां थीं, अपनी चौकियां पुनः बनाने का प्रयास किया है और सफल रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नेफा में हमारी असैनिक चौकियां हैं ।

†**श्री रंगा** : उन्हीं स्थानों पर जहां पहले हमारी चौकियां थीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नेफा में हमारी कई चौकियां हैं परन्तु लद्दाख के विसैन्यीकृत क्षेत्र में नहीं है ।

†**श्री कपूर सिंह** : हमारे उस राज्य क्षेत्र का कुल क्षत्रफल कितना है जहां आजकल हमें चीनी कार्यवाही के कारण नहीं जाने दिया जाता ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ठीक आंकड़ नहीं बता सकता परन्तु प्राय यह कहा जाता है कि यह क्षेत्र लगभग १२,००० वर्ग मील है ।

†**श्री प्र० के० देव** : १४,००० वर्ग मील ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं अभी ठीक उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान मि० चेस्टर बोल्स के वक्तव्य और सरदार प्रताप सिंह कैरों के हाल के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि संभव है कि अक्तूबर, १९६३ में चीनी आक्रमण करें । इसमें क्या सच्चाई है और इस जानकारी का क्या सूत्र है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल ही अलग बात है । श्री हेम बरुआ ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रख कर कि आगामी सितम्बर और अक्तूबर हमारे लिए बड़े ही संकट के महीने होंगे जब कि चीन हम पर आक्रमण कर सकते हैं, सरकार ने स्थिति की गम्भीरतानुसार प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही

---

†मूल अंग्रज़ी में

की है ; या क्या हम इस समस्या के समाधान के लिए कोलम्बो देशों के जादुई डंड पर निर्भर हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न प्रश्न है । श्री कामत ।

†श्री हरि विष्णु कामत : ७ सितम्बर, १९६२ को चीनियों के अधिकार में भारत का कुल कितना राज्य क्षेत्र था, आजकल कितना क्षेत्र अधिकार में है और इसके अतिरिक्त चीनी और कितना क्षेत्र मांगते हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य को याद होगा कि इस प्रश्न पर कुछ समय पहिले इस सभा में वाद विवाद हुआ था । नेफा में कोई भी क्षेत्र चीनियों के अधिकार में नहीं है । लद्दाख के विसैन्यीकृत क्षेत्र में चीनियों की काफी सैनिक चौकियां थीं । पहिले उस विसैन्यीकृत क्षेत्र हमारी भी अनेक सैनिक तथा असैनिक चौकियां थी । वे उनसे आगे बढ़ आये । यह नहीं कहा जा सकता कि किसने अधिकार किया और कितने उस क्षेत्र पर अधिकार किया गया जहां चौकियों से आगे बढ़ा गया था । उस घोषित विसैन्यीकृत क्षत्र में, आजकल कोई भारतीय चौकी नहीं है और चीनियों की अनेक असैनिक चौकियां हैं । २१ नवम्बर, १९६२ को जिस क्षेत्र पर कब्जा या उसके अतिरिक्त अन्य किसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया गया ।

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं ७ या ८ अक्तूबर, १९६२ के अधिकृत क्षेत्र और वर्तमान अधिकृत क्षेत्र का वर्ग मीलों में कुल क्षेत्र जानना चाहता हूं ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उसमें मुख्य परिवर्तन यह हुआ है कि २० मील की विसैन्यीकृत पट्टी बन गई है जहां चीनियों की अनेक असैनिक चौकियां हैं और वहां भारत की एक चौकी नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या चीनियों ने इस डीमिलैट्राइज्ड जोन में मिलेटरी पोस्ट्स के अलावा सड़कें भी बना ली हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह डीमिलैट्राइज्ड जोन १२ साढ़े १२ मील का है । उस के पार बहुत काफी सड़कें उन्होंने बनाई हैं । अब यह कहना मुश्किल है कि इधर इस पार बिलकुल नहीं बनाई हैं, हो सकता है शायद दो चार मील इधर तक वे हों ।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि यकथित चौकियां, जो चीनियों ने बनाई हैं; वस्तुतः सैनिक चौकियां हैं और ये चौकियां हमारी ओर से कितनी दूर हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : विसैन्यी क्रत क्षेत्र की चौड़ाई २० किलोमीटर है, अर्थात् १२१।२ मील है । मैं भूल गया कि यह कितना लम्बा है परन्तु चौड़ाई उसकी इतनी ही है । जहां तक प्रश्न है कि शसस्त्र व्यक्तियों वालो असैनिक चौकियां कितनी दूर हैं, संभव है, कि असैनिक चौकियों पर सेना के नहीं किन्तु सशस्त्र व्यक्ति हों, क्योंकि वहां स्वयं सेवकों तथा सेना कर्मचारियों में भेद नहीं किया जा सकता । संभव है कि वहां स्वयं सेवकों के पास कुछ शस्त्र हों और उन्हें असैनिक चौकियों को बताया जाता हो ।

जहां तक इन चौकियों से दूरी का सवाल है, सारा क्षेत्र ही १२ ½ मील चौड़ा है । हो सकता है कि कुछ ही मील हो—५ या ६ मील ही हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने अभी बतलाया कि साढ़े १२ मील का सेना रहित क्षेत्र है, अभी जो नयी चीनी घुसपैठ हुई है, उस साढ़े १२ मील में कितने मील में आकर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया है, क्या मोटी सी भाषा में प्रधान मंत्री इसका कुछ उत्तर दे सकेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस साढ़ १२ मील में पहले से चीनी पोस्ट्स थीं और वहां वे कायम हैं। हमारी पोस्ट्स उसके इधर उधर जो थीं वे सितम्बर, अक्तूबर के महीनों में हटा ली गई थीं। नवम्बर के महीने में उनको ख़ाली रक्खा गया था लेकिन बेक़ायम हैं और शायद उन्होंने एक, दो और पोस्ट्स इधर उधर बनायी हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कितना और आग आ गए हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वे वहां पर पहले ही—सितम्बर से—कायम थे।

श्री रामसेवक यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि चीनियों के द्वारा जो घुस पैठ हुई, उस की इत्तिला भारत सरकार को उसी समय हुई, या बाद में और अगर उसी समय हुई, तो भारत सरकार की तरफ़ से उस समय क्या तात्कालिक कार्यवाही की गई।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस बारे में तो बहुत पोथियां यहां रखी गई हैं ख़तो-किताबत की कि कब मालूम हुआ, कब कहा, कब जवाब आया। मालूम नहीं कि माननीय सदस्य पहले की बात कह रहे हैं या सितम्बर के बाद की।

श्री रामसेवक यादव : इस प्रश्न में जो दिया गया है, मेरा प्रश्न उस से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो फ़श चाइनीज़ इन्ट्रूज़न हुआ है, उस का इल्म सरकार को कब हुआ और जब हुआ उसी समय कोई कार्यवाही की गई या नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने अभी कहा है कि लद्दाख़ के डीमिलिटराइज़्ड ज़ोन में पहले जो उन की जगहें थीं, वे वहां पर कायम हैं। उन का कोई नया आने का सवाल नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने अक्तूबर की लड़ाई में हमारी दो चार जो जगहें वहां पर थीं, उन को हटा दिया था। अब वे अपनी जगह कायम हैं और कायम थें। इसके अलावा मेरा ख़याल है कि उसी साढ़े बारह मील के ज़ोन में उन्होंने अपने कुछ नय सिविल पोस्ट्स बनाय हैं। उस के बारे में जो एतराज जो प्रोटस्ट, हमारी तरफ़ से हुआ, उस को माननीय सदस्य उस किताब में देख लें, जो कि सदन की मेज़ पर रखी गई है।

श्री रामसेवक यादव : जब वे बढ़ रहे थे, तो उसी समय भारत सरकार को उस की जानकारी हुई, या बाद को हुई ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उस की जानकारी कुछ बाद को होती है, क्योंकि हमारे जांच करने वाले वहां जाकर कोई टहलते नहीं हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : अनेक बार चीनियों ने घुस पैठ की है और अनेक बार हम ने उनको विरोध पत्र भेजे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब विरोध पत्रों का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो क्या सरकार उन की इस प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की कभी सोचती है या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : यही सवाल पहले किया गया था और उसका जवाब भी आ चुका है शायद माननीय सदस्य का ध्यान इस तरफ नहीं था। इस सूरत में कैसे दूसरी बार इस की इजाज दे दूं ?

श्री रामेश्वरानन्द : मेरे सामने तो यह सवाल आया नहीं। अगर मेरे सामने आ जाता, तो मैं क्यों पूछता ?

नागा विद्रोही

+

†*२७६. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० के० देव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री स्वैल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड अन्तरिम निकाय ने एक मत से इस आशय का एक संकल्प पारित किया था कि जो नागा विद्रोही १ जुलाई और ३१ अगस्त, १९६३ के बीच हथियार डाल देंगे उन्हें सामान्य राजक्षमा का लाभ दिया जायेगा ;

(ख) उस संकल्प की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) (१) नागालैंड के प्रत्येक गांव को , गांव वार यह मौका दिया जाना चाहिये कि वह अपने क्षेत्राधिकार में आ हुए व्यक्तियों को निर्धारित में बाहर लाकर उनके गांवों में ले आये और इस प्रकार शांति व सामान्यता का वातावरण पुनः उत्पन्न करें।

(२) १ जुलाई, १९६३ से ३१ अगस्त, १९६३ तक राजक्षमा घोषित किया जाना चाहिये।

(३) जो छिपे व्यक्ति दी गई राजक्षमा से लाभ उठाते हैं, उन्हें नागालैंड सरकार द्वारा प्रभावी पुनर्वास तथा पुनः कार्य दिया जाना चाहिये।

(४) यदि स्थिति में सुधार नहीं होता, तो गांवों को मिलाकर पुनः बड़े बड़े केन्द्र बना देने चाहियें और ग्रामवासियों विद्रोहियों द्वारा परेशान किये जाने से बचाना चाहिये।

(ग) भारत सरकार ने राजक्षमा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका असर अब तक क्या हुआ है और कितने विद्रोही नागाओं ने अब तक सरेन्डर किया है।

श्री दिनेश सिंह : अभी तक १६४ विद्रोही नागाओं ने अपने को सरेन्डर किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स्वैल : इस राज क्षमा और उन विद्रोही नागाओं के प्रति व्यवहार के बारे में, जिन्होंने नागालैंड प्रशासी परामर्शदाता के अनुसार अब पीकिंग से संबंध जोड़ लिये हैं, क्या यह सच है कि यहां से एक लोक नाथ पाहवा नामक व्यक्ति जो स्वयं को प्रधान मंत्री का विशेषदूत बताता है, विशेष अनुमति से नागालैंड भेजा गया है था और यह व्यक्ति नागालैंड की यात्रा करके अनेक नागाओं को साथ लेकर लौट आया है और विदेश सचिव से मिल चुका है और कहा जाता है कि प्रधान मंत्री से मिला है और शिलू आओ की सरकार के विरुद्ध एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया है और क्या इस से शिलू आओ की सरकार में प्रधान मंत्री पूर्ण विश्वास न होने का पता लगता है ?

†श्री त्यागी: मैं एक औचित्य के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। प्रश्न एक राज्य सरकार पर आक्षेपों से भरा हुआ है ।

†श्री स्वैल : मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूं । श्री त्यागी की सदैव की आदत है कि जब भी आदिम जाति के लोग प्रश्न पूछते हैं, वह उनका विरोध करते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के तथ्ययुक्त भाग का उत्तर दिया जाये ।

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य-मंत्री तथा अण् शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह कहना ठीक नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष उद्देश्य से वहां भेजा गया था । यह सज्जन वहां जाने के लिये हम से काफी समय से अनुमति मांग रहे थे और मेरा ख्याल है कि अन्त में हम ने यह मामला राज्यपाल को भेज दिया और राज्य पाल इस से सहमत हो गये । अतः हम ने वहां जाने की अनुमति दे दी । वहां जाने पर उन्होंने हमारे विचारानुसार कार्य नहीं किया जैसा कि उन्हें करना चाहिये था । उन्होंने नागालैंड की, अर्थात् मि० शिलू आयो की सरकार के विरुद्ध प्रचार किया । यह करने के लिये हमारे उन्हें वहां भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं है । वास्तव में, हमें जब इसका पता लगा तो हमने राज्य पाल से उन्हें वापस भेजने और यह कहने के लिये कहा कि वहां वह फिर नहीं जा सकते।

†श्री (प्र०) चं० (शर्मा) : कहा जाता है क विरोधी नागा अब भी पहले की भांति विरुद्ध हैं। यह कट्टर विरोधी नागा कितने हैं और क्या इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए और कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री दिनेश सिंह : कट्टर विद्रोहीं का अर्थ है विद्रोही नागाओं के मूल नेता। इन्हें तोड़ने का एक उपाय यह राज थी । इसे तोड़ने के लिए सुरक्षा बल को सबल बनाकर हम प्रयास कर रहे हैं ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या नवीनतम समाचारों से पता चलता है कि प्रतिक्रिया उत्साह-वर्धक नहीं है और विद्रोही नागा अपनी कार्यवाही जारी रखने के लिए चीनियों तथा पाकिस्तानियों से संबंध स्थापित करने में सफल हो गये हैं।

†श्री दिनेश सिंह : क्या यह सच है कि यह इतनी सफल नहीं रही है जितनी कि हमें आशा थी ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : चीनियों और पाकिस्तानियों के साथ उनके संबंध के बारे में क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह :** इसका इस सभा में अनेक बार उत्तर दिया जा चुका है कि कुछ नागा पाकिस्तान चले गये थे और वे वापस आ गये हैं । एक परामर्शदाता ने यह भी कहा था कि चीनियों के साथ भी उनके संबंध हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** कितने विद्रोही नागाओं ने स्वयं को सौंप दिया है और जिन्हें आंशिक या पूर्ण रूप में बसाया जा चुका है क्योंकि उनके पुनर्वास से अन्य नागाओं को भी विश्वास होगा ?

†**श्री दिनेश सिंह :** स्वयं को सौंपने वाले १६४ में से सभी को पुनः बसा दिया गया है ।

†**श्री वसुमतारी :** सौंपने वाले नागाओं की कितनी संख्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** संख्या बताई जा चुकी है । यह संख्या १६४ है ।

†**श्री वसुमतारी :** और कितने स्वयं को सौंपेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह वह कैसे बता सकते हैं ।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या नागालैण्ड के बनने के बाद विधि तथा व्यवस्था में सुधार हुआ है या वह बिगड़ी है ?

†**श्री हेम बरुआ :** क्या नागा प्रशासी परामर्शदाता इमलांग के इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि स्वतंत्रतापूर्ण नागा आदिम जाति क्षेत्र के एक भूतपूर्व राजनीतिक अधिकारी डा० हट्टन ने लन्दन से डा० बेरियर एल्विन को लिखा है कि चीनी लोग विद्रोही नागाओं को सशस्त्र गिराने के लिए तैयार हैं और वास्तव में एक विद्रोही नेता, जो आजकल लन्दन में है, पीकिंग आये और छः मास तक वहां ठहरे, यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में सन्देह है, या कोई जानकारी है कि विद्रोही नागा लन्दन मार्ग से पीकिंग के साथ मिल रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कभी कभी प्रश्न के अन्त तक पहुंचने पर उसका आरम्भ भूल जाते हैं

†**श्री हेम बरुआ :** प्रधान मंत्री की बहुत याद दाश्त है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कभी हमें भी यह कठिनाई होती है ।

माननीय सदस्य ने जिसका बड़ा लम्बा उल्लेख किया है उसके बारे में हमने एक रिपोर्ट देखी है कि मि० इमलांग ने क्या कहा और हम इसकी आगे जांच कर रहे हैं कि इसका क्या आधार है और उनके पास क्या साक्ष्य है । हमारे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति

†२७७ { श्री भक्त दर्शन :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या योजना मंत्री १६ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री के० सी० नियोगी के सभापतित्व में बनाई गई परिवहन निति तथा समन्वय संबंधी समिति ने और आगे क्या प्रगति की है ;

(ख) उसके प्रारंभिक प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसका काम अन्तिम रूप से कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

योजना तथा श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रखा गया है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १५५२/६३ ।]

आयुध कारखाने

†*२७८. { श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती विमला देवी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री बी० चं० शर्मा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंवजी
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दलजीत सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नये प्रतिरक्षा आयुध कारखाने खोलने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां तो क्या कोई स्थान चुने गये हैं ; और

(ग) उन्हें कब तक खोला जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख). जी हां ।

(ग) कार्यक्रम इस आधार पर बनाया गया है कि एक फैक्टरी १९६४ में उत्पादन आरम्भ करेगी और दूसरी १९६५ में ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, पूना

†*२७९. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौ से अधिक आफिसर कैडटों ने आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, पूना, से त्यागपत्र दिये हैं ;

(ख) क्या उनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिये गये हैं ; और

(ग) उन आफिसर कैडटों ने अपने त्यागपत्रों के लिए क्या कारण दिये हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : (क) अफसर प्रशिक्षण स्कूल, पूना से १०६ कैडिटों ने इस प्रकार त्यागपत्र दिया :—

जनवरी क्रम से	२
अप्रैल क्रम से	५२
जुलाई क्रम से .	५२

(ख) जी हां ।

(ग) केडिट अफसरों ने साधारणतया ये दो कारण बताये हैं :—

(१) प्रशिक्षण पूरा करने की असमर्थता, और

(२) घरेलू कठिनाइयां

श्रीनगर-लेह सड़क

†*२८०. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के पर्वत-सड़क और विमान-क्षेत्र संबंधी तीन विशेषज्ञों, ने श्रीनगर-ले -चुशूल सड़क की आवश्यकताओं का ब्यौरा बना दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आवश्यक उपकरण देने के लिए अमरीकी सरकार से क ा है ; और

(ग) उस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सहायता की मात्रा और अन्य संबंधित मामले विचाराधीन हैं ।

जुनावनी मैंगनीज खानों में दुर्घटना

†*२८१. श्री इन्द्रजीत गप्त : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जून, १९६३ को नागपुर के पास जुनावनी मैंगनीज खानों में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें ५ मजदूर मर गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या जांच से दुर्घटना की जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) और (ख). इस के संबंध में १९ अगस्त, १९६३ को लोक-सभा के पटल पर रखी गई दुर्घटना संबंधी विस्तृत रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

(ग) मालिक , ठेकेदार, अभिकर्ता, प्रबंधक तथा पर्यवेक्षक कर्मचारियों के विरुद्ध धातुप्रद खानों अधिनियम १९६१ के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिये अभियोग चलाया जा रहा है, जिसके कारण दुर्घटना हुई ।

पाकिस्तानी रायफलमैन द्वारा आक्रमण

†*२८२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तानी सैनिकों (रायफलमैन) की सहायता से लगभग ६०० पाकिस्तानियों ने ११ जून, १९६३ को या उसके आसपास पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में गौगरा गांव पर हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो हमलावरों की इस कार्यवाही के फलस्वरूप गांव वालों को जान-माल व जानवरों की कितनी क्षति हुई ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग) ११ जून, १९६३ को, ३०/४० पूर्वी पाकिस्तान राइफलमैनों के साथ लगभग ५०० पाकिस्तानी राष्ट्रजन, नादिया में चपरा थाना के भारतीय गांव गोंगरा की सीमा पर जमा हो गये । बाद में, कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजन अपने ढोरों के साथ भारतीय क्षेत्र में घुस आये और भारतीय राष्ट्रजनों की खड़ी फसलों को नष्ट किया । किसी व्यक्ति या पशु की जीवन हानि नहीं हुई परन्तु २५० रुपये के लगभग फसलें नष्ट हो गईं ।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ढाका स्थित भारतीय उप उच्चायुक्त ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार से विरोध किया है । राज्य सरकारों ने ऐसी घटनाओं की पुनरावत्ति को रोकने के लिये पर्याप्त कार्रवाई की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कलकत्ते में उच्च निर्वाह-व्यय

†*२८३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** क्या : **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कलकत्ते में और उसके आस पास श्रमजीवी वर्गों का निर्वाह-व्यय पिछले वर्ष की तुलना में १२ प्रतिशत बढ़ गया है; और

(ख) क्या सरकार इस बढ़े हुए निर्वाह-व्यय को पूरा करने के लिए मजदूरों को कुछ देने का विचार कर रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कलकत्ता और हावड़ा के लिए जून १९६३ के महीने में क्रमशः ११२ और ११० थे—जबकि आधार वर्ष १९६० (जिस सब से बाद के महीने के आकड़े प्राप्त हैं) में १०० थे, जबकि जून १९६२ के महीने में इन दोनों स्थानों क सूचकांक १५० थे। अतः ५-७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) रोजगार के कुछ क्षेत्रों में, महंगाई भत्ता निर्वाह लागत सू सूचकांक के साथ संबद्ध है और अपने आप प्रतिकर की व्यवस्था है। रोजगार के मामले में जहां ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है संबद्ध पक्षों के बीच बात-चीत हो सकती है।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड

†*२८४. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भविष्य-निधि अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंध अभी तक बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लागू नहीं किये गये हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा सरकार को बिहार राज्य बिजली कर्मचारी संघों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ के उपबन्धों तथा इसके बिजलीघर के सम्बन्ध में योजना का पालन कर रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) अभ्यावेदनों पर अपेक्षित कार्रवाई की गई थी और इस मामले पर भविष्य निधि अधिकारियों बोर्ड के प्रतिनिधियों एवं कर्मकार संघ के बीच चर्चा की गई थी। बिजली घरों तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों पर अधिनियम को लागू करने के प्रश्न पर, इन चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, अग्रेतर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मास्को में विश्व महिला कांग्रेस

†*२८५. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय महिलाओं के किसी प्रतिनिधि-मंडल को मास्को में विश्व महिला कांग्रेस में भाग लेने की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिनिधि-मंडल ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) जी हां ।

नई दिल्ली में चीनी दूतावास

†*२८६. **श्री राम रतन गुप्त :**
श्री हेम राज :
श्री बड़े :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री गो० महन्ती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी दूतावास, नई दिल्ल ने मास्को से उनके सैद्धान्तिक मतभेदों के सम्बन्ध में विवादास्पद पैंफिंग पत्रों को परिचालित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां। भारत सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास ने दिनांक १४ जून, १९६३ का चीनी की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति का एक परिपत्र परिचालित किया है, जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति को सम्बोधन करके लिखा गया था।

(ख) सरकार ने भारत के मित्र देश के विरुद्ध आलोचना का आन्दोलन चलाने में चीनी राजदूतावास के कार्यालय के काम को बुरा बताया है। चीनी राजदूतालय को तुरन्त इसका परिचालन बन्द करने को कह दिया गया है।

अनुशासन संहिता

†*२८७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सरकारी उपक्रमों में अभी तक अनुशासन संहिता लागू नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वह कौन-कौन उपक्रम हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क(और (ख) संहिता को सभी समवायों, निगमों और विभागीय उपक्रमों द्वारा जो सरकारी क्षेत्र में हैं, केवल जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, पत्तन न्यासों, रेलवे और प्रतिरक्षा उपक्रमों को छोड़ कर, कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम और पत्तन न्यासों ने, कुछ स्पष्टीकरणों के साथ संहिता को स्वीकार कर लिया है किन्तु उनके कर्मचारी संघों ने उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। उन्हें इन स्पष्टीकरणों के साथ संहिता को स्वीकार करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने संहिता को सिद्धान्त में स्वीकार कर लिया है और जब वाणिज्यिक बैंक तथा स्टेट बैंक पर यह लागू हो जाएगी, उसके पश्चात् रिजर्व बैंक इसे अपना लेगा ।

रेलवे मंत्रालय ने अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल एक संहिता तैयार की है, किन्तु यह उनके कर्मचारियों के संघों द्वारा स्वीकार नहीं की गई। इस मामले पर अग्रेतर विचार किया जा रहा है। प्रतिरक्षा उपक्रमों ने भी अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल संहिता बनाई है ; उस पर प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है ।

अपहृत भारतीय डाक्टर

†*२८८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कछवाय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय डाक्टर, जिसका इस वर्ष के शुरू में पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के कुछ सैनिकों ने अपहरण किया था तथा बाद में जिसको पाकिस्तान सरकार ने चार वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया था, के मामले में अपील करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : : (क) जी हां ।

(ख) हमारे ढाका स्थित उप-उच्चायुक्त को हिदायत दे दी गई है कि और वह इस बात के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं कि श्री मजूमदार ने जो अपील दायर की है वह स्वीकार कर ली जाये। हमारे उप-उच्चायुक्त को इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त वकील करने का भी अधिकार दे दिया गया है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रतिनिधि-मंडल

†*२८९. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री राम सेवक यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी अधिवेशन में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्यों तथा उसके नेता के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि-मण्डल में कौन-कौन व्यक्ति होंगे ; और

(ग) उक्त अधिवेशन की कार्यसूची में कौन-कौन से मामले हैं अथवा लाने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख) प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित करेंगी। अन्य सदस्यों के नाम अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हो पाये।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय द्वारा परिचालित अस्थायी विषय-सूची की प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एल टी—१५५३/६३]

विद्यार्थियों के लिये सैनिक प्रशिक्षण

†*२९०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना को लागू करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये राइफलों की कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण)**: (क) विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालयों तथा कालेज स्तर पर पुरुष छात्रों के लियें अनिवार्य एन० सी० सो० प्रशिक्षण योजना अपनाई है।

(ख) योजना को विद्या साधनों के द्वारा लागू किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों ने इसे लड़कों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल किया है। प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था एन० सी० सी० के महा निदेशालय द्वारा की गई है।

(ग) राइफलों की कमी इस प्रकार पूरी की जाएगी :—

(१) वर्तमान सम्भरण में इस प्रकार वृद्धि होगी :—

(एक) २६,००० डमी राइफलें, जो भार तथा संतुलन में वास्तविक राइफलों के समान है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) ५०,००० राइफलें ·३०३ नंबर १ या ४ (विदेश से प्राप्त की जा रही है, जिनमें मरम्मत आदि की जरूरत है)

(२) एन० सी० सी० की सभी इकाइयों में समान आधार पर वर्तमान राइफलों को पुनर्वितरण ;

(३) प्रशिक्षण अवधि को हेरफेर करके तथा स्थान के आधार पर संसाधनों को एकत्र करके ;

(४) चुने हुए कालेजों और विश्वविद्यालयों की चार दीवारी में छोटी रेंजों का निर्माण ताकि अधिक संख्या में केडिटों को जो गोली चलाने का अभ्यास हो सके और कम से कम सर्विस राइफलों की जरूरत पड़े ।

बिहार

†*२९१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या योजना आयोग के किस दल ने बिहार सरकार के प्रतिनिधियों से तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य संसाधनों के बारे में कोई बातचीत की थी ; और

(घ) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकार को भूराजस्व में वृद्धि करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का परामर्श दिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) और (ख) कृषि विषयक एक केन्द्रीय दल, जिसमें प्रशासन तथा परिवेक्षण) योजना आयोग, उपमंत्री, सामुदायिक विकास मंत्रालय तथा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अफसर सामुदायिक विकास मंत्रालय तथा योजना आयोग के अफसर गत मई में १९६३–६४ योजना में सम्मिलित् राज्य सरकार के कृषि विषयक कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने के लिये बिहार गये थे। बातचीत के दौरान लगाये जाने वाले अतिरिक्त करों समेत साधनों के प्रश्न पर भी विचार किया गया था ।

प्रतिरक्षा सामग्री का उत्पादन

†*२९२. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री बूटा सिंह :
श्री सोनवंकी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन गैर-सरकारी कम्पनियों अथवा फर्मों को कुछ सैनिक सामान तथा प्रतिरक्षा उपकरण के उत्पादन का काम सौंपा गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में,

(ख) प्रत्येक को क्या-क्या तथा कितना-कितना सामान बनाने को क ा गया है; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों द्वारा उत्पादन अब तक सन्तोषजनक है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इस समय प्राप्त नहीं है और इस में काफी समय तथा बहुत प्रयत्न लगेगा, जो प्राप्त होने वाले परिणामों से कहीं अधिक होगा ।

(ग) जी हां, साधारणतया संतोषजनक है ।

ऊंचाई पर काम करने वाले सैनिक

*२९३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊंचाई पर काम करने वाले सैनिकों की भोजन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये भेजे गये वैज्ञानिकों के दल ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) मुख्य सिफारिशें हैं :—

(१) ९००० फुट से ऊपर स्थानों के लिये उच्चतर प्रोटीन तथा कम अंश में वसा वाले आहार पर युक्त सेवाओं के राशन दर में संशोधन ,

(२) ९००० तथा १७०० फुट के बीच छ० मास की अवधि के लिये रूचि तथा पौष्टिक का विचार करते हुए एक संशोधित राशन-दर ।

(ख) सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है ।

आपातकालीन उत्पादन समिति

*२९४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए विभागीय तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आपात कालीन उत्पादन समितियों का गठन कर लिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो किन एककों में इन समितियों ने काम आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) मोटे तोर पर इन समितियों के गठन तथा काम का क्या ढांचा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) उपक्रमों की एक सूची जिस पर आपातकालीन उत्पादन समिति बनाई गई है, सभा पटल पर रखी गई है [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१५५४/६३**]

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आपातकालीन उत्पादन समिति से उपक्रम स्तर में यह अपेक्षा की जाती है कि वह श्रम प्रबन्धक सहयोग के साथ, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने ,लोगों के अनुपस्थित रहने की आदत को घटाने, संयंत्र तथा सामान आदि को ठीक बनाये रखने आदि उत्पादन क्षेत्र के विविध मामलों की व्यवस्था करेगी । आपातकालीन उत्पादन समिति तदर्थ-निकाय है, जिस में श्रमिकों तथा प्रबंधकों दोनों के प्रतिनिधि हैं।

ट्रक और जीपें

†*२९५. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में आयुध कारखानों में ट्रकों का उत्पादन ४३ प्रतिशत बढ़ गया है ;

(ख) १९६२–६३ में आयुद्ध कारखानों में कितने ट्रक तथा जीप बनाई गईं ; और

(ग) सैनिक ट्रकों के मूल्य ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में बने वैसे ही ट्रकों के मूल्यों की तुलना में कैसे हैं ?

†**प्रतिरक्षा उत्पादन में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) पिछले वर्ष की अवधि से १९६२–६३ में गाड़ियों के उत्पादन में ४१ प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

(ख) १९६२–६३ में बनाए गए ट्रक और जीपों की संख्या, २६९७ हैं ।

(ग) मूल्य कम है ।

अदन में भारतीय

†*२९८. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ज्ञात है कि अदन के छोटे से भारतीय समुदाय के साथ लगभग सभी स्थानीय राजनैतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर भेद भाव का व्यवहार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इन लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिये कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) और (ख) : सरकार को पता नहीं कि अदन में भारतीय लोगों के विरुद्ध कोई वर्ण भेद किया जा रहा है । वहां के हाल के संविधानिक परिवर्तन के कारण, एक नवीन निर्वाचन विधि बनाने तथा अदनी राष्ट्रीयता के प्रश्न का निर्णय करने के लिये विधि बनाने का विचार है। इस कार्य के लिये मताधिकार आयोग स्थापित किया गया है और हमें आशा है कि अदन में बसे हुए भारतीय उद्भव के लोगों को कोई कठिनाई या अनर्हता नहीं होगी ।

†मूल अंग्रेजी में

जन सम्पर्क

†*२९९. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री बड़े :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाउन्डशन दल ने भारत में जन सम्पर्क का उच्च अध्ययन करने के लिए एक केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सूचना और प्रासारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी हां।

(ख) सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ।

ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं

†८२३. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में अब तक उड़ीसा में कीतनी ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं चल रही हैं ; और

(ख) इसी कालावधि में केन्द्र ने राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए कितनी धन राशि दी ।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** :

(क) १९६२–६३ में उड़ीसा राज्य के लिए प्रथम क्रम के अन्तर्गत ४५ ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं नियत की गई हैं।

(ख) १९६२–६३ में इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को ५०,००० रुपये दिये गये थे । १९६३–६४ के लिए ६.० लाख रुपये की राशि नियत की गई है ।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

†८२४. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने १९६२–६३ में कुछ लाभ कमाया है । और

(ख) यदि हां, तो लगाई गई पूंजी पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हां श्रीमान्

(ख) ७.९६ । प्रतिशत ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी योजना का पुनर्विलोकन

†८२५. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **योजना** मंत्री ८ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में अन्तिम रूप में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समीक्षा तैयार की जा रही है और आशा है कि यह अक्तूबर, १९६३ तक तैयार हो जाएगी ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

†८२६. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १२ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्तावों की जांच कर कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) तथा (ख) : मजूरी की उच्च दरों और कर्मचारियों को अत्याचार से बचाने के विचार से न्यूनतम मजूरी अधिनियम के संशोधन पर विचार किया जा रहा है ।

कामगार शिक्षा केन्द्र

†८२७. { **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री उलाका :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ से राजस्थान में कुछ कामगर शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन केन्द्रों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** :

(क) भीलवाड़ा राजस्थान में १४-१०-१९६२ से एक उप प्रदेशीय कामगर शिक्षा केन्द्र चल रहा है ।

(ख) इसमें ७६ कामगर अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया था जिन्होंने ३७५ कामगरों को शिक्षा दी है :

(ग) वर्ग चर्चा, रूप को, दृश्य अन्य साधनों और भाषणों द्वारा कामगरों को उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व सिखाये जाते हैं ताकि वे अधिक अच्छे कामगर और उत्तरदायी नागरिक बनें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में बेरोजगारी

†८२८. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में १९६२–६३ के दौरान कितने शिक्षित बेरोज़गार थे ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग कितने थे ?

†**श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) ३१ दिसम्बर, १९६२ को राज्य के काम दिलाऊ दफ्तरों के रजिस्टरों में शिक्षित प्रार्थियों की संख्या २२,४३४ थी ।

(ख) अनसूचित जातियों के लोग ९०९, अनुसूचित आदिम जातियों के लोग १३६ ।

रेडियो सेट

†८२९. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना काल में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो सेट देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) राज्य को अब तक कितने रेडियो सेट दिये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) राजस्थान सरकार १९६०-६१ के बाद से सामुदायिक रेडियो सेट संभरणकी केन्द्रीय सरकार की योजना में भाग नहीं ले रही अतः तीसरी योजना में उन्हें सेट संभरण करने का कोई लक्ष्य नहीं है ।

(ख) ४,३०० ।

विमान परिचारिकायें,

†८३०. श्री पू० चं० देवभंज :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का यह संकल्प स्वीकार कर लिया है कि विमान परिचारिकायें विवाह कर सकती हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार निकट भविष्य में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इण्डिया इंटरनेशनल की विमान परिचारिकाओं के संबंध इस संकल्प को अपनाने का विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

‡Air hostesses.

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का ऐसा कोई संकल्प नहीं है कि विमान परिचारिकाओं को शादी की अनुमति दी जाए। किन्तु जून, १९६३ में हुए ४७ वें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में नौकरी से हटाने के बारे में एक सिफारिश की गई थी। उसके एक खण्ड में उपबन्ध था कि वैवाहिक स्थिति को नौकरी से हटाने का मान्यकारण नहीं समझना चाहिये। यह सिफारिश व्यापक है किन्तु इसमें विमान परिचारिकाओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सारी सिफारिश की जांच की जायेगी और विभिन्न उपबन्धों पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में सदा की तरह एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा जायेगा।

नेपाली परियोजनाओं के लिए सहायता

†८३१. **श्री पू० चं० देवभंज :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में ही कुछ नेपाली परियोजनाओं की वित्तीय सहायता करने के बारे में नेपाल के साथ कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है।

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी, हां। १० जुलाई, १९६३ को तीन करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) पहले करार के अन्तर्गत एक नये स्कूल भवन, अध्यापकों के भवनों, सफाई व्यवस्था और औषधालय के निर्माण और फेरिंग के त्रिभुवन आदर्श विद्यालय के पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा आरम्भ करने के लिए ३.५ लाख रुपये की राशि देने का उपबन्ध किया गया है। दूसरे करार के अनुसार गाचर हवाई अड्डे पर ४,६३,७०० रुपये का हेंगर बनाया जाना है। तीसरे करार में काठमण्डू-त्रिशूली सड़क के सुधार और संभरण के लिये ३३.५ लाख रुपये की व्यवस्था की जानी है।

नये आकाशवाणी केन्द्र

८३२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी और विशाखापटनम् में आकाशवाणी के केन्द्र खोले जा रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो इनकी क्षमता क्रमशः क्या होगी ;

(ग) प्रत्येक केन्द्र पर आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक कितना व्यय पड़ेगा ; और

(घ) इनसे किन-किन भाषाओं में प्रसारण होंग और कितनी दूर तक सुने जा सकेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) पांडिचेरी में एक रेडियो केन्द्र खोलने की योजना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशाखापटनम् में एक रिले केन्द्र पहले ही चालू हो चुका है।

(ख) पांडिचेरी . १ किलोवाट मीडियम वेव

विशाखापटनम् १० किलोवाट मीडियम वेव

	आवर्त्तक व्यय (प्रति वर्ष)	अनावर्त्तक व्यय
	रुपये (लाखों में)	रुपये (लाखों में)
पांडिचेरी	४.२४	७.५
विशाखापटनम्	२.५२	१३.२४

(घ) पांडिचेरी केन्द्र अधिकांश कार्यक्रम तमिल में और कुछ फ्रांसीसी और अंग्रेजी में प्रसारित करेगा। हिन्दी पाठ भी प्रसारित किए जा सकते हैं। विशाखापटनम् के सहायक केन्द्र का कार्यक्रम वही होगा जो हैदराबाद केन्द्र का है, परन्तु वह तेलुगु हिन्दी और अंग्रेजी तक ही सीमित रहेगा। पांडिचेरी और विशाखापटनम् केन्द्रों से होने वाले प्रसारण क्रमशः ३२ किलोमीटर और ९६ किलोमीटर तक के क्षेत्र में सुने जा सकेंगे।

उड़ीसा में बाढ़

†८३३. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ की बाढ़ों के दौरान असैनिक प्राधिकारियों की सहायता के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रार्थना मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वान)** : (क) जलाई और सितम्बर, १९६१ में बाढ़ सहायता कार्य के लिये सैनिक सहायता के हेतू, उड़ीसा सरकार से प्रार्थनाएं आई थीं। १९६०-६१ या १९६२-६३ में कोई ऐसी प्रार्थना नहीं मिली।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। ९-८-१९६१ के प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर की ओर भी निर्देश किया जाता है जिसमें जुलाई-अगस्त, १९६१ के दौरान उड़ीसा को दी गई बाढ़ सहायता का विवरण है।

विवरण

उड़ीसा सरकार की प्रार्थना पर सेना ने ११-७-१९६१ से ४-८-१९६१ के दौरान और ७-९-१९६१ से ८-१०-१९६१ के दौरान इंजीनियरिंग सिगनल, चिकित्सा और कर्मचारियों तथा नौकाओं, वायरलेस सेटों की व्यवस्था करके असैनिक प्राधिकारियों की सहायता की थी। सैनिक कर्मचारियों ने खाद्य पदार्थों, कपड़ों खाद्यानों मिट्टी के तेल आदि का मुख्य सहायता केन्द्र से सहायक केन्द्रों और समीपस्थ गांवों में संभरण करने बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों तक विशेष संचार व्यवस्था करने और सहायता केन्द्रों के साथ संचार सम्पर्क रखने में सहायता की थी। चिकित्सा दलों ने बाढ़ पीड़ितों को हैजा, बुनियादी बुखार के टीके लगाये और अन्य रोगियों का उपचार किया तथा क्षेत्र ने कम्बल, पतलून, निकरें, कमीजें बाढ़ पीड़ितों में बांटी।

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियर दल ने नौकाओं की सहायता से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्हें असैनिक अधिकार चिकित्सा को घिरे हुए इलाके में ले जाने और असैनिक अधिकारियों को क्षति निर्धारण के लिए बाढ़ ग्रस्त गांवों में ले जाने के लिये सहायता की।

२. विमान द्वारा वस्तुओं का संभरण करने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की देख रेख करने और सामान ले जाने के लिए वायु बल ने विमान दिये।

आन्ध्र प्रदेश में पंजीबद्ध बेरोजगार

†८३४. **श्री धुजेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९६३ को आंध्र प्रदेश के काम दिलाऊ दफ्तरों में प्रवीण और अप्रवीण कितने श्रमिक पंजीबद्ध थे ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री च० रा० पट्टाभिरामन्)** १,३६,२८५।

राज्य योजना बोर्ड

†८३५. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री मुरारका :
श्री रावेन्द्र वर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य योजना बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित उच्च शक्ति दलों ने हाल ही में विभिन्न राज्यों का दौरा करने के उपरांत यह बताया है कि उत्पादन की कमी का कारण यह है कि राज्य स्तर पर ऐसे निकाय नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां तो स्थिति के उपचार के लिए क्या कदमा उठाये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में राज्य योजना बोर्ड स्थापित किये जा चुके हैं। किन्तु इन में से कोई भी योजना आयोग के प्रस्ताव के अनुसार बोर्ड नहीं है। उड़ीसा बोर्ड में मुख्य मंत्री और आठ अधिकारी हैं। राजस्थान में सारा मंत्रिमंडल, अधिकारी और १८ संसद और विधान सभा के सदस्य तथा अन्य २० लोग हैं। पंजाब का बोर्ड वास्तव में मंत्रिमण्डल की ही एक समिति है। महाराष्ट्र ने मंत्रिमंडल की उपसमिति नियुक्त की है।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय दलों ने राज्य योजना बोर्ड तथा कृषि उत्पादन में कमी का अध्ययन नहीं किया किन्तु उन्होंन कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की कार्यान्विति की देख रेख के लिए मंत्रिमण्डल तथा अधिकारियों के स्तर पर समितियां नियुक्त करन के प्रश्न को लिया था।

पुर्तगाली प्रदेशों में भारतीय

†८३६. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सहाय यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा पुर्तगाली प्रदेशों में कैद किये गये भारतीय राष्ट्रजन भारत आ गये हैं ;

(ख) यदि नहीं तो उनमें से कितने अभी बाहर हैं ; और

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रजनों को सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार द्वारा भेजे गय विरोध पत्र पर पुर्तगाल से उत्तर मिला है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार मोजम्बीक और अन्य पुर्तगाली उपनिवेशों से लगभग २३३ भारतीय राष्ट्रजन भारत आ चुके हैं और लगभग १०० भारतीय वहां है।

(ग) जी नहीं।

बंगला प्रसारण

†८३७. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है पश्चिम बंगाल से बाहर रहने वाले लोगों को आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से प्रसारित बंगला के कार्यक्रम बड़ी कठिनाई से सुन पाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कलकत्ता में कोरे शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के लिए अभ्यावेतन मिला है ; और

(ग) अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी नहीं। कलकत्ता का शार्टवेव ट्रांसमीटर कलकत्ता के आस पास ८०० किलोमीटर तक सुना जा सकता है। अनुकूल परिस्थिति में उसे अधिक दूरी पर भी सुना जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कलकत्ता में अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित करने का अभ्यावेदन मिला है।

(ग) अभी तक राज्य की राजधानी से राज्य की भाषा में देश भर के लिए प्रसारण परियोजना नहीं बनाई गई ।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

†८३८. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** १५ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए लंका के नागरिक और वहां के भारतीय निवासियों द्वारा एकत्र की गई राशि के उपयोग के लिए वैकल्पिक उपायों पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां तो उसका परिणाम क्या है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) ५,८९,९५९ रुपये की राशि राष्ट्रीय रक्षा कोष को दी जा रही है ।

"पैट्रियट" के लिये अखबारी कागज

†८३९. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६९-क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायसीना पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटड के "पैट्रियट" के सम्बन्ध में अखबारी कागज़ का विशेष अभ्यंश नियत करने के निश्चय के तीन मास उपरांत पुनरीक्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बी० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विमान तकनीकी दल

†८४०. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका राष्ट्रमंडल संयुक्त विमान तकनीकी दल द्वारा अपनी सरकारों को दिये गये प्रतिवेदनों की एक एक प्रति मिल गई है ;

(ख) यदि हां तो क्या उन पर विचार किया जा चुका है ; और

(ग) उसका परिणाम क्या निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वान)** : (क) अमरीका राष्ट्र मंडल संयुक्त विमान प्रतिरक्षा दल ने एक संयुक्त प्रतिवेदन दिया है जिसकी प्रतियां मिल गई हैं ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रतिवेदन के सुझावों की जांच की जा चुकी है । स्वीकार्य सुझावों को कार्यान्वित किया जायेगा । वायुबल को सशक्त बनान के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । माननीय सदस्य का ध्यान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और राडर संभरण तथा मित्र देशों से संचार यंत्र प्राप्त करने के बारे में २२ जुलाई, १९६३ वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति की ओर दिलाया जाता है ।

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पताल

†८४१. **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री वारियर :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अब तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कितने अस्पताल बनाये गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कुल कितना खर्च किया गया ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चें० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) तथा (ख). कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत केरल में अभी तक कोई अस्पताल नहीं बनाया गया । किन्तु पुनारूत्ता त्रिवेन्द्रम में २४ बिस्तरों का एक क्षय रोग का

†मूल अंग्रजी में

हस्पताल ४५,००० रुपये से बनाया गया है योजना के अन्तर्गत अन्य स्थानों पर निम्नलिखित अस्पताल बनाए जाने हैं :—

क्रमांक	अस्पताल का नाम	बिस्तरों की संख्या	निर्माण पर अनुमति व्यय	वर्तमान स्थिति
१	मूल तथा तुकावू का कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	११६ क्षय रोगियों के लिए	१३.९८ लाख रुपय	राज्य सरकार ने १४-१-६३ को भूमि पर कब्जा किया ।
२	कर्मचारी राज्य बीमा काटेज अस्पताल एल्लेपी	३५ सामान्य रोगियों के	८.४५ लाख रुपये	जगह चुन ली गई है अधिग्रहण किया जा रहा है ।
३	कर्मचारी राज्य बीमा काटेज अस्पताल अखरामय	५० सामान्य बिस्तर	८.४३ लाख रुपये	२५-१-६३ को राज्य सरकार ने भूमि पर कब्जा किया
४	कर्मचारी राज्य बीमा काटेज अस्पताल, चेरूनानूर	५० सामान्य बिस्तर	१०.४७ लाख रुपये	जगह चुन ली गई है और अधिग्रहण किया जा रहा है ।
५	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल उद्योग मंडल	१२ सामान्य बिस्तर	राज्य सरकार से अनुदान नहीं मिला	जगह चुन ली गई है अधिग्रहण किया जा रहा है ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी (नेफा)

†८४२. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के लिए उत्तर पूर्वी सीमान्त ऐजेन्सी (नेफा) के लिए पुनरीक्षित नियत राशि क्या है ; और

(ख) दूसरी योजना की तुलना में यह कैसी है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री च० रा० पट्टाभिरामन) :** (क) नेफा के पूंजीगत व्यय में तीसरी योजना में कोई संशोधन नहीं किया गया ।

(ख) दूसरी और तीसरी योजनाओं में पूंजी व्यय की नियत राशियों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या १५५५/६३]

†मूल अंग्रेजी में,

इल्मेनाइट

†८४३. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या प्रधान मंत्री ४ मार्च, १९६३, के तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल से इल्मेनाईट के निर्यात के लिये नये बाज़ार ढूंढ़ने के प्रसासों में क्या प्रगति हुई ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** त्रावनकोर मिनरलस लिमिटेड द्वारा मार्च और अप्रैल, १९६३ की अवधि में (नौवहन का मौसम १५ अप्रैल १९६३ को समाप्त हो गया था) संयुक्त राज्य अमरीका को लगभग १३,००० मीट्रिक टन क्विलोन श्रेणी का इल्मेनाईट निर्यात किया गया, जो पहिले किये गये वचनों के अतिरिक्त था।

क्विलोन श्रणी के इल्मेनाईट की अग्रेतर बिक्री के लिये विभिन्न व्यापारियों से समझौता वार्ता चल रही है ।

भूदान

†८४४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी भूमि संग्रहीत की गई है ; और

(ख) इसमें कितनी भूमि अब तक वितरित हो चुकी है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री च० पट्टाभिरामन) :** (क) तथा (ख). अखिल भारत सर्व सेवा संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार, ३१ मार्च, १९६३ तक, भदान में ४१,८५,०५७ एकड़ भमि प्राप्त हुई जिसमें से १०,१५,७४१ एकड़ बांट दी गई है । लगभग १४ लाख एकड़ भूमि खेती के लिये अयोग्य समझी जाती है ।

प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना

†८४५. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने से उत्पादिता पर जो प्रभाव पड़ता है उसका कोई निर्धारण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) :** (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के स्थापित होने के परिणामस्वरूप अधिकतर मामलों में उत्पादिकता पर अच्छा प्रभाव पड़ा है ।

'कोहेनूर का लुटेरा' नाटक

†८४६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कोहेनूर का लुटेरा' नाटक देश के सभी भागों में खेला गया था;

(ख) किन किन स्थानों पर और कितने दिन यह खेला गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह नाटक जनता को मुफ्त दिखाया गया था अथवा कुछ टिकट ली गयी थी ; और

(घ) कितना टिकट लिया गया, यदि लिया गया तो, और उसका प्रयोग किस प्रकार किया गया अथवा किया जा रहा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** :(क) तथा (ख). 'कोहेनूर का लुटेरा' नाटक अब तक १२ विभिन्न स्थानों पर ५१ दिन खेला गया है। यह पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में खेला गया ।

(ग) यह जनता को मुफ्त दिखाया गया था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विशेष धातु मिश्रित इस्पात संयंत्र

†८४७. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० ना० खां :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस विशेष धातु मिश्रित इस्पात संयंत्र के कानपुर में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है अब वह किसी भिन्न क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** :(क) तथा (ख). प्रतिरक्षा खण्ड में एक विशेष धातु मिश्रित इस्पात संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताल अभी विज्ञाराधीन है और अभी इसका अनुमोदन नहीं किया गया है । उचित समय पर अन्य उपयुक्त स्थानों के साथ साथ कानपुर स्थान के बारे में भी विचार किया जायेगा ।

यूरेनियम

†८४८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जादूगुदा खानों से आने वाले कच्चे यूरेनियम को शुद्ध करने के लिये एक यूरेनियम मिल स्थापित की जायगी ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित की जायेगी और इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत होगी ; और

(ग) इस परियोजना के लिये क्या विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि हां, तो उसकी राशि कितनी होगी ?

†**प्रधान मंत्री वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**:(क) से (ग). जी हां । १,०००० मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता की एक यूरेनियम मिल ४.३४ करोड़

†मूल अंग्रेजी में

रुपये की अनुमानित लागत पर बिहार राज्य में, जादूगुदा में, यूरेनियम खानों के निकट स्थापित की जा रही है। इस परियोजना के लिये लगभग १२० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा आवश्यक होगी ।

नागा विद्रोहियों सम्बन्धी समस्यायें

†८४९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा विद्रोह संबंधी समस्याओं को हल करने के लिये श्री स्काट और फ़िज़ो क्या अब भी भारत सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा अभी हाल में उनको क्या उत्तर दिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारत सरकर को श्री स्काट और श्री फ़िज़ो से अग्रेतर कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ ।

(ख) इस लिये सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिंगापुर में भारतीय

†८५०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सिंगापुर आप्रवास विधि के कारण भारतीय व्यापारियों तथा भारतीय उदभव के उन लोगों को जो दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार कर रहे हैं बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी नहीं । भारतीय व्यापारियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती और नहीं उनके साथ भेदभाव का बर्ताव होता है ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

†८५१. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जाहनसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के एक उपनगर के 'श्वेत खण्ड' में से ५,००० भारतीयों को निकल जाने का आदेश दिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां । प्रैस की रिपोर्टों के अनुसार भारतीय उदभव के ५,००० लोगों को, जो जाहनसबर्ग के 'श्वेत खण्ड' उपनगर में रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका रंग भेद विधियों के अन्तर्गत अपने मकानों को खाली कर देने का आदेश मिला है ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड द्वारा विमानों का निर्माण

८५२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर द्वारा कनाडा के औटर विमान के नमूने के आधार पर एक छोटा परिवहन विमान बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषतायें क्या होंगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इसके बनाने में कोई सफलता प्राप्त हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इनको अधिक संख्या में बनाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत विरोधी प्रचार

८५३. **श्री बाल्मीकी**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रति निन्दात्मक पाकिस्तानी व चीनी रेडियो प्रचार को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) किस किस विदेशी भाषा में आकाशवाणी द्वारा प्रचार का प्रतिवाद किया जा रहा है ; और

(ग) इसके लिए विदेशी भाषावार प्रतिदिन कितना समय नियत है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करने और हमारे देश के विरुद्ध चीनी और पाकिस्तानी प्रचार का निराकरण करने के लिये आकाशवाणी की देशी और विदेशी सेवाओं में बहुत सी वार्ताएं, समीक्षाएं, भेंटें, कविताएं, कहानियां, फ़ीचर कार्यक्रम और विशेष तौर से लिखवाये गए गीत नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं ।

भारत के पक्ष को प्रस्तुत करने और चीनी प्रचार का निराकरण करने के लिए देशी सेवाओं में दैनिक फ़ीचर कार्यक्रम, "इंडिया एण्ड दि ड्रैगन" अंग्रेज़ी में, और "हमारी प्रतिज्ञा" हिन्दी में प्रसारित किए जाते हैं । इसी उद्देश्य से साप्ताहिक समीक्षा भी प्रसारित की जाती है । ये कार्यक्रम प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारित किए जाते हैं । इनके अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रों द्वारा काफ़ी संख्या में वार्ताएं, गोष्ठियां इत्यादि भी प्रसारित की जाती हैं । पाकिस्तानी प्रचार का निराकरण करने के लिए कश्मीरी, डोगरी, उर्दू और बंगला में भी प्रतिदिन समीक्षाएं प्रसारित की जाती हैं ।

विदेशी सेवाओं के अन्तर्गत, प्रत्येक विदेशी भाषा के कार्यक्रम में कम से कम एक समाचार बुलेटिन और एक समीक्षा होती है, जिसमें मुख्यत: संकटकाल सम्बन्धी विषय होते हैं और भारत की अखंडता को चुनौती का मुकाबला करने के लिए देश के प्रयत्नों की झलक दी जाती है ।

(ख) भाषाएं ये हैं :—

अंग्रेज़ी	पश्तो
फ्रांसीसी	तिब्बती
पुर्तगाली	नेपाली
स्वाहिली	बरमी
अरबी	इन्डोनेशी
फ़ारसी	चीनी (कुओयू और कैंटोनी)

(ग) विदेशी भाषाओं के प्रसारणों (समाचारों सहित) का औसत दैनिक समय इस प्रकार है :

अंग्रेजी	६५	मिनट (लगभग)
फ्रांसीसी	३५	,, ,,
पुर्तगाली	२०	,, ,,
स्वाहिली	३०	,, ,,
अरबी	३५	,, ,,
फ़ारसी	३५	,, ,,
पश्तो	३५	,, ,,
तिब्बती	२५	,, ,,
नेपाली	२५	,, ,,
बरमी	३५	,, ,,
इन्डोनेशी	३५	,, ,,
चीनी (कुओयू और कैंटोनी)	३०	,, ,,

राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्

†८५४. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) इस की रचना कब तक किये जाने की संभावना है ; और

(ग) परिषद् की पहली बैठक में किन मामलों पर विचार किये जाने की सम्भावना है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) से (ग). २ फरवरी, १९६३ के सरकारी संकल्प के अन्तर्गत राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् पहले ही स्थापित हो चुकी है। यह संस्था पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत ११ जुलाई, १९६३ को एक संस्था के रूप में पंजीकृत हो गयी थी। १४–८–६३ को इस की पहली बैठक में वर्ष १९६३–६४ के लिये इस के आयव्ययक अनुमानों का अनुमोदन किया गया। नियमों के अन्तर्गत परिषद का शासन निकाय भी गठित हो गया है।

कोठागुडियम में बहुप्रयोजनीय संस्था

†८५५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ८ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडम में बहुप्रयोजनीय संस्था का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस पर कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) टैंडर मांगे गये हैं और निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा।

(ख) ५४,०३० रुपये प्रति संस्था कर्मचारियों के क्वार्टरों सहित।

(ग) निर्माण कार्य आरम्भ होने के ६ मासों में।

कोयला खानों के लिये क्वार्टर

†८५६. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कल्याण संगठन का वर्ष १९६३–६४ की अवधि में उन क्षेत्रों में क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है जिन में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी काम कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टर बनाये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इन क्वार्टरों पर अनुमानतः लागत कितनी होगी ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) तथा (ख). कोयला खान श्रम कल्याण निधि को नये आवास और कम लागत वाली आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकानों का आवंटन हर साल नहीं किया जाता। सिंगरेनी कोलियरीज़ को कम लागत वाली आवास योजना के अन्तर्गत पहले ही आवंटित २१०० मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। कोयला खानें भी ३९५० अतिरिक्त मकान बना रही हैं जिन का उन के भविष्य के कोटे के लिये समायोजन नई आवास योजना के अन्तर्गत किया जायगा।

(ग) मकानों की अनुमानित लागत निम्न प्रकार है :—

२१०० मकान	२७,३०,००० रुपये
३९५० मकान	१,२२,४५,००० रुपये

नेफा में भूतपूर्व सैनिक

८५७. श्री भक्त दर्शन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २२ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी (नेफा) में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि पर बसाने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) उस स्वीकृत योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) नेफा प्रशासन ने एक विस्तृत योजना बनाई है, और आशा है शीघ्र ही वह सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) यह प्रश्न इस समय नहीं उठता।

†मूल अंग्रेजी में

जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड

८५८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री १ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों को स्थाई करने के बारे में किन-किन राज्यों ने सहमति प्रकट की है ; और

(ख) इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) मैसूर, असम, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और गुजरात तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के संघ क्षेत्र।

(ख) अन्य राज्य सरकारों के निर्णयों की प्रतीक्षा की जा रही है।

छावनी बोर्ड

८५९ **श्री भक्त दर्शन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री २९ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत भर के विभिन्न छावनी बोर्डों का कार्य हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषाओं में सम्पादित करने के बारे में कौन कौन सी कठिनाइयां बताई गई हैं ; और

(ख) उन कठिनाइयों को दूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) मुख्यत: निम्न कठिनाइयां बताई जाती हैं :—

(१) छावनी अधिनियम, १९२४ और उसके अधीन बनाए गए नियम और अधिनियम अंग्रेजी में हैं ।

(२) बहुत सी छावनियों के निर्वाचित सदस्यों को कार्य चलाने के लिये हिन्दी का ज्ञान नहीं है।

(३) कमान अफसर स्टेशन और कई एक सैनिक अधिकारी छावनी बोर्ड के, नामांकित अथवा पदेन सदस्य होते हैं। यह अधिकारी तथा छावनी के एग्जीक्यूटिव अफसर स्टेशनों के अतिरिक्त देश भर की छावनियों में नियुक्त किए जा सकते हैं। इस लिए उन्हें विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं में कार्य-दक्षता अर्जित कर पाना कठिन है।

(४) प्रशासनिक कारणोंशव सभी छावनियों में समान कार्य प्रणाली बनाए रखना आवश्यक है।

(ख) समस्त मामला विचाराधीन है।

काबुल में भारतीय दूतावास के लिये भवन

†८६०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० के० देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का प्रस्ताव काबुल में भारतीय दूतावास और चांसरी के लिये एक नये भवन के निर्माण करने का है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य तथा फर्नीचर पर अनुमानित व्यय कितना होगा और वह काम कितने समय में पूरा हो जायगा ; और

(ग) वास्तु प्ररचना का ब्योरा क्या है ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां। सरकार ने काबुल के डिप्लोमैटिक एन्क्लेव में सर्वोत्तम प्लाटों में से एक खरीदा है, जो १० जरीब (लगभग ५ एकड़) है और ९९ साल के पट्टे पर है और १,९९,१२५/- रुपये की लागत का है।

(ख) तथा (ग). अनुमान और योजनायें अभी तैयार नहीं की गई। इन्हें तैयार करने के लिये एक सरकारी वास्तु कलाकार को शीघ्र ही काबुल भेजा जा रहा है।

प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये "प्ररचना विभाग"

†८६१. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये अग्रिम "प्ररचना विभाग" स्थापित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार के विभाग पहले भी स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है और वह कहां कहां स्थित हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) तथा (ख). अनुसन्धान तथा विकास संगठनों की स्थापनाओं में प्ररचना कार्य पहले ही किया जा रहा है ; आयुध कारखानों के ड्राईंग कार्यालयों में और प्रतिरक्षा के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की स्थापनाओं में भी यह काम पहले से हो रहा है।

(ग) आयुध कारखानों में और दो सरकारी क्षेत्र की स्थापनाओं में, अर्थात् भारत एलैक्ट्रानिक्स लि० और हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड।

भूतपूर्व सैनिक

†८६२. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक वाईनाद बस्ती बनाने की योजना के अन्तर्गत कितने भूतपूर्व सैनिक बसाये गये हैं ;

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्या है जिन्हें अब तक अनुदान दिये गये हैं और कितने आवेदन-पत्र अभी लम्बित हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में,

(ग) क्या इस बस्ती में बहुत से उपक्रमण हुए हैं, और भूतपूर्व सैनिकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) १९९८।

(ख) १९१७। बकाया लोगों को बिजियों की कमी के कारण अनुदान नहीं दिये गये।

(ग) बस्ती में लगभग २,००० उपक्रमण हुए हैं और भूतपूर्व सैनिकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के प्रश्न पर केरल सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

परिवार पेंशन

†८६३. श्री हेम राज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को, जिन्हें वी० सी० ओज० और अन्य श्रेणियों में से गत विश्व युद्ध में १९४२ के ए० आई० (आई०) १४ के अन्तर्गत आपात कमीशन मिले थे, परिवार निवृत्ति वेतन और शिशु भत्ते देने से इन्कार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) पुरानी सेवा निवृत्ति संहिता में दिये गये भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये सेवा निवृत्ति नियम उन नियमों पर आधारित थे जो ब्रिटिश अधिकारियों पर लागू होते थे। १९४२ में निकाले गये आदेशों द्वारा यह नियम सेवा कर रहे वी० सी० ओज० (अब जी० सी० ओज०) और अन्य श्रेणियों के अधिकारियों पर, जिन्हें गत युद्ध में आपात कमीशन दिया गया था, लागू कर दिये गये । चूंकि एक ब्रिटिश आपात कमीशन अधिकारी की विधवा साधारण परिवार निवृत्ति वेतन के लिये हकदार नहीं थी, जैसे कि एक नियमित अधिकारी की विधवा हकदार थी इस लिये भारतीय ई० सी० ओज० (पदोन्नति ज० सी० ओ०/ ओ० आर०) की विधवाओं को साधारण परिवार निवृत्ति वेतन दिये जाने के लिये आदेशों में उपबन्ध नहीं किया गया। वर्ष १९६३ तक, भारतीय सेना के अन्य पंक्तियों तथा वी० सी० ओज० के परिवारों को साधारण परिवार निवृत्ति वेतन नहीं मिल सकता था। अयोग्यता तथा विशेष परिवार निवृत्ति वेतन निसन्देह नियमित आई० सी० ओज० के समान सभी ई० सी० ओज० को मिलते थे।

†मूल अंग्रेजी में

आसाम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद

†८६४. श्री ख० का० भट्टाचार्य :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प्र० के० देव :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड और आसाम के बीच सीमा के सीमांकन के ऊपर एक विवाद खड़ा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सीमा विवाद को हल करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) नागा नेताओं ने पहली बात चीत के दौरान आसाम और नागालैंड के बीच कुछ क्षेत्रों में ठीक ठीक सीमांकन के बारे में कुछ सन्देह प्रकट किये थे। इन क्षेत्रों में हो रहे लकड़ी के काम के कारण सीमान्त ग्रामों के नागाओं में शिकायत की भावना पैदा हो गयी है।

(ख) नागालैंड प्राधिकारियों को परामर्श किया गया है कि दोनों पक्षों के उपायुक्तों द्वारा १९२५ की अधिसूचना के अनुसार एक सीमा रेखा निर्धारित करा ली जाय।

रूस स्थित भारतीय दूतावास की पत्रिका

८६५. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस स्थित भारतीय दूतावास ने रूसी भाषा में कोई पत्रिका निकालना शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय उसकी कितनी प्रतियां छप रही हैं ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). भारतीय राजदूतावास, मास्को से प्रति सप्ताह दो बुलेटिन प्रकाशित किए जाते हैं, एक रूसी भाषा में और दूसरा अंग्रेज़ी में। भारतीय जीवन पर रूसी भाषा में एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करने का विचार है। इस बारे में भारतीय राजदूतावास और सोवियत अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। ब्यौरे तय होते ही पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हो जाएगा। शुरू-शुरू में इसकी ५,००० प्रतियां प्रकाशित करने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नाल हवाई अड्डा

८६६. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री जं० ब० सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाल हवाई अड्डे के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप की जो जांच हो रही थी क्या वह पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) नाल हवाई अड्डे के सीमेण्ट-राशि की पड़ताल करने पर पता चला की सीमेण्ट के हिसाब-किताब में कोई गड़बड़ी नहीं है।

दोहना हवाई अड्डा

८६७. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली जिले में दोहना के निकट बन रहे हवाई अड्डे पर कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है।

(ख) कब तक यह कार्य सम्पन्न हो सकेगा ; और

(ग) किसानों की कितनी भूमि इस योजना के अन्तर्गत ली गई है और क्या उस भूमि का समस्त मुआवजा दे दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

(ख) जून, १९६४ के अन्त तक।

(ग) ८५३ एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है। चूंकि सम्बद्ध मामले का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्वविभाग द्वारा विलम्बित है, अभी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

दिल्ली में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

८६८. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में २५ प्रतिशत वृद्धि हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ; और

(ग) गत वर्ष की अपेक्षा जून मास में मूल्य देशनांक क्या रहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) दिल्ली में औद्योगिक कामगरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार १९६०-१००) जनवरी, १९६३ से तीन महीनों तक १०८ रहा और अप्रैल, १९६३ में बढ़ कर ११० हो गया। इसके पश्चात यह जून, १९६३ तक ११० पर स्थिर रहा।

(ख) दिल्ली में कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १५५६/६३]

(ग) दिल्ली के औद्योगिक कामगरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार १९६०-१००) जून, १९६३ में ११० था जबकि जून, १९६२ में यह १०७ था।

तिब्बती शरणार्थी बच्चे

८६९. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत से आने वाले शरणार्थी बच्चों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) कितने बच्चे विदेशी संस्थाओं द्वारा गोद लिए गए ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ५ वर्ष से कम उम्र के कोई २,००० तिब्बती शरणार्थी बच्चे और ५ से १८ वर्ष की उम्र के करीब ६,००० बच्चे भारत में हैं।

(ख) अब तक ३३१ तिब्बती शरणार्थी बच्चे विदेश गए हैं जिनमें से १२१ को तो लोगों ने गोद ले लिया है, २०१ अध्ययन के लिए गए हैं और ९ बच्चे अपने अभिभावकों के साथ स्थायी रूप से वहां बसने के लिए चले गए हैं।

पाकिस्तानियों का अनधिकार प्रवेश

†८७०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानियों ने १७ मई, १९६३ को सीमान्त गांव हेमकुमारी में, जो कूच बिहार जिले के हल्दीबाड़ी पुलिस स्टेशन के अधीन है, भारत-पाकिस्तान सीमा सीमांकन चिह्नों को हटा कर उन्हें भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर लगा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ ; और

(ग) उन सीमांकन चिह्नों को उनके उचित स्थानों पर दुबारा लगाने के लिये और अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). इस वर्ष मई में, लगभग ६४ वर्ग गज क्षेत्र के भीतर, एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन ने कृषि भूमि के एक टुकड़े में अनधिकार प्रवेश किया, जो एक भारतीय राष्ट्रजन का था और जो भारतीय राज्य-क्षेत्र के भीतर, कूंच बिहार जिले में (पश्चिम बंगाल), हेमकुमारी गांव में, पुलिस स्टेशन हल्दीबाड़ी, भारत-पाक सीमा पर स्थित था। यह अनधिकार प्रवेश उस 'एल' (मिट्टी की उठी हुई सीमा) को गिरा कर किया गया जो भारतीय सीमा की भूमि और पाकिस्तानी सीमा की भूमि को अलग करती थी। उस 'एल' को भारतीय राज्य क्षेत्र के काफी भीतर लगा दिया गया।

†मूल अंग्रेजी में .

भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच स्थल नियम करार के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार और ढाका में उप उच्चायुक्त द्वारा पूर्वी पाकिस्तान सरकार को मामले की तुरन्त जांच के लिये और सीमा 'एज' को उपयुक्त स्थान पर लगाने के लिये विरोध पत्र भेजे गये थे।

आसाम का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण

†८७१. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा क्या आसाम का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस सर्वेक्षण के प्रकाश में योजना आयोग का प्रस्ताव कुछ और औद्योगिक तथा अन्य परियोजनायें चालू करने का है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड

†८७२. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड काम कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का प्रस्ताव ऐसे बोर्डों के सभी राज्यों में चालू करने का है; और

(ग) चीन के साथ हमारे हाल ही के सीमा भिड़न्त के दौरान घायल सैनिक कर्मचारियों के पुनर्वास के लिये ये बोर्ड क्या योग दे रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ये बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा घायल सेना कर्मचारियों और उनके परिवारों/उन पर निर्भर लोगों के लिये, जिस राज्य की सीमा में वे रहते हैं, स्वीकृत विभिन्न सहूलियतों को दिलाने में उनकी सहायता करते हैं। मुख्यतया, ये रियायतें हैं भूमि का आवंटन, शिक्षा सुविधायें, वित्तीय तथा काम पर लगाने सम्बन्धी सहायता, रोजगार तथा तकनीकी प्रशिक्षण।

गोदी मजदूर आवास योजना

†८७३. **श्री प० कुन्हन** : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदी मजदूर आवास योजना के सम्बन्ध में तीसरी योजना के पहले दो वर्षों के लिये निर्धारित पूरी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) योजना के पहले दो वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत कितने मकान बनाये गये ;

(घ) योजना को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (घ). गोदी श्रम बोर्ड गोदी मजदूरों के आवास सम्बन्धी ऋण वित्त योजना से सहमत नहीं हुआ और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि कम से कम औद्योगिक मजदूरों सम्बन्धी राज्यसाहाय्य प्राप्त आवास योजना में उपबन्धित राशि तक की राज्यसाहाय्य का उपबन्ध हो। यह व्यवहार्य प्रतीत नहीं हुआ, और यह निश्चय किया गया कि उन्हें २० प्रतिशत तक की राज्यसाहाय्य दी जाये। तदनुसार विभिन्न बोर्डों के परामर्श से एक योजना तैयार की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

(ग) योजना के अन्तर्गत अभी कोई मकान नहीं बनाये गये। तथापि बम्बई गोदी श्रम बोर्ड ने अपने खर्च से ५७१ मकान बनाये हैं और इस समय मद्रास गोदी श्रम बोर्ड द्वारा १२० मकान बनवाये जा रहे हैं।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा,[1] बैरकपुर

†८७४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बैरकपुर और बैरकपुर छावनी में रहने वाले सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता और मकान भाड़ा भत्ता दिये जाने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन)** : (क) और (ख). दक्षिण बैरकपुर और बैरकपुर छावनी में रहने वाले कर्मचारी केवल उसी स्थिति में यह भत्ते पाने के हकदार हैं यदि उनके कार्य करने का स्थान इस सम्बन्ध में निकाले गये सामान्य आदेशों में उल्लिखित वर्गीकृत क्षेत्रों में स्थित हैं। इन आदेशों के अनुसार दक्षिण बैरकपुर और बैरकपुर छावनी वर्गीकृत क्षेत्रों में नहीं आते। इसके अतिरिक्त, उत्तर बैरकपुर नगरपालिका के सम्बन्ध में निकाले गये कुछ विशेष आदेशों के अनुसार दक्षिण बैरकपुर और बैरकपुर छावनी में रहने वाले कर्मचारी (जिनमें सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) उत्तर बैरकपुर के लिये निर्धारित दरों के अनुसार प्रतिकर (नगर) तथा मकान भाड़ा भत्ता पाने के हकदार हैं, यदि वे उत्तर बैरकपुर स्थित सरकारी स्थापनाओं में कार्य कर रहे हों। उत्तर बैरकपुर के लिये लागू होने वाले विशेष आदेशों को दक्षिण बैरकपुर और बैकरपुर छावनी के सम्बन्ध में लागू करने के लिये भेजे गये अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था किन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया।

सीमान्त सैनिक कार्यवाही सहायता कोष

†८७५. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "सीमान्त" सैनिक कार्यवाही सहायता कोष" नामक किसी कोष की स्थापना की गई है ;

(ख) इस कोष में लगभग कितनी राशि है ; और

(ग) इस कोष का उपयोग किस प्रयोजन के लिये किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) सीमान्त सैनिक कार्यवाही सहायता कोष की स्थापना अक्तूबर, १९६२ में की गई थी किन्तु दिसम्बर, १९६२ में इसे राष्ट्रीय रक्षा कोष में मिला दिया गया है और अब इसका कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]M.E.S

(ख) राष्ट्रीय रक्षा कोष में मिलाये जाने के समय इस कोष में २,११,१९६.२० रुपये शेष थे।

(ग) यह कोष चीनी आक्रमण के विरुद्ध सैनिक कार्यवाहियों में भाग लेने वाले सैनिक कर्मचारियों को सुविधायें पहुंचाने, और संक्रियाओं में विकलांग हुये सैनिक कर्मचारियों के कष्ट दूर करने और सैनिक कार्यवाही के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले अथवा लापता अथवा बन्दी बनाये गये सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों के कष्टों को दूर करने के लिये स्थापित किया गया था। इसी प्रकार की सुविधायें अब राष्ट्रीय रक्षा कोष के अनुदानों से दी जाती हैं।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के फालतू मजदूर

†८७६. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेस्टर्न कमाण्ड में सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के कुछ मजदूरों को आवश्यकताओं की तुलना में फालतू घोषित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख). इंजीनियर पार्क, जलंधर में १२ बढ़ई एक विशेष कार्य के लिये इस स्पष्ट शर्त पर कि जिन्हें उन्होंने लिखित में स्वीकार कर लिया था, कार्य समाप्त हो जाने पर उन्हें हटा दिया जायेगा, नियुक्त किये गये थे। उन सब को दूसरा काम दे दिया गया है।

मोज़ाम्बिक में भारतीय

†८७७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प० के० देव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री द्वारकादास मंत्री :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल सरकार ने भारतीय राष्ट्रजनों के हितों की रक्षा करने के लिये संयुक्त अरब गणराज्य के सरकारी प्रतिनिधि को मोज़ाम्बिक जाने की आज्ञा दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच वह प्रतिनिधि मोज़ाम्बिक गये थे;

(ग) वहां जाने के बाद प्रतिनिधि ने क्या मत प्रकट किया; और

(घ) वहां भारतीय हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). लिस्बन स्थित संयुक्त अरब गणराज्य दूतावास के प्रथम सचिव जुलाई-अगस्त, १९६२ में मोज़ाम्बिक गये थे और पुर्तगाली अधिकारियों से एक लम्बे समय तक वार्ता चलने के बाद फिर जून, १९६३ में वहां गये थे। पहला दौरा मुख्यतः खोज सम्बन्धी था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) संयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधि के दूसरे दौरे के सम्बन्ध में दिये गये प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि पुर्तगाली मोज़ाम्बिक में भारतीयों की अचल सम्पत्ति को जब्त करने की अपनी नीति को जारी रखने के लिये कृत-संकल्प हैं। ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि भारतीय राष्ट्रजनों की परिसम्पत् की विक्रय-राशि उन्हें दे दी जायेगी अथवा पुर्तगाल परिसमापन समिति द्वारा उन की सम्पत्ति का मूल्यांकन और उन का विक्रय न्यायोचित ढंग से किया गया है। भारतीय राष्ट्रजनों को अपनी अचल सम्पत्ति को अपने पुत्रों के नाम जो पुर्तगाली राष्ट्रजन हैं स्वत्वान्तरित करने का अधिकार नहीं है और अपने माता-पिताओं की सम्पत्ति खरीदने के सम्बन्ध में उनके दायादों को कोई अधिमान नहीं दिया जाता। पुर्तगालियों ने ऐसी भी कोई गारंटी नहीं दी कि उन भारतीय राष्ट्रजनों को, जो अब भी मोज़ाम्बिक में हैं, वहीं रहने दिया जायेगा।

(घ) पुर्तगाली उपनिवेशों में भारतीय हितों की रक्षा करने के लिये भारत सरकार सामान्य राजनयिक कार्यवाही करती रहेगी।

कमरों के सस्ते कूलर

†८७८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० के० देव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला ने कमरों के सस्ते कूलर तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है और कूलर की क्या विशेषतायें हैं; और

(ग) व्यावसायिक स्तर पर उनका निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) साधारण मोडल की अनुमानित लागत, पंखे को छोड़ कर, ७० रुपये है। १।४ हार्स पावर के मोटर और उत्कृष्ट श्रेणी की सामग्रीसहित डीलक्स मोडल की लागत २५० रुपये होगी। वायुकूलर पानी की वेशिका क्रिया का लाभ उठाने की दृष्टि से बनाया गया है और अन्य डेज़र्ट कूलरों के समान कूलिंग मीडियम पर पानी का परिचालन नहीं करता। आशा की जाती है कि इस से पंखा अधिक दिनों तक चलेगा और और इसके चलाने में कम खर्च आयेगा।

(ग) कूलर का एकस्व राष्ट्रीय अनुसन्धान और विकास निगम को इस के व्यापारिक उपयोग के लिये दे दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय रहन-सहन सम्बन्धी प्रयोग[1]

†८७९. **श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "अन्तर्राष्ट्रीय रहन-सहन सम्बन्धी प्रयोग" नामक योजना के अन्तर्गत सौ से अधिक भारतीय लड़के लड़कियों ने अमरीका के लिये प्रस्थान कर दिया है;

(ख) उनके नाम, वल्दियत तथा परिजार के विवरण सहित, क्या हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Experiment in International Living.

(ग) इस सम्बन्ध में कुल कितना व्यय होगा और इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई है; और

(घ) संवरण प्रक्रिया क्या है और संवरण करने वालों के नाम क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां, श्रीमान् । इस योजना के अन्तर्गत ११६ भारतीय लड़के और लड़कियां अमरीका के लिये प्रस्थान कर चुके हैं ।

(ख) आवश्यक जानकारी संलग्न सूची में दी हुई है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-१५५७/६३]**

(ग) सरकार ने कोई व्यय नहीं किया और न ही इस के लिये कोई विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ।

(घ) संगठनकर्त्ताओं द्वारा नियुक्त प्रादेशिक और राष्ट्रीय संवरण बोर्ड ने संवरण किया था । राष्ट्रीय संवरण बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य थे :

१. श्री सी० एम० त्रिवेदी, सदस्य योजना आयोग (सभापति)

२. न्यायाधिपति पी० बी० गजेन्द्र गडकर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

३. श्री जै सुखलाल हाथी, आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री

४. श्री अहमद मुहीउद्दीन (परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री) ।

व्यवसायिक मजूरी सर्वेक्षण

†८८०. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री राम हरख यादव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यावसायिक मजूरी सर्वेक्षण सामान्य प्रतिवेदन (१९५८–५९) के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : मजरी सर्वेक्षण, मजूरी सांख्यिकी, विशेषतया व्यावसायिक मजूरी सामग्री में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिये किया गया था । प्रतिवेदन में निहित जानकारी मजूरी बोर्डों और मजूरी निर्धारित करने वाले अधिकारियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी ।

गैर योजना व्यय

†८८१. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में केन्द्र और राज्यों में गैर-योजना व्यय कितना हुआ;

(ख) क्या गत वर्षों की तुलना में केन्द्र में और राज्यों में गैर-योजना व्यय में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

---

†मूल असेजो में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) से (ग). १९६२–६३ में केन्द्र द्वारा और राज्यों द्वारा चालू राजस्व से किया गया गैर-योजना व्यय २०२४ करोड़ रुपये था। एक विवरण जिस में १९६०–६१ और १९६१–६२ के तत्सम्बन्धी प्राक्कलन दिये हुए हैं सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-१५५८/६३]**

लाओस में स्थिति

†८८२. श्री महेश्वर नायक :
श्री हरिविष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती विमला देवी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
श्री हेम बरुआ :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मे० ना० स्वामी :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, लाओस पर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के सभापति के रूप में, लाओस में चल रही अशांति को दूर करने के सम्बन्ध में कोई कारगर कदम उठा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किस दिशा में ?

†प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). लाओस के लिये पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण सम्बन्धी आयोग के सभापति के रूप में भारत की जिम्मेदारियां लाओस की समस्या के निबटारे के सम्बन्ध में हुए १९६२ के जेनेवा सम्मेलन के संधि प्रारूप (प्रोटोकोल) में दी हुई हैं। खेद का विषय है कि १ अप्रैल, १९६३ को तटस्थता की नीति पर चलने वाले मंत्रि परिषद् के सदस्य श्री कुनिन फोलोना की हत्या के बाद नरेश सुवन्ना फूमा के नेतृत्व में कार्य करने वाली संयुक्त सरकार का कार्य कठिन हो गया है। उनकी सीमाबद्ध जिम्मेदारियों के कारण आयोग लाओस के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। किन्तु जब भी कभी लाओस की सरकार ने सहायता की याचना की है, आयोग ने भारतीय आयुक्त की अध्यक्षता में, यथासम्भव कारगर रूप में, अपना कार्य किया है। आज मुख्य प्रश्न यह है कि लाओस के तीनों दलों या गुटों में फिर समझौता करवा दिया जाये और इस सम्बन्ध में भारतीय आयुक्त की अध्यक्षता में आयोग और सम्मेलन के सह-सभापति के रूप में रूस और ब्रिटेन के राजनयिक प्रतिनिधि निरन्तर सहायता देते रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेह में टेलीफान लाइनें

†८८३. **श्री हेम राज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लेह में महत्वपूर्ण अधिष्ठापनों को जोड़ने वाली टेलीफोन लाइनों को काटने की घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई बदमाश गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी राष्ट्रीयता क्या है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) हां, श्रीमान्; जून २०/२१, १९६३ की रात को सैनिक एक्सचेंज को एक अधिकारियों के मेस में जोड़ने वाली टेलीफोन लाइन काट दी गई थी। सैनिक अधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी। किसी तोड़ फोड़ के कार्य का सन्देह नहीं हुआ।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये भरती

†८८४. **श्री हेमराज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकालीन स्थिति की घोषणा से जुलाई, १९६३ के अन्त तक, राज्य वार, कितने रंगरूट प्रतिरक्षा सेवाओं के तीनों विभागों में भरती हुए; और

(ख) क्या प्रतिक्रिया आशा के अनुकूल हुई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण):** (क) इस जानकारी को सभा के सम्मुख प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) प्रतिक्रिया संतोषजनक और आशा के अनुरूप हुई है। केवल एयर मैन के तकनीकी प्रवर्ग में कुछ कमी रह गई है।

नागालैंड में विदेशी धर्मप्रचारक

८८५. **श्री बड़े :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड में कितने विदेशी धर्म-प्रचारक हैं और वह किन किन देशों के हैं ; और

(ख) नागालैंड में विदेशी धर्म-प्रचारकों के कितने हाई स्कूल, डिग्री कालेज, प्राथमिक स्कूल और हस्पताल हैं ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवहारलाल नेहरू) : (क) और (ख) : केवल एक रोमन कैथोलिक धर्म-प्रचारक है जो इटली का राष्ट्रिक है और वह नागालैंड सरकार की सिफारिश पर १९५२ से रिहायशी अनुमति-पत्र (परमिट) लेकर कोहिमा में रह

†मूल अंग्रेजी में

रहा है। उसका अनुमति-पत्र प्रति वर्ष एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया जाता है। नागालैंड में विदेशी धर्म-प्रचारकों का कोई स्कूल, कालिज अथवा अन्य संस्था नहीं है।

टेलीविजन कार्यक्रम

†८८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कई सौ टेली विजन सैट मालिकों को टेलीविजन कार्यक्रम नहीं मिलते ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)**: (क) दिल्ली में केवल ५२२ टेलीवीजन सेट हैं और उन में से ४५० स्कूल और टेलीवीजन मालिको के नाम हैं। स्कूलों के लिये कार्यक्रम छः दिनों में ८० मिनटों के लिये और टेलीविजन क्लबों के लिये सप्ताह में दो कार्यक्रम होते हैं।

(ख) जब अधिक स्थान उपलब्ध हो जायेंगे, स्कूलो और टेलीवीजन क्लबों के कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा।

पंजाब में भरती

†८८७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में भरती मेले लगाय गये थे और मई १९६३ में होशियारपुर में लोग बड़ी संख्या में भरती के लिये आये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भरती स्टाफ कम होने के कारण, जवानों को निराश लौटना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो पर्याप्त संख्या में भरती करने वाले कर्मचारी न भेजने के क्या कारण थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वान)** : (क) जी हां।

(ख) जी नही। पर्याप्त संख्या में भरती कर्मचारी भेजे गये थे। जिनको निराश लौटना पड़ा, वे अस्वीकृत लोग थे, जो नियत स्तर के नहीं निकले।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब के पिछड़े क्षेत्र

†८८८. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री हेम राज :

क्या योजना मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी और तीसरी पंच वर्षीय योजनाओं में पंजाब के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये पंजाब सरकार को क्रमशः कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(ख) किन मुख्य शीर्षों पर यह खर्च किया गया है या किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चं० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १५५९/६३]

अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी फिल्म

†८८९. श्री दलजीत सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २९ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी एक फिल्म बनाने के मामले में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): निर्माता ने विषय के निष्पादन के दृष्टिकोण से संशोधित स्क्रिप्ट तैयार करने के में कुछ कठिनाइयां व्यक्त की हैं और व्यक्तिगत चर्चा करने का सुझाव दिया है । उसे दिल्ली वापिस आने के लिये कहा गया है ।

विमान डिपो, कानपुर

८९०. श्री बड़े :
श्री उ० मु० त्रिवेदी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित एयर-क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो घाटे पर चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना घाटा हर साल होता है ; और

(ग) क्या उक्त डिपो को पब्लिक सैक्टर में परिवर्तित करने का शासन का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) तथा (ख). कानपुर का विमान निर्माण डिपो भारतीय वायु सेना की वायु तथा ग्लाइडर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक विभागीय संस्था के तौर पर चलाया जा रहा है, कानपुर का विमान निर्माण डिपो किसी औद्योगिक संस्था के तौर पर नहीं चलाया ग जा रहा है, इस लिये उस संस्था के चलाने में हानि लाभ का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस संस्था के प्रबन्ध के लिये एक पब्लिक लिमिटिड कम्पनी बनाने का सुझाव विचाराधीन है ।

भोजपुरी लोक नृत्य

८९१. डा० महादेव प्रसाद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजपुरी के लोक-नृत्यों पर कोई वृत्त-चित्र तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) अन्य लोक-भाषाओं से सम्बन्धित लोक-नृत्यों पर बने वृत्त-चित्रों का विवरण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) : सवाल नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) : फिल्म विभाग ने भारत के लोक-नृत्यों पर अब तक निम्नलिखित फिल्में तैयार की हैं :—

(१) भारत के लोक -नृत्य (रंगीन) १९५३ .	इसमें बिहार और बंगाल के संथाल नृत्य, उत्तर प्रदेश का युद्ध नृत्य और थाली नृत्य , उड़ीसा का कोया नृत्य और सौराष्ट्र का पन्धरा नृत्य शामिल हैं ।
(२) धरती की झंकार (रंगीन) १९५७	इसमें निम्नलिखित नृत्य शामिल हैं : राजस्थान का गनगौर पूजा नृत्य, हिमालय के महासू क्षेत्र, पंगो घाटी, कुलू घाटी के नृत्य, दक्षिण के बंजारों, केरल, मलाबार के मोपलाओं, मणिपुर, तामिलनाद्, कश्मीर के नृत्यों, गोंडों व बैगाओ, के नृत्य, सौराष्ट्र की रास लीला, गुजरात का गरबा, असम, नागालैंड, दार्जिलिंग के और महाराष्ट्र के कोलियों के नृत्य और पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा ।
(३) नाचते कदम (दि डांसिंग फीट) (रंगीन) १९६२ ।	धरती की झंकार का संक्षिप्त संस्करण ।
(४) मध्य प्रदेश के लोक-नृत्य (सादी) १९६२ ।	इसमें ओराओं का सुरहाल नृत्य, माडियों का गौड़ नृत्य, जगदलपुर क्षेत्र का परब नृत्य, बैगाओं का बैगा नृत्य, गोडों का गोंडी नृत्य और भील नृत्य शामिल है ।
(५) सौराष्ट्र के लोक-नृत्य (रंगीन) १९६३	इसमें पधरों, कोलियों, मैडों के नृत्य, टिटोला नृत्य, दादिया रास नृत्य, रसद नृत्य और गुनफगुथन नृत्य शामिल हैं ।

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल का वायु विभाग

८९२. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के छात्रो के प्रशिक्षण के लिये "एयर विंग" की स्थापना का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एमरजेंसी कमीशन

†८९३. **श्री प्र० के० देव :**
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिंहा रेड्डी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात कालीन भरती के पहले दस्ते में कितने अफसरों को कमीशन दिया गया है ;

(ख) इस काम के लिये किस तारीख को पासिंग आउट पैरेड हुई थी, और

(ग) क्या अफसरों को सरकारी तौर पर उसी दिन कमीशन दे दिया गया था, या नहीं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान)** : (क) : १०२२

(ख) २९ जून १९६३ ।

(ग) केडिटों को सरकारी तौर पर ३० जून १९६३ में कमीशन दिया गया । पासिंग आउट पैरेड कैडिटों के प्रशिक्षण का अन्तिम दिन माना जाता है और वे पासिंग आउट पैरेड की मध्यरात्रि के पश्चात ही कमीशन के हकदार होते हैं जब उनके द्वारा सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया माना जाता है ।

कुछ कैडिटों को, जिन्होने अपनी शिक्षा या जन्म के प्रमाण पत्र नहीं दिये थे, प्रारम्भ में ३० जून १९६३ को कमीशन नहीं दिया गया । उन प्रमाणपत्रों के पेश किये जाने पर उन को ३० जून, १९६३ से ही कमीशन दे दिया गया ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†८९४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १९ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी में रहने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ देने के बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कर्मचारियों के परिवारों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिये क्या अन्तरिम प्रबन्ध किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चव्हाण)** : (क) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की एक डिस्पैंसरी दिल्ली छावनी में चल रही है, जो उन लोगों के लिये है जो दिल्ली/नई दिल्ली में काम करते हैं किन्तु रहते दिल्ली छावनी में हैं । उन लोगों के लिये जो दिल्ली छावनी में रहते और वहीं काम करते हैं, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार करने के लिये भूमि नियत कर दी गई है । क्योंकि निर्माण में कुछ समय लगने की संभावना है, अन्तरिम उपाय के तौर पर उपयुक्त स्थान देने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(ख) अभी तक जो परिवार अं० स्वा० से० योजना के अन्तर्गत नहीं आये, वे असैनिक हस्पतालों में निःशुल्क बाहरी।अन्दरूनी इलाज के हकदार हैं (जिन में दिल्ली छावनी का छावनी जनरल हस्पताल शामिल है) केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा) नियमों के अन्तर्गत और इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय की राशि इन नियमों के अन्तर्गत उन को वापिस मिल सकती है ।

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक विवाद अधिनियम

†८९५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार "हस्पताल" को औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के अन्तर्गत लाने के लिये इसे 'उद्योग' की श्रेणी में रखा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ 'हस्पताल' औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के अन्तर्गत इस उपबन्ध से बाहर रख गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो श्रम विधियों के लागू होने के सम्बन्ध में सरकारी और गैरसरकारी हस्पतालों के बीच भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय है कि असैनिक अस्पताल औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ में दी गई परिभाषा के अनुसार 'उद्योग' की परिभाषा के अन्दर आयेंगे ।

(ख) प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन हस्पतालों के बारे में जो प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, सरकार को परामर्श दिया गया है कि उन हस्पतालों को चलाने का काम स्वायत्त कार्य होगा अतः वे अधिनियम की परिभाषा के अनुसार उद्योग नहीं होंगे ।

(ग) चूंकि सरकार या गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा चलाये गये असैनिक हस्पताल इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं, सरकारी और गैरसरकारी हस्पतालों के बीच भेदभाव का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अपहृत भारतीय

†८९६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सीमा बल ने ३० जून १९६३ को त्रिपुरा के होरीपुर गांव से तीन भारतीयों का अपहरण किया ; और

(ख) यदि हां, तो उन को छुड़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अनुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) त्रिपुरा सरकार और ढाका स्थित हमारे उप उच्चायुक्त ने पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों से विरोध किया है और भारतीय राष्ट्र जनों को तुरन्त मुक्त कर देने एवं पाकिस्तानी उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है ।

युद्ध बोनस

†८९७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४६ में असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को दिया गया युद्ध बोनस उन से वसूल किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों से कोई वचन नहीं लिया गया था कि यह धन उन से कभी वापिस लिया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण इसकी वसूली की जा रही है ; और

(घ) सरकार ने पहले ही वसूल कर ली राशि को लौटाने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० दा० रा० चव्हाण)**: (क) और (ग) असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों से, जिन्हें युद्ध बोनस दिया गया था और जिन्हों ने कोई लड़ाई युद्ध सेवा नहीं की थी और जिन्हें स्थायी बना दिया गया है, १० रुपये की मासिक किश्त में वह राशि वसूल की जा रही है। अस्थायी अराजपत्रित असैनिक कर्मचारियों को युद्ध-बोनस सेवा समाप्ति लाभ के रूप में दिया गया था। युद्ध बोनस की वसूली इस कारण की जा रही है कि स्थायी हो जाने पर उन कर्मचारियों को सामान्य सेवा समाप्ति लाभ अर्थात् पेंशन और मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रैचुटी, अर्हक करने की सेवा पूरी कर लेने पर, लेने का हक हो जाता है, एक ही सेवा के लिये दो सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये जा सकते।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

करगली में दुर्घटना

†८९८. **श्री प्रिय गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह
श्री राम रतन गुप्त

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ जून १९६३ को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन करगली की संख्या ३ विस्तार कोयला खान में एक दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना हुई थी ; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** . (क) से (ग). १९ अगस्त १९६३ को सभा पटल पर रखी गई खान निरीक्षणालय की दुर्घटना सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है। दुर्घटना दुःस्साहस का काम माना गया है।

पांडिचेरी में श्रम विधियां

†८९९. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी में कोई भी श्रम विधि लागू नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पांडिचेरी में मजदूरों पर सभी केन्द्रीय विधियां लागू करने का है ; और

(ग) कब से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)** : (क) से (ग) यद्यपि पांडिचेरी संघ राज्य क्षत्र में फ्रांसीसी श्रम संहिता (विदेशी क्षेत्र) १९५२ लागू था परन्तु फिर भी १८ जुलाई, १९६३ को पांडिचेरी (विधियां) विनियमन, १९६३ लागू की गई थीं। इस प्रकार २१ अत्यावश्यक केन्द्रीय श्रम विधियां लागू कर दी गई थीं। यह १ अक्टूबर, १९६३ से लागू हो जायेंगी। खनन, युद्धक्षेत्र आदि मामलों के बारे में केन्द्रीय श्रम विधियां हैं जिन को पांडिचेरी में इसलिये लागू नहीं किया गया क्योंकि यह अत्यावश्यक नहीं समझे गये थे ।

तिरुचिरापल्ली के निकट राइफल फैक्टरी

†९००. **श्री सेझियान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुचिरापल्लि के निकट एक राइफल बनाने की फैक्टरी स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) फ़ैक्टरी कब से चालू हो जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) राइफल्स बनाने की फैक्टरी बनाने के प्रश्न पर सरकार सावधानी से विचार कर रही है।

(ख) निर्णय हो जाने से पहले यह बताना संभव नहीं है।

राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन

९०१. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही दिल्ली में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या फैसले किये गये ?

[श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चं० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां। ग्रामीण उद्योग परियोजना के विषय में एक सम्मेलन २९ और ३० जुलाई, १९६३ को दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों और ग्रामीण उद्योग के कार्यभारी मंत्रियों ने भाग लिया था।

(ख) सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० १५६०/६३]**

दिल्ली में कामदिलाऊ दफ्तर

†९०२. **श्री गु० सिं० मुसाफिर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर में पंजाबी भाषा के अध्यापकों के रूप में कितने आदमियों पुरुष तथा महिला ने अपने को रजिस्टर कराया ; और

(ख) इसी अवधि में इन में से कितने व्यक्तियों को काम मिला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चं० रा० पट्टाभिरामन) :
(क) पुरुष—१६

महिला—१७

(ख) पुरुष—१
महिला—२

आसाम में रोजगार की स्थिति

†९०३. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री बिश्नचन्द्र सेठ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में इस समय रोजगार की क्या स्थिति है ; और

(ख) २१ जून, १९६३ को आसाम ट्रिब्यून में समाचार था कि केन्द्रीय सरकार की स्थापनाओं में मांग बहुत कम है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चं० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) रोजगार विपणन सूचना कार्य-कम के अधीन तीन तीन महीनों के बाद रोज़गार की दशा की जांच की जाती है । अन्तिम उपलब्ध सूचना, मार्च १९६३ की अन्त की स्थिति के बारे में है जिसमें बताया गया है कि सरकारी क्षत्रों की स्थापनाओं में रोज़गार ०.२ प्रतिशत गिर गया है तथा २५ अथवा अधिक कर्मचारियों वाली गैर सरकारी संस्थाओं में भी सितम्बर, १९६२ की तुलना में गिर गया है क्योंकि एसा प्रत्येक मौसम होता है ।

(ख) जी हां ।

सेना अधिकारियों के लिए पेंशन

†९०४. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ही सेना के अधिकारियों की पेन्शन की दरें बढ़ाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने निर्णय किया है कि ब्रिगेडियर तथा नौ सेना और वायु सेना के सभी पद के अधिकारियों तक स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की सेवानिवृत्ति को पेन्शन की वर्तमान दरें बढ़ाई जायें । इस संबंध में औपचारिक सरकारी आदेश शीघ्र जारी किये जायेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

सेवा निवृत्ति अधिकारियों की पेन्शन दरें नीचे लिखे अनुसार बढ़ाई गई हैं :—

पद	सेवा की अन्य अवधि जिस में अधिकारियों को पूरी पेंशन मिल सकती है	वर्तमान पेन्शन रु० मासिक	प्रतिशत मान पेन्शन रु० मासिक
	वर्ष		
सैकिन्ड लैफ्टिनेंट/ लैफ्टिनेंट	२०	२७५	३००
कैप्टन	२०	३५०	४२५
मेजर	२२	४७५	५५०
लैफ्टिनेंट कर्नल	२४	६२५	६७५
कर्नल	२६	६७५	७५०
ब्रिगेडियर	२८	८००	८२५

पेन्शन की पुनरीक्षित दरें १ अक्तूबर १९६१ से भूतलक्षी प्रभाव से दी गई हैं अर्थात् जो अधिकारी द्वारा तिथि को अथवा इस के बाद की तिथि को सेवानिवृत्त हुए हैं उन पर लागू होगी ।

पहाड़ी डिवीजन

†९०५. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी सीमा की रक्षा के लिये तीन और पहाड़ी डिवीजन बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा किसी मित्र देश की सहायता से होगा अथवा यह नया दल पूर्णतया अपने प्रयत्नों से बनाया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):** (क) तीन वर्तमान डिवीजनों का पुनर्गठन करने का विचार है ?

(ख) अपने प्रयत्नों तथा सहायता दोनों से ।

पाकिस्तानी सीमा पर चीनी सैनिक अधिकारी

†९०६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री हरिविष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि चीनी सैनिक अधिकारी पाकिस्तानी सीमा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवहारलाल नेहरू) :** ऐसे समाचार मिले हैं कि चीनी अधिकारी पाकिस्तानी सीमा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं परन्तु पाकस्तानी विदेशी कार्यालय ने इस से इन्कार किया है ।

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम के लाठीटोला क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडा फहराया जाना और पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने संबन्धी नोटिस को लेंगे। इस का नोटिस श्री स० मो० बनर्जी, श्रीमती ज्योत्सना चन्दा, श्री हरि विष्णु कामत, श्री स्वैल और श्री दाजी ने दिया है।

†**श्री कपूरसिंह** (लुधियाना) : मैं विशेषाधिकार के प्रस्ताव सम्बन्धी उल्लेख के लिये आप से निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि इस में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं। एक दम तो सारे प्रस्तावों का वैसे भी उल्लेख नहीं किया जा सकता। इस के सम्बन्ध में माननीय सदस्य मुझ से मिल कर बात चीत कर लें। अब माननीय प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

†**प्रधान, मंत्री वैदेशिक-कार्य मंत्री, तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्या इसे पढ़, दूं यह ३½ सफों का है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखा गया देखिए एल० टी० संख्या १५४७/६३**]

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे माननीय दसस्यों में वितरण कर दिया जायेगा।

सभा पटल रखे गये पत्र

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप धारा (२) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२६ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (नवां संशोधन) योजना, १९६३।

(दो) दिनांक ११ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८१२ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (ग्यारहवां संशोधन) योजना, १९६३।

(तीन) दिनांक १८ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस आर० ८५२ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (बारहवां संशोधन) योजना, १९६३।

(चार) दिनांक १८ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तेरहवां संशोधन) योजना, १९६३

†मूल अंग्रेजी में

(पांच) दिनांक २५ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७९ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (चौदहवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये एल० टी० सख्या १५४४/६३]

न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) (तीसरा संशोधन) नियम

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३०–क के अन्तर्गत, दिनांक १० अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२४ में प्रकाशित न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) (तीसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(दो) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद की वर्ष १९६२–६३ का वार्षिक प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये एल० टी० संख्या १५४५/६३ और १५४८/६३]**

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है ।

(१) कि राज सभा ने अपनी अगस्त २१, १९६३ की बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पारित कर दिया है ।

(२) कि राज्य सभा ने अपनी २२ अगस्त, १९६३ की बैठक में व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक पटल पर रखे गये

†**सचिव** : मैं निम्नलिखित विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं:—

(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, २९६३ ।

(२) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

याचिका का उपस्थापन

श्री दास (तिरुपति) : मैं भारतीय डाक घर नियम, १९३३ के सम्बन्ध में याचिका द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

गाजियाबाद के किसानों की भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, आप से एक निवेदन ....

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं कह सकते हैं ...

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : जैसे आप कहें, वैसे कहूं । मुझे पता होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जब आप को बता दिया . . . .

श्री रामेश्वरानन्द : जब उचित समझें, कह दें ।

अध्यक्ष महोदय : कई बार मैं कह चुका हूं कि अगर बिजिनेस के बिना और किसी विषय पर कोई माननीय सदस्य कोई बात कहना चाहें या किसी बात को उठाना चाहते हों तो मुझे पहले लिख कर भेज दें या आ कर मुझ से मिल लें और मुझे बता दें कि इस विषय पर में बात कहना चाहता हूं और तब फिर मैं उस बात को कहने की इजाजत दे सकता हूं । वर्ना आम जो बिजिनेस है वही हाउस में चलना चाहिये । मेरी विनती बार बार माननीय सदस्यों से यह है कि वे मुझे सहयोग दें और उम्मीद करता हूं कि वे ऐसा करेंगे ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, लोहिया साहब ने कई दिन से आप को ढाई घंटे की बहस का नोटिस दे रखा है । गाजियाबाद के जो किसान यहां पड़े हुए हैं . . . .

अध्वक्ष महोदय : आप . . . .

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी प्रार्थना आप सुन लीजिये एक मिनट के लिये । कोई ऐसी बात नहीं है कि यह भारत सरकार का विषय नहीं है । पहले भारत सरकार उस में जांच करा चुकी है और डाक्टर साहब जो हमारे . . . .

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): डा० राम सुभग सिंह ।

श्री रामेश्वरानन्द : डा० राम सुभग सिंह साहब उस की जांच कर चुके हैं । प्रधान मंत्री जी ने उन को यह मामला सौंप दिया था और वह उस की रिपोर्ट दे चुके हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया हूं आप की बात ।

श्री रामेश्वरानन्द : एक मिनट मेरी बात आप सुन लें । एक बात मैं कहना चाहता हूं । सारे देश में ऐसा कोई नियम हम नहीं देखते हैं कि किसी की कोई वस्तु एक बार कोई लेता है तो उस की इच्छा के अनुकूल पैसे दिये जाते हैं । सरकार ने उन गरीब लोगों की जमीनें छीन ली हैं और उन को उस के थोड़े पैसे दे रही हैं । वे कहां जायें ? यह उन के मरण जीवन का प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें । जिन से पूछ कर आप कह रहे हैं, उन से आज सुबह ही मेरी टलीफोन पर बात हुई थी । जिन से अभी आप ने नाम पूछा था उन से मेरी बात हुई थी सुबह टेलीफोन पर और वक्त भी साढ़े चार बज का मुकर्रर हो गया है कि मेरे पास वह आयेंगे और उन से मेरी बात चीत होगी । उन से जो बात होनी है वह साढ़े चार बज होनी है । लेकिन आप ने इस वक्त ही उस को उठा दिया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उन्हों ने मुझ डा० राम सुभग सिंह का ही नाम पूछा है । ऐसा न कहें कि मैं सब सदस्यों को सिखाता पढ़ाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस में कोई बुराई नहीं । मैं भी आप से सीखने को तैयार हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर सब लोग तैयार हों, तब न ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द : एक बात मेरी सुन लें . . .

अध्यक्ष महोदय : सुन ली आप की बात । अब आप बैठ जायें ।

उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी आंकड़ों के बारे में वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : श्रम और रोजगार मंत्री

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय जो बयान वह देने जा रहे हैं, उसी के सम्बन्ध में मैं एक जानकारी चाहता हूं । यह बयान स्टेटिसटिक्स आफ कंजूरमर एक्सपेंडीचर के बारे में है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय तीन आने प्रति व्यक्ति और पन्द्रह आने प्रति व्यक्ति जो आमदनी है, उस पर भी इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे । इससे तो हमें ऐसा कुछ पता चलता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : बयान की निसबत तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूं कि क्या होगा । लेकिन माननीय सदस्य को पता होगा कि डा० लोहिया ने यह सवाल उठाया था और मैं ने उन से कहा था कि वह लिख कर मुझे भेज दें । अगर किसी वक्त एक मैम्बर, चाहे वह मिनिस्टर हो या कोई और हों, कोई बयान करता है जो दूसरे मैम्बर सवाल करते हैं कि यह गलत है, दुरुस्त नहीं है । तब वह मेरी नोटिस में ले आता है कि यह बयान गलत दिया गया हो उसे जिन दूसरे साहब ने बयान दिया था, मैं उनके पास भेजता हूं । दोनों बयान ले लेता हूं । दोनों बयान ले कर अगर मैं मुनासिब समझता हूं तो अवसर देता हूं कि दोनों अपने अपने बयान यहां रक्खें । उस वक्त मेम्बर साहबान जज कर सकते हैं, अगर दोनों में इत्तिफाक न हो सके । इसलिय मैं ने उस दिन डा० लोहिया से वियन की थी कि वे मुझे लिख कर भेज दें । लेकिन उन्होंने अभी तक यह उचित नहीं समझा कि मुझे भेजें । मैं ३ आ० और १५ आ० का जिक्र कर रहा हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं ने आप को एक बहुत लम्बा खत लिखा है, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा सवाल है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उसी बात को ले कर है ।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन जो आपने बात की थी वह बयान गलत है, उस बात पर मैं ने उस वक्त कहा था कि आप मुझ लिख कर भेज दें कि प्राइम मिनिस्टर का यह बयान ठीक नहीं है । लेकिन उस के बाद आप ने मेरे पास कोई चीज नहीं भेजी ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने आप से ढ़ाई घंटे की बहस मांगी है । दफ्तर में कोई गड़बड़ है ।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा सवाल है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उसी सवाल को लेकर, आमदनी के बटवारे के सवाल को ले कर . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप मेरी बात सुन लें। ढ़ाई घंटे की बहस मांगने की जो नोटिस आई है, उस पर अलहदा गौर होगा और उस पर जो मुनासिब होगा वह किया जायगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : इसी प्रश्न को ले कर वह है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि उसी प्रश्न को ले कर है। जब उस की बारी आयेगी तब देखा जायगा। इस वक्त ढ़ाई घंट का सवाल नहीं था। इस वक्त सवाल था कि आप ने कहा कि एक गलत बयान दिया गया। उस के दुरुस्ती के लिये मैं ने कहा था कि अगर आप लिखना चाहते हैं कि बयान गलत है तो आप लिख दें। बहस तो होती रहेगी, बहस को अलाहदा देखेंग। प्लैनिंग मिनिस्टर।

श्री बागड़ी : (हिसार) : जानकारी के नाते से . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप चलने दीजिये काम को। प्लैनिंग मिनिस्टर।

योजना श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : अविश्वास के प्रस्ताव के समय हुए विवाद पर बोलते हुए डा० लोहिया ने कहा था कि देश के ६० प्रतिशत परिवार २५ रुपये मासिक पर अपना गुजारा करते हैं। अर्थात् देश के २७ करोड़ लोग केवल ३ आना प्रति दिन पर गुजारा करते हैं।

इस सम्बन्ध में जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं वह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त हैं। इस विषय में उन्होंने जो सर्वेक्षण सितम्बर, १९६१ से जुलाई, १९६२ में किया था उसके अनुसार गरीबत में जनता का व्यय १० रुपये प्रति मास शहरों में और ८ रुपये प्रति मास देहातों में है। इससे प्रत्येक व्यक्ति का प्रति दिन का व्यय देहातों में ४.३ आना है। और शहरों में ५.३ आना प्रति व्यक्ति है। ३ आने प्रति व्यक्ति की जो बात डा० लोहिया ने की है वह तो देश की ५ प्रतिशत जनता के लिए भी ठीक नहीं। अर्थात् २.२ करोड़ लोगों के लिए, २७ क ोड़ का तो प्रश्न ही नहीं। डा० लोहिया नें तो २७ क ोड़ जनता की बात की है। लगभग ६० प्रतिशत लोगों का व्यय जिसका डा० लोहिया ने उल्लेख किया है ७.५ आना प्रति व्यक्ति है। यदि देहाती और शहरी जनता का सामहिक तौर पर अनुमान लगाया जाय तो यह १९६१–६२ के सर्वेक्षण के अनुसार १२ आना प्रति दिन प्रति व्यक्ति फैल जाता है।

विस्तार से १० विभागों में बांट कर प्रति व्यक्ति का प्रति दिन का व्यय, शहरी और देहाती दोनों, सम्बन्धी ब्योरा सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या १५४९/६३]**

श्री स० मो० बनर्जी : इस पर चर्चा होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: डा० राम मनोहर लोहिया ने भी लिखा है कि इसके ऊपर डिस्कशन हो। अभी उन्होंने इसका जिक्र किया। अब और भी उसका मतालबा हो रहा है। मैं देखूंगा कि कोई मौका हुआ तो चर्चा हो जायेगी।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक अर्ज आप से करूं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो गलत बयानी पहले की थी उस से दसगुनी ज्यादा गलतबयानी आज करते हैं, और मेरे बारे में सवाल आ गया है . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

---

†चूंकि अंग्रेजी में

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि चारों तरफ लोगों में एक खयाल फैलाया जा रहा है जैसे मैं कहीं कोई गड़बड़ करना चाहता हूं। धमकियों के खत भी मेरे पास आये हैं। तो क्या कहीं कोई साफ बयान आ सकता है किसी वक्त। मंत्री महोदय को हमेशा मौका मिल जाता है गलत बयानी करने का।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये अब आप। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि अगर कोई बयान गलत दिया गया तो उसका कायदा यह है कि मेम्बर साहब मुझे लिख दें कि यह बयान इन इन चीजों में गलत है। असलियत है। मैं उनका जवाब भी ले लूंगा। अगर मैं मुनासिब समझूंगा तो दोनों को स्टेटमेंट करने की इजाजत दे दूंगा। जहां तक डिस्कशन का सवाल है, उसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि उसका अवसर भी दूंगा। उस पर डिस्कशन होगा तो सारी चीज साफ हो जायेगी। आप इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने अपने खत में आपको न्यूनतम आमदनी और औसत आमदनी का फर्क बतलाया है जिसे प्रधान मंत्री बिल्कुल नहीं जानते हैं, सोलह बरस से नहीं जानते हैं।

श्री रंगा (चित्तूर) : यह अनुमान किस आधार पर लगाया गया है।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस पर एक सवाल कर सकता हूं, अध्यक्ष महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब इस वक्त नहीं। आपको डिस्कशन के वक्त मौका होगा।

श्री प्रिय गुप्त : अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें। मैंने आपको मौका दिया।

श्री प्रिय गुप्त : आप सुन लीजिये। इसी सिलसिले में है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें, काम में रुकावट न डालें।

श्री प्रिय गुप्त : मैं आपका हुकम जरूर मानूंगा, लेकिन एक सवाल है .....

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें। .... हां, अब आप कहें क्या कहना चाहते हैं।

श्री प्रिय गुप्त : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपने मौका दिया है प्लेनिंग मिनिस्टर बयान पर डिस्कशन के लिये तो भिन्न भिन्न इनकम ग्रुप के परकैपिटा इन्कम तथा कर्ज के आंकड़े भी वे इनकम की चीज हाउस के सामने रखें। उन्होंने सिर्फ एक्सपेंडिचर बतलाया है। ताकि सही जांच हो सके।

श्री बागड़ी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि डाक्टर साहब ने अपने बयान के दौरान एक बहुत जिम्मेदारी की बात कही है कि उनके पास कितने ही धमकी के खतूत आते हैं, और इस सदन में भी यह बात आ गई। इसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब सदन में यह बात आ गई है तो उसके ऊपर कुछ न कुछ तो आपको कहना ही चाहिये। इसके बाद खास किस्म की बात ...

अध्यक्ष महोदय : अगर वह सब आप मेरे पास भेज दें तो जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह करूंगा। कहने की जरूरत होगी तो कहूंगा और करने की भी जरूरत हुई तो वह भी करूंगा।

विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक १९६३

†**रेलव मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री ब० रा० भगत द्वारा २३ अगस्त, १९६३ को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा होगी अर्थात् :—

"कि सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ में संशोधन और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि यह केन्द्र की कर नीति के एकीकरण की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है । किन्तु मुझे इस बात का सन्देह हैं कि इस बिल में जो शब्द "गवर्नमेंट" रखा गया है उससे यह स्पष्ठ हो सकेगा कि नहीं कि इसमें केन्द्रीय और प्रदेश सरकारें दोनों शामिल है । जहां तक मैं समझता हूं , यह जो "गवर्नमेंट" शब्द है इस का अर्थ केवल केन्द्रीय सरकार हो सकता है और प्रदेश सरकारें इसमें सम्मिलित नहीं मानी जा सकतीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह मेरी इस बात की तरफ ध्यान दें कि जो "गवर्नमेंट" शब्द हैं वह आगे जा कर अदालतों में उलझ न जाए और यही प्रदेश सरकारें इस संबंध में हाई कोर्ट तक न पहुंच जाएं । इस लिए मेरा बार बार निवेदन है कि मंत्री महोडय इस "गवर्नमेंट शब्द को स्पष्ठ करें, और इस बिल में यह लिखना चाहिये कि "गवर्नमेंट" का मतलब केन्द्रीय और प्रदेश सरकारें दोनों से होता है । वर्तमान शब्द से यह नहीं जाहिर होता कि दोनों का इसमें समावेश होगा ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि भूतकाल में यह अनुभव हो गया है कि प्रदेश सरकारें इन बातों में बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण से सोचती हैं, औल इसी कारण जब उन्होंने यह सवाल उठाया तो यह बिल लाना पड़ा। अब भी यह संभव है कि कितनी ही प्रदेश सरकारें इस कानून की अवहेलना करने का प्रयत्न करें । इसलिए मेरा सुझाव है कि वे इस बात का सर्वेक्षण करवायें कि भविष्य में जो प्रदेश सरकारें कुछ काम करने जा रही हैं, वह इसमें सम्मिलित होते हैं अथवा नहीं । जहां तक प्रदेश सरकारोंका संबंध है अभी तक उन्होंने जो कार्य किये हैं उनको विभागीय तरीके से किया है और उनके लिये लिमिटेड

†मूल अंग्रेजी में

कम्पनी नहीं बनायी है। जब तक यह नहीं होगा कि प्रदेश सरकारों को यह आदेश दिया जाए कि जो उनके उद्योग अभी चल रहे हैं या जो वे भविष्य में चलाएंगी उनको कारपोरेट सैक्टर में लिमिटेड कम्पनीज बना कर चलाया जाए,तब तक वे सरकारें केन्द्रीय कर नीति में बाधा पहुंचा सकती हैं और उससे केन्द्रीय सरकार की आय में बाधा आ सकती है। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। और वह यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है, जितने भी सड़क परिवहन प्रदेश सरकारें चला रही हैं वे विभागीय तौर से चला रही हैं, उनको कारपोरेट सैक्टर में नहीं लाया गया है। इसका न केवल यह नतीजा हो सकता है कि भारत सरकार को इनकम टैक्स में नुक्सान हो, बल्कि कुछ और तरीकों से भी केन्द्रीय सरकार के करों में फर्क पड़ सकता है। यह उदाहरण केवल इस तात्पर्य से दिया गया है कि जिससे मालूम हो कि जो कर निर्धारण की केन्द्रीय नीति है उस के बारे में प्रदेश सरकारों का रवैया क्या है, और वे कहां तक इस में सहयोग देने के लिए तत्पर हैं।

मैं जानता हूं कि अभी अभी जो राजस्थान सरकार अपने हाथ में परिवहन ले रही है उसमें भी यह प्रश्न उठा,और यदि और प्रदेश सरकारें ऐसा करेंगी तो उनके संबंध में भी यह प्रश्न उठेगा।

हमारी सरकार की जो नीति है उसके आधार पर भविष्य में प्रदेश सरकारें भी उद्योग धंधे चालाएंगी और दिन पर उनमें बढ़ोत्तरी होती जाएगी और जब बढ़ोत्तरी होनी है तो निश्चित रूप से नीति निर्धारित होनी चाहिए और उसमें प्रदेश सरकारें भी सम्मिलित हों यह देखा जाए। इसको देखने के लिए मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार का विभाग प्राइवेट कम्पनियों के बारे में देखता है, ,उसी प्रकार इन सरकारी कम्पनियों और प्रदेश सरकार की कम्पनियों को भी देखे। जो चीजें उनको विदेशों से मंगानी हैं और उनके लिए जो लाइसेंस उनको देने हैं वे उसी आधार पर हों जिस आधार पर प्राइवेट कम्पनियों के होते हैं और उनमें कोई फर्क न हो। और अगर ये सरकारी कम्पनियां आंकड़े देने में आवश्यकता से अधिक देरी क्यों तो उनसे जवाब तलब किया जाए।

अन्त में मुझे यह निवेदन करना है कि प्रदेश सरकारों का यह तरीका बन गया है कि जो उनके अधीन म्युनिसिपल बोर्ड आदि हैं उनके करों को वे नहीं देना चाहतीं और भारत सरकार की कर नीति में भी बाधा पहुंचाना चाहती हैं। यह बहुत संकुचित दृष्टिकोण है और इससे जाहिर होता है कि एकीकरण में वे कितनी बाधा देती हैं। अगर हम इन छोट हिस्सों की तरफ देखने लग जाते हैं तो एकीकरण समाप्त हो जाता है।

इन सब बातों को देखते हुए इस बिल के बारे में और कुछ कहने की आश्यकता नहीं रह गयो है। लेकिन देखना यह है कि यह बिल केवल कानून बन कर ही न रह जाए इस पर अमल भी होना चाहिए, और इसके लिए केन्द्रीय सरकार का विभाग सजग रहे और वह इस बात पर न रहे कि प्रदेश सरकारें जो जानकारी देती हैं वह सही है, बल्कि उस विभाग को अपनी तरफ से उन विशष उद्योगों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

मिसाल के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं कि प्लाना में राजस्थान सरकार लिग्नाइट उद्योग को अपने हाथ में लेने जा रही है। पहले यह विचार था कि माइन्स विभाग इस उद्योग को विभागीय तौर पर चलाएगा, लेकिन बाद में यह तै किया गया कि कम्पनी बना कर इसको चलाया जाएगा। यदि वह विभागीय रूप से चलाया जाता तो वह सही कदम न होता। इसलिए इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित करना आवश्यक है कि भविष्य में प्रदेश सरकारें जो उद्योग चलाएं उनको कारपोरेट सैक्टर में चलाएं और किस तरह न चलाएं।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैंने वित्त उपमन्त्री महोदय की युक्तियां सुन लीं हैं। उनको सुन कर तो मुझे कुछ विश्वास हुआ नहीं और मैं उससे प्रभावित नहीं हुआ। मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता १९५१ से राज्यों को यह रियायतें दी जा रही हैं। और वे नहीं चाहते कि राज्यों से ये रियायतें वापिस ले ली जायं। इस परिवर्तन से कुछ विशेष राजस्व के एकत्रित हो जाने की सम्भावना नहीं। इसके मुकाबले में केन्द्रीय सरकार बहुत अधिक सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क इत्यादि इकट्ठा कर लेती है। अतः मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार अचानक ही इस परिवर्तन को करने के लिए क्यों जोर दे रही है।

मेरे विचार में इस परिवर्तन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही कि यह असंवैधानिक नहीं इसे करना उचित नहीं है। संविधान के अन्तर्गत यह जरूरी नहीं कि इस प्रकार का संशोधन किया जाय। केन्द्रीय सरकार को किसी प्रकार का घाटा नहीं है। इस विधेयक के लागू हो जाने से राज्यों के कुछ चीजों के आयात तथा उत्पादन सम्बन्धी प्रक्रिया के नियम कड़े हो जायेंगे। राज्य सरकारें कुछ ऐसी योजनायें भी चला रही हैं जिनका उद्देश्य नफा कमाना नहीं है, जैसे कि दूध सम्भरण योजना है। अब इस प्रकार की योजनाओं को आप गैर सरकारी उपक्रमों के मुकाबले पर नहीं रख सकते। सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को गैर सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के मुकाबले में नहीं रखा जाना चाहिए। इस प्रकार की सम्मिलित अर्थ व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकाता।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): मैंने विधेयक का अध्ययन किया है। मन्त्री महोदय ने सदन के समक्ष यह स्पष्ट किया है कि आखिर वह क्यों यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे विचार सिद्धान्त के दृष्टि से विधेयक पर कोई आपत्ति की जानी सम्भव नहीं। यदि एक बार इस छूट देने वाले खण्ड को राज्य सरकारों के लिए लागू कर दिया गया तो केन्द्रीय सरकार के लिए व्यापारिक सार्थों से सीमा शुल्क इत्यादि लेना तनिक अशोभनीय हो जायेगा। यह भी ठीक है कि राज्य सरकारों ने इस पर आपत्ति की है, यह भी ठीक है कि कई बार दूध सम्भरण योजना इत्यादि उपक्रमों पर सीमा शुल्क नहीं लगना चाहिए, परन्तु इस सिद्धान्त का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता।

हमने सदन में यह भी मांग की है कि सीमा शुल्क अधिनियम को बिल्कुल त्रुटिहीन बना देना चाहिए। इसका कारण यह है कि बड़ी बड़ी फर्मों वाले व्यापारी इन त्रुटियां का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। सरकार को इस के लिए बहुत सचेत रहना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार यह भी बताये कि क्या उसका इरादा सीमा शुल्क अधिनियम अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम में और आगे संशोधन करने के लिए प्रयत्नशील है अथवा नहीं।

इसके अतिरिक्त सरकार को यह भी बताना चाहिए कि सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत जो काफी संख्या में मुकदमे अविलम्बित पड़े हैं उनका क्या बनेगा। उस में तो बड़े बड़े व्यापारियों ने सरकार को धोखा देने का प्रयत्न किया हुआ है। उन्होंने बीजक कमती बढ़ती बनाने की चालाकी की हुई है। सदन को यह भी बताना चाहिए कि इन बड़े बड़े व्यापारियों की फर्मों को जो जुर्माने हुए थ, क्या उन्हों ने यह सब अदा कर दिये हैं ? यह जुर्माने की राशि २०–२२ लाख के लगभग फैलती है। क्या इन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। एसे मामलों की संख्या क्या है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मुझे इस बात का हर्ष है कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। जो कुछ बातें विरोध में कही गयी हैं वे सब भ्रांति पर

†मूल अंग्रेजी में

आधारित हैं। मेरा निवेदन यह है कि सरकार भी सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार के कई उपक्रम चला रही हैं। इन उपक्रमों द्वारा काफी मात्रा में माल निर्यात किया जाता है और ये सब सीमा शुल्क दे रहे हैं। इन लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो रही है। राज्यों सरकारों का काम तो वैसे भी बहुत सीमित है, उन्हें तो कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। सरकार की परिभाषा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि सरकार से मतलब यही है 'केन्द्रीय सरकार' भी और राज्य सरकार' भी।

श्री वारियर कहते हैं कि यह अनावश्यक है, मेरा कहना यह है कि यदि यह अनावश्यक होता तो इसे १९५१ में लागू ही न किया जाता। मैंने तो इसे उस समय भी स्पष्ट किया था जब संविधान लागू किया गया था। अनुच्छेद २८९ में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार की सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार के करों से मुक्त होगी। उस समय हमें इस बात की समझ नहीं आई। परन्तु गत दस बरसों में केन्द्रीय उपक्रमों और संस्थानों में काफी वृद्धि हो गयी है। इनका अन्य उपक्रमों और संस्थानों से मुकाबला चल पड़ा है, अतः हमें इस बारे में राज्य सरकारों से बातचीत करनी पड़ी। उनका कहना था कि ये सब तो अनुच्छेद २८९ के अन्तर्गत आता है। राष्ट्रपति ने इसे अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया। उच्चतम न्यायालय का यही कहना था कि यह शुल्क लगाया जा सकता है। यह बिल्कुल संवैधानिक है। अतः इस पृष्ठभूमि में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री इस पर पुनः विचार करेंगे।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी योजनाओं का उल्लेख किया है जिसका सम्बन्ध व्यापार करने अथवा नफा कमाने से नहीं होता, जैसे कि दुग्ध वितरण योजना है। इस प्रकार की धार्मिक योजनाओं और कल्याणकारी उपक्रमों के लिए छूट दी गयी है। परन्तु दुग्ध वितरण योजना जो व्यापारिक योजना है। इस विधेयक का उद्देश्य ही यह है कि शुल्क लगाने के मामले में किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं होनी चाहिए। यह सिद्धान्त का प्रश्न है। इससे सभी उपक्रम एक स्तर पर आ जायेंगे। सीमा शुल्क लगभग ३ लाख होगा और उत्पादन शुल्क की राशि २० लाख तक फैलेगी। मेरे विचार में इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ में संशोधन और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, २ और ३ अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, २ और ३, अधिनियम सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बड़े पत्तनन्यास विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में कुछ बड़े पत्तनों के लिये पत्तन प्राधिकारों का गठन करने और इन पत्तनों के प्रशासन, नियन्त्रण तथा प्रबन्ध को इन प्राधिकारों को सौंपने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

मेरे विचार में माननीय सदस्यों को याद होगा कि ८ दिसम्बर, १९६२ को इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव करते हुए, मैंने विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों का उल्लेख किया था। प्रवर समिति ने इस विधेयक पर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। जो भी परिवर्तन समिति ने किये हैं, वे सब प्रारूप सम्बन्धी कुछ भूलों को लेकर ही थे । इसके अतिरिक्त कुछ और भी इधर उधर के स्पष्टीकरण ही थे । कुछ परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण थे ।

खण्ड ३ में मूलभूत रूप में पत्तन न्यास बोर्ड में २७ सदस्यों की व्यवस्था की गयी थी । उसमें सभापति तथा उपसभापति दोनों ही थे । इसमें से १० की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी थी । १५ व्यक्तियों का राज्यों तथा अन्य विभिन्न हितों द्वारा चुने जाने की व्यवस्था की थी । परन्तु प्रवर समिति ने यह सोचा कि पत्तन न्यास बोर्ड के गठन में में चुने हुए और नामज़द सदस्यों की संख्या एक जैसी होनी चाहिए । अतः चुने हुए लोगों की संख्या को कम करके १२ कर दिया गया । अब बोर्ड के २४ सदस्य होंगे । इसमें से एक सभापति होगा और एक उपसभापति । प्रथम बोर्ड के न्यासी भी कम हो गये । पहले संख्या २५ परन्तु खंड ४ के अन्तर्गत यह कम करके २२ कर दी गयी ।

खण्ड ५ का परन्तुक हटा दिया गया है, क्योंकि वह खण्ड ३४ के उपखण्ड (१) के परन्तुक में पुनः दोहराया गया है ।

मूल विधेयक का खण्ड ८(२) में यह व्यवस्था थी कि न्यासधारी केन्द्रीय सरकार को लिख कर सूचना दे कर इस्तीफा दे सकता था । चूंकि सभापति बोर्ड का कार्यपालक मुख्याधिकारी है, अतः प्रवर समिति ने सोचा कि ऐसा कोई भी त्यागपत्र उन के पास से हो कर भेजा जाना चाहिए । तदनुसार खण्ड ८ का संशोधन किया गया है ।

खण्ड १०(१) इस बात की व्यवस्था करती है कि बोर्ड की पदावधि खत्म होने के बाद साधारण रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव पदावधि खत्म होने से पहले दो महीने के अन्दर अन्दर किये जाने चाहिए । इस कारण समिति ने सोचा कि आकस्मिक रिक्तियां जो कि सामान्य पदावधि के खत्म होने की तिथि के तीन महीनों के अन्दर अन्दर हों, नहीं भरी जानी चाहिए । इसीलिए खण्ड १०(३) में उस के सम्बन्ध में एक दूसरा परन्तुक जोड़ दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पत्तन न्यासों में प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वह प्रवर समिति की यह सिफारिश है कि इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि पत्तन के प्रत्येक कर्मचारी को जिस में विभागों के मुखिया शामिल नहीं हैं सेवा में पदावनति, नौकरी से हटाये जाने और बर्खास्त किये जाने के मामले में अपील करने का अधिकार होना चाहिए। विभागों के मुखियाओं के मामले में बोर्ड बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लिये ऐसा दंड नहीं दे सकता। इस तरह से विभागों के मुखियाओं को भी आदेश दिये जाने से पूर्व उनके के मामले की दूसरी जांच का लाभ होगा। अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में समिति की राय थी कि पदावनति, नौकरी से हटाये जाने और बर्खास्त किये जाने के आदेश नियुक्त करने वाले अधिकारी से छोटे अधिकारियों द्वारा न दिये जायें और आदेश देने वाले अधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अपील की जांच का अधिकार होना चाहिए। इन असूलों को ध्यान में रखते हुए प्रवर समिति ने खण्ड २४ और २५ में उपयुक्त संशोधन किये हैं। खण्ड २९(२) कर्मचारी की इस आधार पर प्रतिकर के लिए मांग के विरुद्ध पूर्वाविधायी व्यवस्था के लिए है कि पत्तन न्यास बोर्ड को केन्द्रीय सरकार से उस की तबदीली सरकारी नौकरी नहीं समझी जाती। खण्ड २८ के उपखण्ड (ग) और (घ); संशोधित खण्ड २५ और खण्ड २९ के उपखण्ड (च) के परिणामस्वरूप लाये गये हैं।

खण्ड ४२ के उपखण्ड (३) से (६) इसलिए जोड़े गये हैं ताकि पत्तन न्यास किसी तीसरी पार्टी को उपधारा (१) में उल्लिखित सेवाएं तय किए शर्तों पर करने के लिए अधिकार दे सके। ऐसे मामलों में पार्टी द्वारा सेवाओं के लिए दाम बोर्ड द्वारा तैयार किये गये और सरकार द्वारा स्वीकार किये गये स्तर के अनुसार लगाई जाने वाली राशि से अधिक नहीं हो सकता। इस प्रकार पत्तन का प्रयोग करने वालों के हितों की पूर्णतया रक्षा की जाती है। उपखण्ड ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए लगाये गये हैं जब कि पत्तन न्यास बोर्ड कोई सेवा का काम न ले सके।

खण्ड ६३ का संशोधन इसे वर्तमान पत्तन अधिनियमों के वैसे उपबन्धों के अनुसार बनाये रखने के लिए किया गया है। खण्ड ११५ दरों के अपवंचन से सुरक्षा के लिए संशोधित किया गया है।

खण्ड १२० और १२१ में इसलिए संशोधन किये गये हैं ताकि पत्तन न्यास बोर्ड के सदस्यों को ही संरक्षण प्राप्त हो जो बोर्ड को और इस के कर्मचारियों को बोर्ड के सदस्यों के रूप में अपनी कार्यवाही के बारे में हैं।

खण्ड १२४ (२) में यह सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन किया गया है कि बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे बनाये विनियम पहले छाप जायें ताकि उन को अन्तिम रूप देने से पहले कर्मचारियों को बोर्ड को अपनी राय देने का मौका मिल सके। ये संशोधन उचित हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विचार किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि भारत में कुछ बड़े पत्तनों के लिए पत्तन प्राधिकारों का गठन करने और इन पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण तथा प्रबन्ध को इन प्राधिकारों को सौंपने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उमानाथ** (पुडुकोट्टई) : मैं इस विधेयक का इसलिए स्वागत करता हुं कि पिछले अधिनियम बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास जैसे बड़े पत्तनों पर लागू होते थे। यह विधेयक उन अधिनियमों के उपबन्ध अन्य बड़े पत्तनों पर लागू करता है।

खण्ड ३ में प्रन्यास के बोर्ड के निर्माण के लिए उपबन्ध है। इस के २२ सदस्य होंगे। यह खण्ड बोर्ड में विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व के बारे में है। प्रन्यास में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। श्रमिकों के कम से कम दो प्रतिनिधि होने चाहिएं और विधेयक में भी यह स्पष्ट कह देना चाहिए, अन्यथा श्रमिकों के प्रतिनिधित्व पर अन्य हितों के प्रतिनिधि कब्जा कर सकते हैं।

एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम श्रमिकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं दूसरी ओर जब उन्हें ऐसा करने का अवसर मिलता है तो वे हिचकचाती है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस बात पर विचार करें और कम से कम २ श्रमिकों के प्रतिनिधियों की व्यवस्था करें।

पहले बोर्ड के बनाये जाने में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के मामले में प्रतिनिधि श्रम संगठनों से परामर्श किया जाये, अन्यथा अल्पसंख्या वाले संघ यदि उन के प्रतिनिधि बोर्ड में ले लिये गये अपने संघ की शक्ति बढ़ाने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। उन्हें अन्य संघों के मुकाबले में बाद में लाभ रहेगा यदि पहले बिना परामर्श के श्रमिकों के प्रतिनिधयों को नाम-निर्देशित किया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खण्ड ४ के अन्तर्गत सरकार को यह शक्ति दी जा रही है कि वे जिस भी संघ को चाहे उस से जिस व्यक्ति को चाहे चुन सकते हैं। संघ को अधिकार होना चाहिए कि वे जिस को चुने वह श्रमिकों का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए।

खण्ड १११ के अन्तर्गत नीति सम्बन्धी मामले में निदेश देने के लिए सरकार को दिये गये अधिकारों का सावधानो से प्रयोग किया जाये ताकि बोर्ड के कार्यकरण में सरकार के हस्तक्षेप की आलोचना की कोई गुंजायश न रह जाये।

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के बड़े पत्तनों में उतराई दर कम है और सुविधाएं अधिक हैं। छोटे पत्तनों में उतराई दर अधिक है, सुविधाएं कम हैं। अतः इन बड़े पत्तनों पर भीड़ होती है। इस असमता को दूर किया जाना चाहिए, तभी छोटे पत्तनों का विकास हो सकता है। ब्रिटिश काल में पत्तनों का विकास इकतरफा रहा है। केवल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के विकास पर ही ध्यान दिया जाता रहा। हमें देश की निर्यात और आयात की आवश्यकताओं की पूरी योजना बनानी चाहिए जो दीर्घकालीन हो और समेकित आधार पर बड़े और छोटे पत्तनों के विकास की योजना बनानी चाहिए।

अब तो गोआ स्वतंत्र है। सरकार को मरमागाओ पत्तन के विकास की, न केवल वाणिज्यिक रूप बल्कि सामरिक महत्व की दृष्टि से भी योजना बनानी चाहिए।

पत्तनों पर कम बीजक के मूल्य बनाना, तस्कर व्यापार आदि बुराइयों को दूर करने के लिए श्रमिकों का सहयोग बहुत जरूरी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सामने आ रहा है उस के लिए मैं ने शुरू में भी यह अर्ज किया था कि पहले से हमारे जो बंदरगाह हैं, उन के लिए बाक़ायदा हम ने रूल्स एंड रैंगुलेशंस और कानून बनाये हुए हैं। इसलिए नये नये कानूनों को पेश करने से हाउस का समय व्यर्थ खर्च होता है और दूसरे खर्चा भी बढ़ता है। अलग अलग ऐडमिनिस्ट्रेटर क़ायम करना और अलग अलग मैनेजमेंट क़ायम करना भारत की एकता के लिए भी कुछ अच्छा मालूम नहीं होता है। मेरा छोटा सा सुझाव यह है कि आप तमाम बोर्ड्स के लिए एक ही रूल्स और रैंगुलेशंस रक्खे और एक ही कानून के मातहत जो हमारा पहले बना हुआ है उसके मातहत सब का ऐडमिनिस्ट्रेशन रन करें। अलग अलग बिल पेश करने से हमारी एकता के लिए अच्छा नहीं मालूम होता है दूसरे हमारा खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। उन अख़राजात को कम करने के लिए और हाउस के समय को बचाने के लिए मेरा छोटा सा सुझाव यह है कि जो कानून हम ने पहले बनाया हुआ है, जो हमारे ४ बन्दरगाहों पर लागू होता है उसी को नये बन्दरगाहों पर भी लागू करना चाहिए और उसी के मातहत उन का काम चलाना चाहिए और इस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करके एकता की भावना को सुन्दर करना चाहिए।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह यह जो विधेयक उपस्थित किया गया है, इस विधेयक में श्री राज बहादुर ने कहा है कि पहले २७ मेम्बरों की व्यवस्था थी लेकिन बाद में चल कर तीन मेम्बरों की व्यवस्था उस में से हटा ली गई है। इस सम्बन्ध में हमारे श्री यशपाल सिंह और श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने भी कुछ संशोधन उपस्थित किये हैं।

आप देखगे कि जहांप्र शिपिं का ताल्लुक है शिपिंग के सम्बन्ध में इतने बोर्ड्स इस वक्त हैं, नेशनल शिपिं बोर्ड, लाइट हाउसबोर्ड, मर्चेंट नैवी ट्रेनिंग बोर्ड, और एक जहाज़ पर जो ट्रेनिं होती है वह है। इस प्रकार इन चारों बोर्डों में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के मेम्बरों का प्रतिनिधित्व है। पार्लियामेंट के मेम्बर्स नेशनल शिपिंग बोर्ड में हैं, लाइटहाउस बोर्ड में हैं और मर्चेंट नैवी ट्रेनिंग बोर्ड में हैं। सभी बोर्ड्स में पार्लियामेंट के मेम्बरों का प्रतिनिधित्व है। लेकिन यह एक ऐसा विधेयक आप के सम्मुख आया है जिस में पार्लियामेंट के सदस्तों का कोई स्थान नहीं है। जबकि मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स बिल सैंट्रल सब्जैक्ट है यह कोई प्राविंशियल सब्जैक्ट नहीं है, यह कोई लोकल ऐक्ट नहीं है, जब यह सैंट्रल सब्जैक्ट है और सट्रल गवर्नमेंट उस में अपना रुपया देती है, फाइनेंस करती है तो कोई कारण नहीं मालूम होता है कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स इस से क्यों ऐक्सक्लूड किये जायें ?

आप देखेंगे कि इस विधेयक की धारा ३ के दो अंग हैं। पहले अंग में यह है कि १० व्यक्ति एप्वाएंट किये जायेंगे और उन को सेंट्रल गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी। उस में आप ने (१) लेबर एम्प्लायेड इन दी पोर्ट, (२) दि मर्केन्टाइल मेराइन डिपार्टमेंट, (३) दी कस्टम्स डिपार्टमेंट और (४) दि गवर्नमेंट आफ़ दी स्टेट इन विच्छ दी पार्टी इज़ सिचुएटेड (५) डिफेंस सर्विसेज़, (६) दी इंडियन रेलवेज़, ऐंड सच अदर इंटरैस्ट्स इन सब का उसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। लेकिन पार्लियामेंट का मेम्बर जो कि इस पोर्ट को कांस्टीटुएंसी को पार्लियामेंट में रिप्रज़ेंट करता है उस को इस में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। ऊपर दिये हुए सब इंटरस्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी लेकिन पार्लियामेंट के जो मैम्बर्स हैं व केवल इस में से एक्सक्लूडड हैं।

इस बिल की धारा ३(डी) में आप देखेंगे :

> "ऐसे राज्य या वाणिज्यिक अथवा स्थानीय हितों के प्रतिनिधि स्थानीय निकायों द्वारा १२ से अधिक व्यक्ति नहीं चुने जायेंगे . . . . . "

[श्री रघुनाथ सिंह]

चुन १२ आदमियों का एलेक्शन स्टेट असेम्बलीज या लोकल बौडीज करेंगी । स्टेट्स के २ रिप्रेजेंटेशंस आप ने दिये हैं । एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेस् स के रिप्रेजेंटेटिव को एपायन्ट करेगी दूसरा प्रतिनिधि-निधित्व स्टेट्स को आप ने यह दिया है कि स्टेटल गवर्नमेंट्स भी अपने आदमियों को चुन कर भेजेंगी लोकल बाडीज भी चुन कर भेजगीं लेकिन पार्लियामेंट जोकि उन के फ़ाइनेंस के वास्ते जिम्मेदार है, और जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स बिल पार्लियामेंट के अन्दर आता है, उस पार्लियामेंट को उस में कोई स्थान नहीं प्राप्त है । पार्लियामेंट को क्यों प्रातनिधित्व नहीं दिया जा रहा है यह तर्क और विवेक श्री राजबहादुर का हमारी समझ में नहीं आ रहा है, शायद उन की समझ में आया हो । इसलिए मैं उन से कहता हूं ज़रा इस बारे में वे तर्क बद्धि लगायें । जितने भी शिपिंग बोड्स है जैसाकि मैं ने आप को उदाहरण दिया कि करीब ४ बोड्र्स हैं सब बोर्ड्स में पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व मौजूद है सिफ मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स बिल में पार्लियामेंट के मेम्बरों का प्रतिनिधित्व नहीं है ।

एक मेजर पोर्ट अगर आप बनाना चाहें तो खर्चा कितना लगता है ? १, २, ३ या ४ करोड़ रुपया एक पोर्ट में खर्च होता है । उस के लिए खर्च आप करते हैं लेकिन उस खर्च को देखने की आप की जिम्मेदारी नहीं है । उस खर्च के करने की जिम्मेदारी नहीं है ।

एक उदाहरण मैं आप के सामने रखता हूं । हमारे सामंत जी बैठे हैं १९५२ में सामंत जी लोकसभा में आये । सन् १९५२ से आज तक यानी १२ वर्ष से इन का एक उद्देश्य इस पार्लियामेंट में रहा है कि हलदिया पोर्ट मेजर पोट हो गया जाय । हलदिया पोर्ट मेजर पोर्ट होने जा रहा है । अब जिस व्यक्ति ने इस के लिए १२ वर्ष कोशिश की, जिस की कि कांस्टीटुएंसी में मेजर पोर्ट है, वही व्यक्ति उस बोर्ड का मैम्बर न रहे, यह कहां तक उचित व तर्कसंगत होगा ? सारी दुनिया भर के लोग उस के मैम्बर रहेंगे जबकि पार्लियामेंट जोकि रुपया सैंक्शन करती है, पार्लियामेंट रुपया खर्च करती है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, मेजर पोट ट्रस्ट यह सेंट्रल सबजैक्ट है, ऐसी अवस्था में पार्लियामेंट को उस में प्रतिनिधित्व न देना कुछ, अजीब सा लगता है । मैं चाहूंगा कि श्री राज बहादुर इस बारे में ज़रा विवेक से काम लें और पार्लिमैंट के मेम्बरों को उस में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था कर दें । इस बारे में तो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के मैम्बरों का ज्वाएंट नोट आफ़ डिसेंट है । इस पर मंत्री महोदय को अवश्य देखना चाहिए । ज्वाएंट कमेटीमें एक दफ़ मंत्री महोदय ने कहा भी है कि हां यह चीज़ एसी है कि उस पर विचार करना चाहिए । इसलिए मुझे तो पार्लियामेंट को प्रतिनिधित्व देने वाली बात को स्वीकार कर लेने में कोई बाधा या अड़ंगा पड़ सकता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता । आप ने खुद स्वीकार किया है कि पहले बिल में २७ आदमी थे, अब २७ की जगह २४ हो गये २४ आप ने ज्वाएंट कमेटी में रख लिए तो कोई हर्जा नहीं पड़ता । बस आप इतना और कर दें कि दो अप आप लोक सभा से दे दें और एक मेम्बर का प्रतिनिधित्व राज्य सभा से दे दें । इस तरह से दोनों का समन्वय हो जायेगा । जहां २४ आदमी पहले से हैं वहां यदि ३ मैम्बर और उसमें बढ़ जाते हैं तो कोई विशेष खर्चा भी नहीं होता है और किसी को उस में आपत्ति भी नहीं होगी क्योंकि रुपया हम मंजूर करते हैं । बजट के समय हम यहां बोल सकते हैं । आप समझें कि जैसे कलकत्ता पोर्ट है, उस को आप छोड़ दीजिये लेकिन और जैसे पोर्ट्स हैं कांडला है, मद्रास है और विशाखापट्टनम पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स की कांस्टीटुएंसीज़ से वोट ले कर जो एम० पीज़० यहां पार्लियामेंट में आते हैं अब अगर उन पोर्ट्स का इंतज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो उस बचारे एम० पी० को वहां से वोट नहीं मिल सकते हैं । हम वहां से वोट पाते हैं, हम उस के लिये ज़िम्मेदार हैं, हम उसके लिये पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उस के मैनेजमेंट में हमारा स्थान नहीं है । रुपया-पैसा हम ख़र्च करते हैं, जायदाद हमारी है, प्रापर्टी हमारी है, लेकिन हम उस का इन्तज़ाम नहीं कर सकते । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपनी विवेक-दृष्टि से विचार करें और माननीय सदस्य, श्री यशपाल सिंह

और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने, जो संशोधन रखा है, उस को स्वीकार करें। यह एक बड़ा सैद्धान्तिक संशोधन है। यह बात नहीं है कि पार्लियामेंट के मेम्बर बड़े लालायित और उत्सुक हैं कि उन को सदस्य बना दिया जाये। माननीय मंत्री जो न्याय की दृष्टि से विचार करें कि जब शिपिंग बोर्ड, मर्चेन्ट नेवी मैरिन ट्रेनिंग बोर्ड, डिफेन कमेटी और लाइट हाउसिज के बोर्ड में पार्लियामेंट के मेम्बर्ज को रखा गया है, तो सिर्फ पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड में से उनको हटा देना बड़ी अनुचित बात है। इसलिए वह इस छोट से संशोधन को मान लें। इस से उन को मदद मिलेगी। अगर हम कोई ख़राबी देखेंगे, तो हम उन से कहेंगे और पार्लियामेंट में भी सवाल उठा सकते हैं।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : यही कारण है कि वह एम० पीज़० को नहीं रखना चाहते।

श्री रघुनाथ सिंह : हम वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के विचार और पालिसी को रख सकते हैं। सब पार्टीज़ यह चाहती हैं, लेकिन फिर भी मंत्री महोदय नहीं मानते हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेजर पोर्ट कोई स्टेट पोर्ट या छोटी पोर्ट नहीं हैं। वहां पर बड़े बड़े जहाज, दस हज़ार टन से ऊपर के जहाज, आयेंगे, जोकि ओवरसीज में जाते है। सारी दुनिया के जहाज वहां पर आयेंगे। इसलिए उन पोर्टस की इन्टरनैशनल इम्पार्टेन्स, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व, हो जायगा। जब उन का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है, तो ट्रस्ट बोर्ड में सारे राष्ट्र को स्थान न दे कर केवल प्रदेशों को स्थान दे कर उन को अर्न्तप्रेदेशीय दर्जा दिया जा रहा है। यदि मंत्री महोदय उन को अन्तर्राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं, तो ट्रस्ट बोर्ड में राष्ट्र को, अर्थात् राष्ट्र की प्रतीक इस पार्लियामेंट को, जरूर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

†**श्री काशी राम गुप्त** : सभापति की अर्हताओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह नहीं पता कि वह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या आई० सी० एस० पदाधिकारी होगा।

उपसभापति के पद को बदल देना चाहिए अथवा या उस के काम सभापति से भिन्न होने चाहियें।

सभापति तथा उपसभापति के वेतन सम्बन्धी व्यवस्था इसी विधेयक में होनी चाहिए।

बोर्ड में श्रमिकों के दो प्रतिनिधि होने चाहिएं। संसद् सदस्यों के केवल दो प्रतिनिधि अपर्याप्त हैं। छोटे दलों के प्रतिनिधि भी होने चाहियें।

कर्मचारियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार ने सभी शक्तियां अपने हाथ में ली हैं। अनुशासन के बारे में कार्यवाही की शक्ति बोर्ड को दी जानी चाहिये। परन्तु केन्द्रीय सरकार से अपील की जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

अर्हताओं के सम्बन्ध में खण्ड ६ (घ) (६) में की गई व्यवस्था को हटा देना चाहिये। १०,००० रुपये की सीमा न्यासधारी के लिए अपमानजनक है।

खंड २७ खंड २३ को काटता है।

खण्ड ३१ में पूंजीगत वस्तुओं तथा उन की ऋण के भुगतान की व्यवस्था की गई है। यह बोर्ड की मंजूरी से निश्चित किया जाना चाहिये। बोर्ड तो स्वायत्त है। सरकार को उसे आदेश नहीं देने चाहिएं।

खण्ड ३४ में सभी शक्तियां सभापति को दी जानी चाहिएं।

खण्ड १११ में 'पालिसी' शब्द की परिभाषा दी जानी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था की क्या आवश्यकता है। जब बजट एक बार मन्जूर किया जाता है तो अलग मंजूरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बोर्ड सभी वित्तीय शक्तियां होनी चाहियें ताकि देरी को रोका जा सके।

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर) : यह पता नहीं कि इस विधेयक में बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के लिए विशिष्ट व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पत्तनन्यासों के प्रबन्ध में श्रम के प्रतिनिधियों ने बहुत महत्वपूण काम किया है।

सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि बड़े पत्तनप्रन्यास विधेयक में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। अतः सरकार को यह स्पष्ट आश्वासन देना चाहियें कि जहां भी सरकार बोर्ड बनायेगी वहां श्रमिकों के कम से कम दो प्रतिनिधि अवश्य रहने चाहियें।

मैं अपने माननीय मित्र की इस बात का समर्थन करूंगा कि बोर्ड में संसत्सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

मैं बम्बई पत्तन प्रन्यास में दिये गये साक्ष्य से सहमत हूं कि पत्तन प्रन्यास को केवल सरकार का एक विभाग बन कर नहीं रह जाना है अपितु उसे एक स्वायत्तशासी संस्था की तरह कार्य करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण केवल नीति सम्बन्धी बातों पर ही रहे। निस्सन्देह अधीक्षण की शक्तियों का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाये।

सरकार को छोटे और बिक्ले पत्तनों के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिये। मध्यम प्रकार के पत्तन भी यह मांग कर रहे हैं कि उनको बड़े पत्तनों का दर्जा दिया जाये। सरकार को चाहिए कि वे इन पत्तनों पर उचित ध्यान दें।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : श्री रघुनाथ सिंह और मैंने एक संयुक्त विमति टिप्पण दिया है, तथा एक संयुक्त संशोधन भी प्रस्तुत किया है। मैं उसी संशोधन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

मेरा सुझाव है कि संसद सदस्यों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। संसद सदस्यों को इस प्रकार के सभी बोर्डों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है अतः उन्हें पत्तन बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

विधेयक में इस बात का स्पष्ट निदेश होना चाहिये था कि बोर्ड में श्रमिकों के कम से कम दो प्रतिनिधि अवश्य रहने चाहिये। जब मजदूर वर्तमान पत्तन प्रन्यास अधिनियम की रूपरेखा के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो श्रमिको के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधी भी वही रहने चाहिये जो पहले थे। अतः इसमें श्रमिकों के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध कर दिया जाये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह मेजर पोर्ट ट्रस्ट बिल सिलेक्ट कमेटी को जा रहा था उस समय मैंने बताया था कि यहां पर एक यूनीफार्म पालिसी होनी चाहिये। इस में सिलेक्ट कमेटी ने जो चन्द तबदीलियां की हैं उनके लिए में उसको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है, जैसा कि और भी बहुत से भाइयों ने बताया है, कि इस में पार्लियामेंट के मैम्बरों की नुमाइन्दगी नहीं है। और न लेबर के लिये ज्यादा स्थान मुहय्या किए गए हैं। जब सरकार किसी उद्योग

†मूल अंग्रेजी में

का राष्ट्रीयकरण करती है तो उसमें निजी क्षेत्र से लेबर के लिए अधिक स्थान होना जरूरी है। अजर लेबर के लिए दो ही नहीं बल्कि तीन या चार स्थान भी रखे जाते तो ठीक था। मैं इस बात का सब के साथ समर्थन करता हूं कि कम से कम दो स्थान तो लेबर के लिए अवश्य होने चाहियें।

इसके अलावा मैं मंत्री महोदय का ध्यान खास तौर पर इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इसमें आप सिर्फ चार बन्दरगाहों के लिये ट्रस्टी कमेटी की स्थापना की व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी मेजर पोर्ट मुल्क में आगे बनने वाले हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

दो चार साल पहले मंगलोर पोर्ट को भी मेजर पोर्ट में तबदील करने का प्रश्न था। लेकिन इस बारे में अब सरकार दूसरा विचार कर रही है। इससे उस क्षेत्र में असंतोष फैल रहा है। मैसूर के मुख्य मंत्री ने और वहां के ट्रांस्पोर्ट मंत्री ने भी आपको इस बारे में लिखा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाके इसको ड्राप करके गोआ को मेजर पोर्ट बनाना चाहते हैं, या कि दोनों को मेजर पोर्ट बनाना जरूरी समझते हैं। मैसूर राज्य का जो दो सौ मील का समुद्री किनारा है उसमें एक न एक मेजर पोर्ट होना जरूरी क्योंकि बम्बई और मद्रास के बीच में हजारों मील के अन्दर एक भी मेजर बन्दरगाह नहीं है।

गोआ और मारमा गोआ को बनाना भी जरूरी है, इसको भी मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन मंगलोर को मेजर पोर्ट बनाना बहुत जरूरी है। इस काम में अभी तक काफी पैसा भी खर्च किया जा चुका है। इस साल के लिए पांच लाख का बजट रखा गया है। सुनने में आता है कि इसको तबदील किया जा रहा है। यही प्वांइट अविश्वास प्रस्ताव के सिलसिले में कृपालानी जी ने भी आपके सामने रखा था।

मैं साफ जानना चाहता हूं कि क्या मंगलोर को मेजर पोर्ट बनाने का प्लान है या नहीं। अगर है तो उसको इसमें शामिल किया जाए।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : सरकार ने छोटे पत्तनों को भी बड़े पत्तनों का दर्जा देने की जो योजना बनायी है उससे मैं प्रसन्नता है। प्रवर समिति ने भी इस संबंध में अच्छा प्रतिवेदन दिया था। केवल एक विमति टिप्पण इस पर आया है। प्रवर समिति के सदस्यों ने कुछ संशोधन रखे हैं और वे प्रन्यास बोर्ड में संसद सदस्यों को भी शामिल करना चाहते हैं। वस्तुतः इस प्रकार की अन्य समितियों में संसद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विशेषतः जो सदस्य संसद की चर्चाओं में पत्तन इत्यादि के विषय में बोलते हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाये। मेरे विचार से इस संशोधन की स्वीकृति में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

इस विधेयक के अधीन किसी भी पत्तन को बड़ा पत्तन घोषित किया जा सकता है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हल्दिया के पत्तन को बड़ा पत्तन घोषित कर दिया जायेगा। क्योंकि यदि उसे कलकत्ते का सहायक पत्तन ही घोषित किया जाये तो हमें श्रम प्रतिनिधित्व इत्यादि के बारे में कठिनाई होगी। सरकार को इस मामले पर तत्काल ध्यान देना चाहिये।

†डा० गायतोंडे (गोआ, दमन और दीव) : मैं मर्मगाओ के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। क्योंकि इस पत्तन पर आगामी कुछ ही वर्षों में २० से २३ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। अतः मैं नहीं जानता कि इस पत्तन को विधेयक में शामिल क्यों नहीं किया गया है।

इस समय मर्मगाओ से ६० लाख टन का निर्यात होता है इसे बढ़ा कर १०० लाख टन किया जा सकता है।

मेरे विचार से संसद सदस्यों को बोर्ड में मनोनीत किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** मैं उन सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और रचनात्मक सुझाव दिये ।

चर्चा मुख्यत: तीन बातों पर हुई । पहिला यह कि बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं रखा गया है । दूसरे पत्तनप्रन्यास बोर्ड में संसद के सदस्यों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया है । तीसरे यह कि सरकार पत्तन बोर्डों को आदेश देने के लिये व्यापक शक्तियां क्यों ले रही है ।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं यह विधान वर्तमान पत्तन प्रन्यास अधिनियम के नमूने पर बनाया गया है । विशेषरूप से य मद्रास पत्तन प्रत्यास अधिनियम के नमूने पर बना है । अत: इस अधिनियम से पत्तनों के प्रशासन में एक प्रकार की एकरूपता आ जायेगी जिसकी बहुत आवश्यकता है ।

जहां तक श्रम प्रतिनिधि रखने का प्रश्न है कारण स्पष्ट है मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को, जिन्होंने इस विषय पर एक संशोधन भी रखा है, उन्होंने स्वयं कहा है कि विभिन्न पत्तनों द्वारा जिस सामान की मात्रा का पारिव न किया जाता है उनमें काफी अन्तर है । जहां कलकत्ता और बम्बई के द्वारा पिछले वर्ष ११० लाख टन और १३० लाख टन सामान उतारा और चढ़ाया गया था, वहां कोचीन के द्वारा २५ लाख टन, विशाखापट्नम द्वारा २३ लाख टन, कांडला द्वारा १३ लाख टन सामान उतारा और चढ़ाया जाता है । समस्त विकास योजनाओं की समाप्ति पर भी कोचीन की क्षमता ४० लाख टन, विशाखापट्नम् की क्षमता ९० लाख टन, और कांडला की क्षमता २५ लाख टन होगी । यह तीसरी योजना के अंत के आंकड़े है । इससे स्पष्ट है कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों की क्षमता यातायात की मात्रा पर निर्भर करेगी । अत: हमने खंड ३ में ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है कि इससे में बोर्डों के भावी विकास करने के लिये काफी अधिकार मिल जाते हैं । इस खंड की शब्दावलि इस प्रकार है कि प्रन्यास बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त १० व्यक्ति तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित एजेंसियों से १२ व्यक्ति से अनधिक नहीं होंगे । तथापि यदि किसी पत्तन के लिये आठ या दस व्यक्ति ही काफी होंगे तो ऐसे बोर्ड के लिये श्रमिकों के दो प्रतिनिधि नियुक्त करना उचित नहीं होगा । एक बोर्ड के लिये श्रमिकों का एक ही सदस्य काफी हो सकता है । तथापि मेरे मित्र श्री उमानाथ ने इस बात पर अपनी भ्रांति प्रगट की है । मेरे विचार से खंड की शब्दावलि इस विषय के लिये पर्याप्त है ।

प्रवर समिति में यह आश्वासन दिया गया है कि श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा । मैं इस को यहां भी दुहराता हूं । यातायात की मात्रा तथा बोर्डों के आकार को देखते हुए श्रमिक प्रतिनिधियों को उस में स्थान दिया जाये । नये पत्तन जैसे तूतीकोरिन, मंगलोर, परादीप अथवा पोरबंदर बंदरगाहों में जहां कि केवल ५ से ७ लाख की क्षमता होगी वहां के बोर्डों में २४ सदस्य रखना संभव नहीं होगा । हम जैसे भी बोर्ड बनायें वह स्थिति के अनुरूप हो और अत: इन सब बातों को देखते हुए जो संदेह या भ्रांति प्रगट की गयी है व निराधार है । मैं य कह सकता हूं कि जैसे जैसे बोर्ड के आकार में वृद्धि होगी वैसे वैसे श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या में भी वृद्धि होगी । आज कलकत्ता में ४० से ५० हजार तक श्रमिक हैं और बम्बई में श्रमिकों की संख्या ३५००० है वहां श्रमिकों के दो प्रतिनिधि हैं तो कांडला में जहां २००० से ३००० तक ही श्रमिक हैं वहां दो प्रतिनिधि किस प्रकार हो सकते हैं । तथापि मैं संशोधन संख्या को स्वीकार कर रहा हूं ।

मैं य संशोधन इस कारण नहीं स्वीकार कर रहा हूं कि य कांग्रेस दल के सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया है । वस्तुत: यह सभा के सभी दलों की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक बोर्ड में इस सभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न है वह भी इसी प्रकार का है। तथापि अभी तक वर्तमान पत्तन प्रन्यास अधिनियम की रूपरेखा इस प्रकार की है कि उसमें केन्द्रीय सरकार अथवा श्रमिकों से सम्बन्धित व्यक्तियों या वाणिज्य, नौवहन और स्थानीय संस्थाओं को ही प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। इस सम्बन्ध में वाणिज्य नौवहन प्रशिक्षण बोर्ड, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड डफरिन समिति तथा अन्य कई बोर्डों का उल्लेख किया गया था। तथापि यह स्मरण रखना चाहिये कि इन बोर्डों की बैठकें समान्यत: वर्ष में एक बार मुख्य नीति सम्बन्धी मामलों को सुलझाने के लिये होती हैं। जब कि पत्तन प्रन्यास बोर्ड की बैठक प्रति सप्ता या प्रति पक्ष होती है। बोर्ड के अध्यक्ष का कार्य प्रशासन तथा प्रबन्ध में हिस्सा लेना है जब कि इस सभा के संसद सदस्यों का मुख्य कार्य नीति निर्धारण और विचार करना है। किन्तु यदि आप किसी संस्था के प्रबन्ध और व्यवस्था में हाथ बटाते हैं तो आप अपने बुनियादी कार्यों से बहुत दूर हट जाते हैं।

अत: सदस्यों को स्वयं ही इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या वह इस कार्य को करने को तैयार हैं। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर सरकारी व्यक्ति होता है। इस में संसद सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व मिला होता है। यही बात वाणिज्य नौवहन प्रशिक्षण बोर्ड पर भी लागू होती है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : नारियल जटा बोर्ड की बैठक लगभग तीन महीनों में एक बार होती है। उसमें संसद् सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

†**श्री राज बहादुर** : प्रश्न यह है कि क्या यह विचार करने वाली संस्था है या कार्यपालिका संस्था है ? यह नीति निधारित करता है और कार्य पालिका का काम है इसे क्रियान्वित करना। यदि विधान मंडल के सदस्य विभागों के प्रबन्ध में भाग लेना चाहते हैं, तो यह भी नीति का मामला है। फिर यह प्रश्न उठाया गया था कि पत्तन प्रन्यास को सहायता लाभप्रद समझता जाय, क्योंकि उन के हाथ में संरक्षण का काफी शक्ति होती है।

†**श्री तिरुमतीराय** (काकिनाडा) : सदस्यों के हाथ में संरक्षण की अत्यधिक शक्ति है।

†**श्री राज बहादुर** : इस प्रश्न का निर्णय सदन ने करना है, क्यों कि यदि कोई छूट दी जाती है, तो संसद सचिवालय को इस प्रश्न को जांच करनी पड़ेगी और यह देखना पड़ेगा कि इस की सदस्यता लाभप्रद है। यदि यह ऐसा समझा गया, तो सम्भवत: माननीय सदस्य इस के सदस्य नहीं बनना चाहेंगे।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मान लीजिये कोई एम० एल० ए० चुना जाता है, उसके लिये यह आफिस आफ प्राफिट होगा या नहीं ?

†**श्री राज बहादुर** : मैंने पूछताछ कर ली है। विधान मंडलों के सदस्य पत्तन प्रन्यास बोर्डों पर नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : स्थानीय निकाय के सदस्य चुने जा सकते हैं।

†**श्री राजबहादुर** : यदि वह चुना गया, तो ये सब बातें उस पर भी लागू होंगी। अत: जहां तक इस विशष संशोधन का सम्बन्ध है, मेरे लिये इसे स्वीकार करना कठिन है और मैंने बताया है कि व्य वहारिक अड़चनें क्या हैं पत्तन प्रन्यासों की बैठक हर पखवाड़े या सप्ताह में होती है और संसद्

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राजबहादुर]

के सदस्यों के लिये इन की बैठकों में जाना कठिन होगा जब कि संसद् के सत्र साल में ७ महीन से अधिक रहते हैं ।

खंड १११ के उपखंड (२) के बारे में यह आपत्ति की गई है कि नीति के प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को होगा । यह प्रत्यक्ष है कि नीति का प्रश्न दैनिक प्रबन्ध या प्रशासन का प्रश्न नहीं होता इस लिये यह अत्यावश्यक है कि नीति निर्धारित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथ में हो । क्योंकि इस लिये कि हमने विश्व बैंक के साथ पत्तनों के विकास के लिये बड़ी बड़ी रकमों के ऋण लेने का प्रबन्ध किया है, चाहे वे पत्तन बम्बई मद्रास, कलकत्ता या विशाखापटनम हो या कोई और । हमें यह सुनिश्चित करना है कि इन ऋणों का उचित उपयोग किया जाय और उन की अदायगी ठीक ढंग से की जाये । इस सम्बन्ध में हमें हर नीतियों का भी ध्यान रखना है ; अन्यथा पत्तन इन ऋणों की अदायगी नहीं कर सकेंगे । मैंने बम्बई पत्तन की ओर निर्देश किया था । वहां न्यूनतम विकास योजना बहुत समय तक लम्बित रही थी । और स्वय पत्तन प्रन्यास म मतभेद था । वे कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर सके । फल यह हुआ कि बम्बई पत्तन का विकास कार्यक्रम पहली और दूसरी योजनाओं की अवधि में बन्द रहा । दूसरी योजना के अन्त में हमें हस्तक्षेप करना पड़ा था और एक आधुनिकीकरण योजना का अनुमोदन किया गया था, जिसके आधार पर हम विश्व बैंक से एक ऋण मिला । अतः केन्द्रीय सरकार को निदेश देने की पर्याप्त शक्तियां होनी चाहिये ।

श्रम सम्बन्धी मामलों में भी हमें हस्तक्षेप करना पड़ा था । यह उपबन्ध भी अत्यावश्यक है । प्रवार समिति ने इसे माना है और इसे इन्ही शब्दों में रहने देना चाहिये ।

श्री उमानाथ ने बड़े और छोटे पत्तनों के संतुलित विकास की कमी का उल्लेख किया है । उन का कहना है कि हमने छोटे पत्तनों की उपेक्षा की है जैसा कि हम जानते हैं, पत्तनों का विकास व्यापार की आवश्यकताओं के अनुसार होता है । यदि छोटे पत्तनों का व्यापार बढ़े, तो उन का विकास भी अवश्य होगा । यदि कलकत्ता और बम्बई के पत्तनों का विकास हुआ है, तो वह इसलिये कि इन के साथ के क्षेत्रों में व्यापार बढ़ा है । यह कहना गलत होगा कि हमने इनके विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ६ बड़े पत्तनों की कुल क्षमता ३७० लाख टन है और सबसे अधिक व्यापार ३३० लाख टन का हुआ है । तीसरी योजना के अन्त में इन सब की कुल क्षमता ५०३ लाख टन होगी । अतः पत्तन क्षमता व्यापार के पीछे नहीं रहेगी । यह आश्वासन मैं बिना संकोच के दे सकता हूं ।

पूछा जायगा कि छोटे पत्तनों के बारे में क्या व्यवस्था की गई है । ऐसे पत्तनों द्वारा केवल तटी व्यापार होता है, आयात या निर्यात का व्यापार नहीं होता । हम कह सकते हैं कि इस सम्बन्ध में हैं राज्य सरकारों की, जो छोटे पत्तनों के लिये उत्तरदायी है, उन के विकास के लिये पूरा प्रोत्साहन दिया है । इसी प्रयोजन के लिये हमने दर्मियाने पत्तन विकास समिति बनाई थी और मुझे हर्ष है कि उस की सिफारिशों को कियान्वित किया जा रहा है । हम स्वयं उत्सुक हैं कि छोटे पत्तनों का विकास हो, क्योंकि तटीय व्यापार को भी विकसित किया जाना है । यह केवल तभी हो सकता है जब छोटे पत्तनों को विकसित किया जाये । इस के लिये आवश्यक सुविधायें दी जाये और माल उतारने और चढ़ाने का व्यय कम किया जाय । हम नाव उद्योग को भी प्रोत्सहान दे रहे हैं कि वे अपनी नावों को यन्त्रीकृत करें और ५०० से १००० टन क्षमता के यन्त्रीकृत जहाज बनायें, जो छोटे पत्तनों में जा सकें । यदि एसा कर लिया गया, तो छोटे पत्तनों द्वारा तटीय व्यापार विकसित किया जा सकता है ।

मार्मागाओं पत्तन के विकास के लिये हम ने २० करोड़ रुपये की योजनाय बनाई हैं हमने योजनाओं की योजना आयोग से सिफारिश की है और तीसरी योजना के व्यय ८.५ करोड़ रुपये होगा । हमें आशा है कि इन्हें अनुमोदित किया जायेगा और हम आगे जा सकेंगे ।

मंगलोर के बारे में जो संदेह प्रकट किये गये हैं, वे निराधार हैं। इस के लिये योजना के पहले और दूसरे वर्षों में बजट में व्यवस्था की गई है। योजना के तीसरे वर्ष में ५० लाख रूपये की व्यवस्था है। एक प्रशासी अधिकारी और मुख्य इंजीनियर नियुक्त कर दिया गया है। भूमि अर्जन के लिये मंजूरी दे दी गई है और स्थान की भी। ड्रेजर खरीदने की योजनाओं का भी अनुमोदन किया गया है। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि मंगलोर पत्तन परियोजना को छोड़ देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम इसे अवश्य पूरा करेंगे।

श्री जसवन्त मेहता ने कहा था कि सरकार ने बड़े पत्तनों के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लाने का आश्वासन दिया था। यह विधेयक उस आश्वासन को लगभग पूरा करता है, क्यों कि यह मद्रास पत्तन प्रन्यास अधिनियम के नमूने पर आधारित है और यह बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बड़े पत्तनों के अलावा ट्यूटीकोरिन, मंगलोर, गोआ, पोरबन्दर या पारादीप आदि पर भी लागू किया जा सकता है।

हल्दिया को फिलहाल कलकत्ता की सहायक बन्दरगाह के रूप में शुरू किया गया है। हम ने इस बात का ध्यान रखा है कि दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हों और इन में मुकाबला न हो। अतः कुछ समन्वय आवश्यक होगा क्या हाल्दिया के लिये एक अलग पत्तन न्यास कायम किया जाये। इस प्रश्न पर अनुभव के प्रकाश में विचार किया जायगा। यह निर्णय स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार किया जायगा कि अलग पत्तन प्रन्यास स्थपित किया जाय या नहीं।

श्री काशी राम गुप्त ने कहा है कि परामर्शक इंजीनियर की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की सलाह से होगी। परामर्शक इंजीनियर पत्तन का स्थायी मुख्य इंजीनियर नहीं। खंड २६ के अन्तर्गत बोर्ड किसी को मासिक वेतन के आधार के अतिरिक्त किसी और आधार पर परामर्शक इंजीनियर नियुक्त कर सकता है। अतः वह स्थायी अधिकारी नहीं है और उस की नियुक्ति करते समय देश के योग्य व्यक्तियों को ध्यान में रखा जायेगा। इस लिये हम सोच रहे हैं कि सेवा निवृत्त इंजीनियरों का एक परामर्शक इंजीनियर निकाय कायम कर दिया जाये, ताकि विदेशी विशेषज्ञों पर विदेशी मुद्रा खर्च न करनी पड़े। हम हमेशा के लिये विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर नहीं रह सकते। यदि विभागाध्यक्ष को सेवा से हटाया जाये, या दर्जे में घटाया जाये या अन्यथा दंडित किया जाये, तो उसे दूसरी अपील करने का अधिकार नहीं होगा, क्यों कि विभागाध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। खंड २५ में भी उपबन्ध है और प्रवर समिति ने भी विस्तारपूर्वक इस पर विचार किया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में कुछ बड़े पत्तनों के लिये पत्तन अधिकारों का गठन करने और इन पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण तथा प्रबन्ध को इन प्राधिकारों को सौंपने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री यशपाल सिंह : मैं अपने संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति ३३ —अन्त में निम्न जोड़ दिया जाये—"and that the number of persons so appointed shall not be less than two" "[और इस तरह नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या २ से कम नहीं होगी "।] (६)

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

पृष्ठ ४, पंक्ति ३३—अन्त में निम्न जोड़ दिया जाये—and that the number of persons so appointed shall not be less than two" "[और इस तरह नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या २ से कम नहीं होगी"।] (६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†श्री यशपाल सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

संशोधन संख्या ३ सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५ से ८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री यशपाल सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १० से १५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री यशपाल सिंह** : मैं खंड १६ पर अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है ।

"कि खंड १६ विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १७ से १३४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये "।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक

†**श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यक्तिगत चोट लगने वाले श्रमिकों को प्रतिकर देने का दायित्व नियोजकों पर डालने और उस दायित्व तक के लिये नियोजकों का बीमा करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये "।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत के राज्य व्यापार निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटड नई दिल्ली के वर्ष १९६१-६२ की वार्षिक रिपोर्ट पर लेखा परीक्षक लेखे और उस पर नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित जो ४ दिसम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखी गई थीं, विचार करती हैं।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन एक ऐसी संस्था है जिसे हमने इसलिए स्थापित किया था कि वह इस देश में ऐसे लोगों के लाभ को कम कर दे जो पूंजी के आधार पर आयात, निर्यात का काम करते थे या दूसरे व्यापार करते थे और अत्यधिक मुनाफा उठाते थे। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का जहां तक अर्थ मैं समझता हूं वह यह है कि राज्यों की ओर से व्यापार चलाया जाये। राज्य हमारा कैसा है? हमारा राज्य एक मंगलकारी गणराज्य है। इसमें जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। इसलिए इस कारपोरेशन का यह कर्त्तव्य था कि वह केवल इस दृष्टि से अपना काम नहीं चलाता कि मुझे मुनाफा अधिक करना है जिससे लाभ की भावना उतनी न होती जितनी कि हम कारपोरेशन के द्वारा की हुई देखते हैं।

इस सदन को मालूम है कि जितना आयात बाहर से होता है, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने उसमें बहुत सी सामग्रियों का और बहुत सी वस्तुओं का एकाधिकार प्राप्त कर रक्खा है और बाकी चीजें जो मंगाई जाती हैं उनका मूल्य जो यहां लिया जाता है वह उतना नहीं होता जितने पर कि हम बाहर से उनको मंगाते हैं अपितु उन पर मुनाफ़ा बहुत ज्यादा लिया जाता है। तर्क यह दिया गया है कि चूंकि इस देश में बढ़े हुए दामों पर चीजें बिक रही हैं इसलिए यदि उन्हीं दामों पर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन इन वस्तुओं को बेचेगी तो लोग उसका नाजायज़ मुनाफ़ा उठायेंगे। मेरे ख्याल में यह बात सही नहीं है क्योंकि जब थोक व्यापार आप करते हैं तो जो वस्तुएं बाहर से आई हैं, उन्हें देश में सस्ते दामों पर वितरित करने की मंशा यह होगी कि देश भर में दाम गिर जायेंगे और जो लोग दाम बढ़ा-चढ़ा कर लेते हैं उनको भी सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा लेकिन स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने य नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी संसद् की प्राक्कलन समिति (एस्टीमेट्स कमेटी) ने अप्रैल, १९६० में इस विषय पर विचार किया था और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के सम्बन्ध में अनेकों बातें इस प्रतिवेदन में दर्ज हैं। आज वह रिपोर्ट १९६१–६२ की हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। सदन में दिसम्बर में हमारे सामने आयी थी उसमें एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट और उनकी सिफारिशों का कोई जिक्र नहीं है। यह बात सही है कि तत्कालीन व्यापार मन्त्री ने एक घोषणा की थी और उस घोषणा का अर्थ यह था कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के कार्य में कुछ वृद्धि कर दी गई। एक नीति की जो नई घोषणा की गई उसके अनुसार वे बातें भी उस वक्त व्यापार के अन्तर्गत शामिल कर दी गईं जिनका कि अधिकार उसको पहले-पहले प्राप्त नहीं हुआ था। यदि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट को हम ध्यान से देखें तो उसमें शुरू-शुरू में उल्लेख किया गया है। शुरू-शुरू में स्टट ट्रेडिंग कारपोरेशन के आयात सम्बन्धी कार्यक्रम का जो प्रश्न रक्खा गया था उसमें यह बतलाया गया था कि उसकी गतिविधि कुछ आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित रहनी चाहिये थी, जैसे सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम बाई कारबोनेट, सलफर और कच्चा रेशम आदि। इसी तरह जहां तक निर्यात का प्रश्न था यह कहा गया था कि इस बात की जांच कराई जाये कि कारपोरेशन लाभप्रद ढंग

से लैमन, घास का तेल, काली मिर्च और कुछ धातुओं के कच्चे माल आदि के निर्यात पर विचार करे। यह देखे कि कारपोरेशन क्या लाभप्रद ढंग से इन वस्तुओं का व्यापार कर सकता है। लेकिन स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन विगत वर्षों में घोषित नीति के विरुद्ध आचरण करता रहा है। जैसाकि एस्टीमेट्स कमेटी के छयासीवें प्रतिवेदन के पृष्ठ ३ पैरा ११ में लिखा है कि कारपोरेशन व्यापार के ऐसे क्षेत्रों में भी प्रवेश करता गया जहां उसकी कोई आवश्यकता न थी और अपने इस कार्य से कारपोरेशन ने ऐसे निजी उद्योगियों को काम से बाहर खदेड़ दिया जिन्होंने वर्षों के परिश्रम और रुचि के कारण अनेकों वर्षों में व्यापार स्थापित किया था। उसी स्थान पर एस्टीमट्स कमेटी के सम्मुख यह तर्क रखा गया था कि नीति की स्पष्ट घोषणा के बिना कारपोरेशन ने अपनी गतिविधि का वृत्त बढ़ाया है और अपने मौलिक उद्देश्यों से उसने वहिर्गमन किया है। उदाहरण के लिये जिस नीति की घोषणा प्रारम्भ में की गई थी उस में मैंगनीज ओर का जिक्र नहीं था और साथ ही साथ सीमेंट के व्यापार का, भारत के अंदर वितरण करने के लिए या उसमें व्यापार करने के लिये घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन शनैः शनैः कारपोरेशन ने मैंगनीज ओर का काम भी किया और आज देश के व्यापार का लगभग पचास प्रतिशत उसके हाथ में है।

जहां तक व्यापार को हाथ में लेने का प्रश्न है हम स्वागत करते हैं। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऐसे कामों को हाथ में ले रहा है जिससे राज्य के लोगों को हमारे देश के लोगों को लाभ हो। लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं कि इन कामों में मैंगनीज ओर के संबंध में महसूस करते हैं कि कुछ निजी उद्योगपतियों को अपना काम बंद कर देना पड़ा है। राज्य के हित में यदि यह है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऐसे कामों को ले तो हमें इसका स्वागत करना चाहिये लेकिन साथ ही साथ हर समय हमें यह बात देखते रहना चाहिये कि जो लोग काम कर रहे थे उन्हें हमने स्थापित तो नहीं किया, उनका रोज़गार बन्द तो नहीं कर दिया है। विशेषकर जब यह कहा जाता है लोगों द्वारा कि उन्होंने वर्षों पूर्व इस काम को स्थापित किया था और जब काम जम गया तो उनके हाथ से हमने छीन लिया। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय प्रकाश डालेंगे और बतलायेंगे कि इन कामों को लेने के पीछे क्या उद्देश्य था। पहले इसकी घोषणा किये बगैर यह क्यों हाथ में लिये गये ? अब जो उद्देश्य बतलाया गया है उसमें यह बतलाया गया है कि निर्यात का कार्य कारपोरेशन के सिपुर्द कर दिया जाये ऐसी वस्तुओं का जिनमें ऐसे देश व्यापार करते हैं, यह स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में विश्वास रखते हैं जैसे कि कम्युनिनिस्ट देश, इत्यादि, साथ ही साथ दूसरे देशों से भी व्यापार करने की छूट इसे दी गई है। ट्रेडीशनल कमोडिटीज़ के वितरण के क्षेत्रों को भी निकालने का काम इसके सिपुर्द कर दिया गया है। निर्यात के नये केन्द्रों को भी खोजने की बात कही गई है। सरकार की प्रेरणा पर, और ऐसी वस्तुओं के मूल्यों को स्थाई बनाने और उसके व्यवस्थित वितरण की व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए आयात करना अथवा देश के भीतर वितरण की व्यवस्था भी इसके सिपुर्द कर दी गई है। जनहित की दृष्टि में उन विशेष वस्तुओं के आयात, निर्यात अथवा आंतरिक वितरण आदि की व्यवस्था करने का काम भी सरकार ने उसे दिया है। यदि सरकार उसे निर्देशन दे। सरकार ने कुछ सीमा तक उन सट्टे वाली वस्तुओं का व्यापार भी कारपोरेशन के सुपुर्द कर दिया है और साथ ही साथ यह व्यवस्था की है कि ऐसी वस्तुओं का भी काम उसे दिया जाये कि जिनका निर्यात करना आन्तरिक मूल्यों के बढ़ने के कारण कठिन हो गया है।

मैं देखता हूं कि इस सम्बन्ध में एस्टीमेंट्स कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं उनको बहुत अंश तक मानते हुए नये उद्देश्य घोषित किये गये हैं। लेकिन साथ ही साथ बहुत सी ऐसी बातें रक्खी गई हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि कई सिफारिशें एस्टीमेट्स कमेटी की बाक़ी रहती हैं जिनको कि पूरा नहीं किया गया है। मैं जानना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि उन एस्टीमेट्स कमेटो

[श्री म० ला० द्विवेदी]

की सिफ़ारिशों में से कौन-कौन ऐसी हैं जोकि उन्हें मान्य हैं और कौन-कौन ऐसी हैं जिन्ह वे नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे तो उनका कारण क्या है ?

अब मैं स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के सम्बन्ध में एक दो बातें कहना चाहता हूं। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने जो काम किया है और जैसाकि १९६१–६२ की रिपोर्ट से मालूम होता है और उसने लाभ के लिए काम अधिक करना प्रारम्भ किर दिया है और जनहित की ओर ध्यान नहीं रक्खा है जिसका कि फल होता है कि यदि कारपोरेशन ने ६ करोड़ का लाभ दिखलाया है लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि उस ६ करोड़ में से ४ करोड़ की रक़म अर्थात् दो तिहाई हिस्सा उसने अपने ही कामों में व्यय कर डाला है। केवल २ करोड़ का लाभ यानी एक तिहाई लाभ ही हमारे हाथ में आया है। यदि यह काम निजी हाथों में होता था तो ज्यादा लोग फ़ायदा उठाते थे। मैं यह जानना चाहूंगा कि अब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के बनने के कारण सरकार को जो लाभ हुआ है क्या वह इतना अधिक है कि उसके कारण अधिक लोग लाभ उठा रहे हैं या क्षति उठा रहे हैं ? और जो २ करोड़ रुपया है उसका विवरण भी ठीक तरीक़े से समझायें कि वह किन-किन कामों में व्यय किया गया है या वह राज्य के कोष में आ गया है ? आयात की हुई वस्तुओं को बढ़ा-चढ़ा कर देश के भीतर बेचा जाता है यह शिकायत की गई है। कहा यह जाता है कि देश में मूल्य वस्तुओं का अधिक है। इसलिए उन्हें उन दामों पर बेचना मुनासिब है लेकिन स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का जहां तक मैं अर्थ समझा हूं वह यह है कि वह देश में मूल्यों का नियन्त्रण करने के लिए है। प्राइवेट सैक्टर के कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए है और मांग और पूर्ति के बीच में जो गैप्स हैं, कमियां हैं उनकी पूर्त्ति के लिए यह काम हाथ में लिया था। मुनाफ़ाखोरी उसका लक्ष्य नहीं था। यदि मुनाफ़ाखोरी उस का लक्ष्य था, तो यह बात उसके उद्देश्यों में कहीं नहीं दी गई है। जब मंत्री महोदय ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को बनाने के सम्बन्ध में घोषणा की थी, उस समय भी उन्होंने इसका ज़िक्र नहीं किया था कि मुनाफ़ाखोरी भी उसका लक्ष्य है।

मेरा कहना यह है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को निजी उद्योगपतियों की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निजी उद्योगपतियों का व्यापार में केवल एक ही उद्देश्य होता है कि वे अपने निजी लाभ को ही बढ़ायें। संसद् ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की स्थापना की स्वीकृति इसलिए दी थी कि वह वस्तुओं के थोक आयात का काम इसलिए करे कि वह सर्व-साधारण को मूल देशों के भावों पर आयात की हुई वस्तुओं को वितरित कर सके। कारपोरेशन निजी पूंजीपतियों का स्थान ले, ऐसी हमारी इच्छा कभी नहीं थी। यह कहा गया है कि चूंकि अमुक वस्तुयें देश में ऊंचे मूल्य पर बिक रही थीं, इसलिए कारपोरेशन ने भी उन्हें ऊंचे मूल्यों पर ही बेचा। यदि कारपोरेशन थोक आयात करके कम मूल्यों पर वितरण कर दे, अथवा लागत मात्र के मूल्यों पर पूर्ति करे, तो क्या यह सम्भव नहीं है कि उन वस्तुओं के मूल्य स्वयं गिर जायें और देश भर में सर्व-साधारण को वे वस्तुयें, या उनसे बनी हुई वस्तुयें, उचित दामों पर मिल सकें। ऐसा न कर के कारपोरेशन ने जो रास्ता अपनाया है, वह अत्यन्त विवादास्पद है और सदन को यह सोचना पड़ेगा कि सरकारी ढंग से जो व्यापार चलते हैं, क्या हमने उन को केवल मुनाफ़ाखोरी के लिए काम चलाने की अनुमति दी थी। यदि मंत्री महोदय हमें इस बात का आश्वासन दें कि लाभ के लिए जो काम किया जाता है, उस से देश को अधिक लाभ पहुंचा है, तो वह बात तो मानने लायक हो सकती है। (**अन्तर्बाधायें**) वह कारण बतायेंगे और सदन उस पर विचार करेगा।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को केवल ऐसी वस्तुओं को बाहर से मंगाना चाहिए, जिनको हम पैदा नहीं करते, या पैदा नहीं कर सकते । इसलिए यदि कुछ ऐसी वस्तुयें हैं, जिनको हम किसी देश के कोलैबोरेशन से, या सहायता से, या तकनीकी जानकारी प्राप्त कर के, बना सकते हैं, तो उन वस्तुओं को बाहर से नहीं मंगाना चाहिए । लेकिन बहुत सी वस्यएं ऐसी हैं, जिन को कार्पोरेशन बाहर से मंगाता है, हालांकि हम उनको देश में उत्पन्न कर सकते थे । मैं आप को सिनेमा कार्बन की पेंसिल का उदाहरण दूंगा । वे साढ़े बीस करोड़ रुपये की बाहर से मंगाई जाती हैं । (**अन्तर्बाधायें**) सरकार के प्रतिवेदन में केवल ३३ हज़ार की संख्या दी गई है, लेकिन मंत्री महोदय सरकारी कागज़ों की जांच करें । मुझे विश्वस्त रूप से पता चला है कि साढ़े बीस करोड़ . . . . .

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य लाख के बजाये करोड़ कह रहे हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : साढ़े बीस लाख ।

श्री मनुभाई शाह : वह ठीक है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अगर हम यहां पर कार्बन बनाने का कारख़ाना खोलना चाहें, तो खुल सकता है और खोलना चाहिए । अगर हम यहां पर कार्बन बना सकते हैं और उसके लिए हम को फ़ारेन कोलैबोरेशन मिल सकता है, तो फिर हम बाहर से क्यों आयात करते रहें ?

इसी तरह से हमने करीब करीब छः करोड़ रुपये का न्यूज़-प्रिंट इम्पोर्ट किया है । हम जानते हैं कि हमारे देश में न्यूज़-प्रिंट बनाने का सभी कच्चा माल मिलता है । यदि हम यहां पर नये कारख़ाने खोलें, तो शनैः शनैः हम न्यूज़-प्रिंट में आत्म-निर्भर हो सकते हैं । जब हम छ करोड़ रुपये न्यूज़-प्रिंट को इम्पोर्ट करने पर खर्च करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम अपने देश में और कारख़ाने न पैदा करें और धीरे-धीरे इस काम को आगे बढ़ायें । १९५६ में यह कारख़ाना स्थापित हुआ और आज हम १९६३ में हैं । इतने वर्षों में सरकार बराबर कागज़ का निर्यात करती रही, लेकिन हमें अफ़सोस है कि आत्म-निर्भरता की दिशा में हमने पर्याप्त कदम नहीं उठाऐं । मैं आशा करता हूं कि जो चीजें हमारे देश में बन सकती हैं, उनको बनाने की दिशा में कदम उठाये जायेंगे और उनके सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का यत्न किया जायेगा, ताकि ये इम्पोर्ट्स बन्द हो जायें ।

[**श्री तिरूमलराव** पीठासीन हुए]

मैं सदन का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि इस कार्पोरेशन के प्रतिवेदन इतने अच्छे कागज़ पर छापे जाते हैं । इनको साधारण कागज़ पर भी छापा जा सकता है । आज हम इमर्जेन्सी के बीच में से गुज़र रहे हैं और इसलिए ऐसे अच्छे मूल्यवान् कागज़ को सालाना प्रतिवेदन के लिए प्रयुक्त करना कहां तक लाभदायक सिद्ध होगा ? (**अन्तर्बाधायें**)

श्री दाजी (इन्दौर) : प्राईवेट सैक्टर से कम्पीट करना है । प्राईवेट सैक्टर के बैलैंस-शीट भी ऐसे अच्छे कागज़ पर छपते हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : सरकारी काम में, और निजी उद्योग में यही तो फ़र्क होना चाहिए कि सरकार चाहती है मितव्ययिता करना और निजी उद्योग नहीं करना चाहता । यदि हम यह कर के दिखायेंगे, तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि . . . . .

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : न्यूज़-प्रिंट नहीं मिलता है, यह काग़ज़ मिलता है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : यह काग़ज़ भी इम्पोर्टिड है । यह भी बाहर से मंगाया गया है ।

†**श्री नाथ पाई** : यह इस का एक मात्र आकर्षण है । आप इसके विरुद्ध क्यों हैं ?

श्री म० ला० द्विवेदी: हमारे देश में भी इतना ही अच्छा काग़ज़ बन सकता है । एक बात मेरे सुनने में आई है । वहां कहां तक सही है, मुझे नहीं मालूम । यूगोस्लाविया से कुछ टायर, ट्यूब मंगाए गए थे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :चैकोस्लोवाकिया से ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जी हां, चैकोस्लोवाकिया से कुछ टायर, ट्यूब मंगाए गए थे, जो कि सेना के वाहनों के काम में आने थे । उनके बारे में हमारे देश के एक व्यापारी, बंजाज इलैक्ट्रिकल्ज़ के मालिक, ने कहा कि ये टायर, ट्यूब एक ऐसे देश से आए हैं कि यह शंका हो सकती है कि ये टायर, ट्यूब अच्छे होंगे या नहीं । इस पर उनकी जांच-पड़ताल कराई गई और सेना के बड़े विशेषज्ञ ने बताया कि ये टायर ए-वन हैं, अव्वल नम्बर के हैं और उनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया गया और असैनिक कार्यों के लिए उनको बिकवा दिया गया । मालूम नहीं कि उसमें किसका कितना लाभ हुआ, कितना नुक्सान हुआ, लेकिन यह बात सही है कि वे सेना के काम में नहीं आ सके । अगर यह बात सही है, तो आशा है कि मंत्री महोदय इस बारे में प्रकाश डालेंगे ।

जहां तक फ़र्टेलाइज़र्ज़ का सम्बन्ध है, करीब साढ़े चार लाख टन फ़र्टेलाइज़र बाहर से मंगाये जा रहे हैं । फ़र्टेलाइज़र्ज़ के कारख़ाने हमारे देश में खुले हैं और हम अच्छे किस्म के फ़र्टेलाइज़र्ज़ बनाने लगे हैं । मेरा विश्वास है कि यदि म इस बारे में थोड़ा सा सतर्क रहें, तो जो फ़र्टेलाइज़र्ज़ हम बाहर से मंगाते हैं, वे भी हम खुद बना सकते हैं और उसके लिए हम को कदम उठाने चाहियें, ताकि यह आयात भी बन्द हो जाये ।

इस बारे में सब से बड़ी बात मुझे यह कहनी है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि हम ने कुछ वस्तुओं के व्यापार करने का एकाधिकार इस कार्पोरेशन को दे रखा है । हम समझते हैं कि एक ऐसे राज्य में, जिसमें हम समाजवादी व्यवस्था और समाजवादी ढांचा चालू करना चाहते हैं, यह बात सही नहीं बैठती है कि हम किसी कारखाने को, चाहे हमारा सरकारी कारख़ाना ही क्यों न हो, किसी वस्तु का एकाधिकार दें, क्योंकि जिस समय एकाधिकार दे दिया जाता है, तो लाभ और हानि का ठीक पता नहीं चलता है । यदि मुकाबले में दूसरे लोग भी उस वस्तु का आयात करें और उस को बाज़ार में बेचें, तो कार्पोरेशन को मुकाबले में बाज़ार में आना पड़ेगा और उस को अपने मूल्य ऐसे निर्धारित करने पड़ेंगे कि वे मुकाबले में सही सही बैठ सकें । एकाधिकार में किसी दूसरे को व्यापार करने का हक नहीं होता है । हमें मालूम है कि इंग्लैंड में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए बड़ी जद्दो-जहद और झगड़ा हुआ और अन्त में उसको समाप्त कर दिया गया । इसलिए उस समय, जब कि हम एक मंगल-राज्य और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं, क्या एकाधिकार स्थापित करना उचित होगा ? यदि हां, तो माननीय मंत्री हमें उस के कारण बतायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस रिपोर्ट के बारे में एक बड़ी विशेष बात यह है कि जो वस्तुयें बाहर से आयात की गईं, उनकी एक लम्बी-चौड़ी सूची इस रिपोर्ट में दी गई है। जिन चीजों का निर्यात किया गया, उनका भी ज़िक्र किया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में, अथवा किसी और रिपोर्ट में, इस बात का कोई विवरण नहीं है कि किन दामों पर ये चीजें मंगाई गईं, उनको मंगाने में कितना ख़र्चा पड़ा और जब वे बेची गईं, तो उनके मूल्य क्या थे। मेरा विश्वास है कि यदि यह नक्शा हमारे सामने आयेगा, तो मालूम पड़ेगा कि यह व्यापार केवल लाभ के लिए किया गया है, या इस दृष्टि से किया गया है कि इस में थोड़ा सा ही मुनाफ़ा कमाया जाये, ताकि कर्मचारियों के वेतन आदि चुकाए जा सकें। यह बात इस प्रतिवदन में नहीं है :

मैं मांग करता हूं कि आईन्दा जो प्रतिवदन आया करें, उनमें इस बात का भी ज़िक्र रहे कि जी-जो माल बाहर से मंगाए गए, वे किन दामों पर मंगाए गए, उनको मंगाने पर क्या ख़र्च हुआ और कस्टम ड्यूटी चुकाने के बाद उनका मूल्य इस देश में कितना पड़ा और बाद में कार्पोरेशन ने उनको किस मूल्य पर बेचा। यदि ये विवरण सदन के सामने होंगे, तो एक सही स्थिति हमारे सामने आयेंगी।

हमारी इच्छा यह थी कि हमारे देश के निर्यातकों को अधिक से अधिक दाम मिल सकें और अधिक माल बाहर जा सके। इस सम्बन्ध में ठीक आंकड़े हमारे सामने नहीं हैं। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि निर्यात की वस्तुओं का उत्पादन-व्यय हमारे देश में अधिक है, इसलिए हमें विदेशों में अच्छे ग्राहक नहीं मिलते हैं। हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या कारण है कि हमारे देश में जो वस्तुयें उत्पन्न होती हैं, उन के उत्पादन पर अधिक ख़र्च होता है, बमुकाबले दूसरे मुल्कों के। जब जापान, इंग्लैण्ड और अमरीका आदि मुल्कों में उत्पादन सस्ता हो सकता है, तो फिर हमारे देश में उत्पादन क्यों नहीं सस्ता हो सकता है, ताकि हम अपना निर्यात बढ़ा सकें ?

एस० टी० सी० को कई मामलों में सरकार ने इनिशियेटिव लेने के लिए यानी स्वयं अपनी मर्जी से काम करने और नया रास्ता सोचने के लिए कहा था। लेकिन इस प्रतिवेदन से मालूम होता है कि जहां तक इनिशियेटिव का सम्बन्ध है, कारपोरेशन ने बहुत ही कम मामलों में इनिशियेटिव लिया है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि काम करने की क्षमता, नई-नई बातें सोचने

श्री मनुभाई शाह : नई बातें तो सारी की हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : सब सरकार के कहने से की हैं, कारपोरेशन ने स्वयं अपनी मर्जी से नहीं की हैं। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि सरकार ने नियन्त्रण उस पर ज्यादा लगा रखे हैं और दूसरा यह हो सकता है कि जो काम करने वाले हैं, उनमें नई-नई बातें सोचने की क्षमता कम है। ऐसी स्थिति में समझता हूं कि कारपोरेशन के प्रबन्ध में उचित मात्रा में सूझबूझ वाले आदमियों को पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि वे कारपोरेशन को उसकी अवश्यकताओं के अनुसार चला सकें। यह सही है कि सरकार एक दूसरा कारपोरेशन खोलने जा रही है जो कारपोरेशन लोहे के कच्चे माल और मैंगनीज़ ओर आदि को मंगाने और भेजने आदि का व्यापार करेंगी। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि जो कुछ काम शेष रह जायेंगे, उनके सम्बन्ध में सूझबूझ वाले आदमी उनमें हों जोकि काम को ठीक तरह से चला सकें यह जो पहलू काम का है, इसकी ओर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिये।

[श्री म० ला० द्विवेदी]

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि और भी बहुत सी एस० टी० सीज० बननी चाहियें लेकिन शर्त यह है कि हम जनहित को ध्यान में रखें, भारतीय जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें और इन कारपोरेशनों को विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि स्वयं लाभ की बात ज्यादा न करके जनता को अधिक लाभ पहुंचाने उपभोक्ताओं को अधिक लाभ पहुंचाने और कम से कम मार्जिन में काम करने को सर्वोपरि महत्व दें। इस तरह से अगर काम किया गया तो अन्ततोगत्वा देश के लोगों के हाथ में अधिक पैसा आएगा और उनके कार्यों की लोग प्रशंसा करेंगे। तब यह बात हम लोगों के दिमाग से हट जायेगी कि निजी उद्योगपतियों की तरह से ये कारपोरेशन भी फायदा नहीं उठाते हैं और तब यह कहा जा सकेगा कि जो रास्ता इन्होंने अपनाया है वह सही रास्ता है और मंगलमय राज्य की स्थापना की दिशा में एक सही कदम है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिवेदन को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस प्रस्ताव के लिए केवल दो घंटे दिये गये हैं किन्तु यदि सदन चाहे तो आधा घंटा और बैठ सकता है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू और काश्मीर) : क्या आपने उन सदस्यों के नाम नोट कर लिये हैं, जो बोलना चाहते हैं।

†**सभापति महोदय** : हां, उपाध्यक्ष महोदय ने १२ नाम नोट कर रखे हैं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मैं सूची की प्रथा का विरोध करता हूं और अपना नाम पहले से नहीं देना चाहूंगा। माननीय सदस्यों को हक है कि वे सभापति का ध्यान आकर्षित करके बोलें।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ**: यदि श्री त्यागी का सुझाव स्वीकार किया जाता है, तो हमारे दो नाम सूची में शामिल कर लिये जायें।

†**सभापति महोतय** : हम देखेंगे कि क्या स्थिति होती है ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण-पश्चिम) : मैं राज्य व्यापार निगम की ओर आता हूं। इस बारे में एक भ्रांति है। यह भ्रांति गैर-सरकारी क्षेत्रों के कुछ लोग फैला रहे हैं कि इसके कारण उनके हितों को हानि पहुंचाई जा रही है। यह बात नितान्त निराधार है। देश में १६०० से १७०० करोड़ रुपये का आयात निर्यात का व्यापार हुआ है। राज्य व्यापार निगम द्वारा इसका ५ से ६ प्रतिशत व्यापार हुआ होगा। १९६१-६२ में ६०० से ७०० करोड़ तक का व्यापार हुआ जिस में से राज्य व्यापार निगम का अंश केवल ३५ करोड़ रुपये ही है। मेरा निवेदन यह है कि हमें वास्तविक स्थिति देखने का यत्न करना चाहिए। राज्य व्यापार निगम का अंश तो इस दिशा में बहुत ही थोड़ा है अतः इस भ्रांति का कोई आधार नहीं है। अब मैं दूसरी बात की ओर आता हूं। वह सरकार की ओर से फैलाई हुई भ्रांति है कि राज्य व्यापार निगम बहुत ही ऊंचे दर्जे का योग्य निकाय है। मेरे विचार में यह तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। मेरा निवेदन यह है कि हमें राज्य व्यापार निगम को एक आदर्श निकाय बनाना चाहिए। इसे भ्रष्टाचार से शुद्ध रखा जाना चाहिए। इस पर नौकरशाही का प्रभाव नहीं होना चाहिये। इसके लम्बे लम्बे प्रक्रिया नियमों को सरल बना दिया जाना चाहिये। प्रशासन को भी बहुत खर्चीला नहीं बनाया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को यह बताना चाहिए कि वस्तु विनिमय के सिद्धान्त के अनुसार चीनी का जो समझौता किया गया है और वह निगम के द्वारा हुआ है, उससे क्या हमें लाभ हुआ है ? क्या आज जो अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में जो मूल्य हैं वह हमें प्राप्त हुआ है ? मेरे विचार में हमें वह मूल्य प्राप्त नहीं हो सका । इसी तरह टायर, मूंगफली का तेल तथा कुछ अन्य भी इसी प्रकार के सौदों में जो कि निगम के द्वारा हुए हैं, काफी हानिकारक रहे हैं । कई करोड़ का घाटा उठाना पड़ गया है । इस दिशा में मेरा मत यह है कि निगम ने वह कार्य नहीं किया जो कि उसे करना चाहिए था । उसने हमारी आर्थिक नीतियों को सामने रख कर कार्य नहीं किया है । आयात लाइसेंसों को अलग अलग कर दिया गया था, इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक एकक का व्यय बढ़ गया । ,इसके अतिरिक्त नयी मंडियां तो बिल्कुल थी ही नहीं । जिस समय समस्त विश्व की मंडियों में उपभोक्ता लोग अपने हितों की रक्षा करने निकल रहे थे, उस समय हम ने निर्यातकों की भीड़ लगा दी । ऐसा नहीं होना चाहिए था । हमें नये साधन और नयी मंडियों को तलाश करना है जिस में हमारा माल खप सके । जिस समय राज्य व्यापार निगम मैदान में आया उस समय केवल लो अयस्क के ८३० निर्यातक थे । मैंगानीज को निर्यात करने वाले २६० लोग थे ।

,देश में जो विदेशी सार्थ निर्यात का कार्य कर रहे हैं, वे भी बहुत लाभ उठा रहे हैं, हल्के हल्के हमें उन को हटाना चाहिए, और यह काम राज्य व्यापार निगम को देना चाहिए । इस के अतिरिक्त इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि निगम को व्यापारी लाइनों पर चलाया जाये । और हमारा लक्ष्य यही रहना चाहिए कि अन्ततोगत्वा हम देश के आयात तथा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर देंगे । आज हमारी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की जो कमियां हमें दिखाई देती हैं तथा जो असन्तुलन प्रतीत होता है, उसे को ठीक करने के लिए भी ऐसा होना ही चाहिए । इस से वित्तीय संसाधनों में ही वृद्धि होगी और सब से बड़ा लाभ यह होगा कि इस से आम लोगों को आयात किये हुए माल की उपलब्धी भी उचित मूल्यों पर हो सकेगी । कम और अधिक बीजक बनाने की बीमारी पर भी इस ढंग से नियंत्रण रखा जा सकेगा ।

यह वे कुछ लक्ष्य हैं जो कि राज्य व्यापार निगम के समक्ष होने चाहिएं । अभी तक तो यह सीधे साधे ढंग से ही चल रहा है । परन्तु यदि इस ने ठोस दृष्टिकोण अपना लिया तो हमारे देश का आयात निर्यात व्यापार बड़े सुदृढ़ ढंग से चलने लगेगा ।

†**श्री त्यागी** : कम बढ़ती बीजक बनाने वाली बात का तो हम आरम्भ से ही विरोध करते रहे हैं । कई वर्षों की कोशिशों के बाद राज्य व्यापार निगम की स्थापना १९५६ में हो पाई थी । उस समय तो यही विचार था कि कुछ चीजों का व्यापार इसे सौंपा जायेगा । यह तो ख्याल ही नहीं था कि य एक सरकार का विभाग बन कर रह जायेगा । प्राक्कलन समिति ने तो निगम को अपने काम में काफी स्वतन्त्रता देने की सिफारिश की थी । परन्तु जो कुछ चल रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है जैसे उसका विचार ही नहीं कि निगम को देश का सारे का निर्यात, आयात व्यापार सौंपा जाये जिस से इस दिशा में जो दोष दिखाई दे रहे थे वे दूर हो जायें । शायद सरकार इस सम्बन्ध में कदम उठाने से पूर्व कुछ और अधिक अनुभव प्राप्त कर लेना चाहती है ।

बड़ी स्पष्ट बात है कि निगम का प्रसार होना ही चाहिए । इसे सारा निर्यात आयात का व्यापार सम्भाल लेना चाहिए । पूर्वी यूरोप के देशों से कुछ सौदे चल रहे हैं, व अन्तिम रूप में सफल हो जायें तो बहुत ही अच्छी बात है । यहां के कुछ देश तो वैसे भी राज्य स्तर पर ही व्यापार करना चाहते थे । इस दिशा में मंत्री महोदय का कार्य बहुत ही लाभदायक रहा है । पर सरकार ने निर्यातकों को निर्यात लाइसेंस दे दिये, जिसका परिणाम यह हुआ कि आयात की हुई मदों का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

मूल्य बढ़ गया । राज्य व्यापार निगम को भी लाइसेंस दिये गये परन्तु इस ने 'परमिट' गैर सरकारी लोगों में बांट दिये और इस से कमीशन कमाने का यत्न किया । सीमेन्ट के व्यापार में यही बात की गयी । ६० नया पैसा प्रति टन कमीशन लेकर यह सन्तुष्ट हो गये । मूंगफली के तेल के दाम बाजार में १९०० रुपये प्रति टन हैं सब खर्चा इत्यादि डाल कर यह लगभग २१०० रुपये में फैलती है । विदेशों में इसे ६०० रुपये प्रति टन घाटे पर बेचा जा रहा है ।

इस ढंग से हमारा व्यापार चल रहा है । यह ठीक ढंग नहीं है । इधर तो घाटा खाया जा रहा है और उधर इस घाटे को पूरा करने के लिए निर्यातकों को लाइसेंस दिये गये । परमिट उन लोगों ने ही बेचे जिन्हें सब से पहिले दिये गये थे । यह परिपाटी समाप्त होनी चाहिए । सरकार को यह देखना चाहिए कि परमिट केवल उन्हीं लोगों को दिये जाने चाहिए जो लोग वास्तव में य व्यापार करते हों । उन्हें 'परमिट' बिलकुल नहीं दिये जाने चाहिए जो केवल इसे बेच कर ही धन कमा लेते हों । वस्तु विनिमय के मामले में भी तीसरा पक्ष कितना कमा रहा है इसका भी सरकार को सारा पता रखना चाहिए ।

निगम ने २ करोड़ रुपये के टायरों का निर्यात किया । परन्तु बाद में पता चला कि यह उस टायरों से १२ से १५ प्रतिशत कोटि में घटिया है जो कि इस देश में निर्माण किये जाते हैं । अब निगम ने यह सारा टायर अपने स्थानीय एजेन्ट को ११.५ प्रतिशत कमीशन पर बेचने को दे दिया । और यह लगभग बहुत सा प्रतिरक्षा प्राधिकारियों को बेच दिया गया । अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों किया गया । सरकार को यह बताना चाहिए कि यदि वह टायर घटिया कोटि का सिद्ध हो चुका था तो यह प्रतिरक्षा बलों के लिए इसे क्यों खरीदा गया ।

मेरा तो यही निवेदन है कि इस निगम का संगठन एक स्वतंत्र निकाय के रूप में किया जाना चाहिए । इस में उन लोगों को लिया जाना चाहिए जो कि व्यापारी मामलों के सदस्य हैं । इसका विभाजन नहीं होना चाहिए जैसा कि कहा जा रहा है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा विश्वास है कि मंत्री महोदय सदस्यों के सुझावों की ओर ध्यान देंगे और सही बात करेंगे ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : जिस प्रतिवेदन पर हम चर्चा कर रहे हैं उस में बहुत सी गलत बातें कही गई हैं । कुछ बताने के स्थान पर इस में तो कुछ छिपाने का यत्न किया गया है । भ्रांति फैलाने का यत्न किया गया है । ठोस तथ्य की बात तो इतनी ही है कि निगम द्वारा कोई प्रगति नहीं की गयी है । जिस निर्यात व्यापार में हमें काफी लाभ होना चाहिए था, उसे इस ने घाटे का सौदा बना दिया है । गलत मूल्य नीति के कारण ही देश में खनिज पदार्थों का उत्पादन भी कम हुआ और तो और इस से इतना भी नहीं हुआ कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए ही अच्छी कोटि का अयस्क का सम्भरण कर सके । कितनी मजेदार बात है कि दिखाया यह जा रहा है कि हम बहुत निर्यात कर रहे हैं और वास्तविकता यह है कि हम बहुत कम कीमत पर अपना माल दे रहे हैं । बताया गया कि १९६२–६३ में १९ करोड़ रुपये की अयस्क का निर्यात हुआ था जब कि पिछली बार यह १६ करोड़ रुपये की थी । हम जापान को अयस्क बेचते हैं । गत वर्ष हम

†मूल अंग्रेजी में

८१ रुपये का दाम ले रहे थे जब कि इस बार हमें केवल ७३ रुपये मिलेंगे । क्या यह निर्यात के लक्ष्य प्राप्त करने का ढंग है ?

निगम के काम में काफी खराबियां हैं । कूटनीतिज्ञों की कारों के बेचने का मामला ही ले ली जिये । उसकी बिक्री में निगम के अधिकारियों ने खूब मनमानियां कीं, अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाया । जब शोर मचा तो टेंडर मांगे गये । वैसे कीमतें बढ़ रही हैं परन्तु हमारे मामले में कम हो रही हैं । सब देश मारा शोषण कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा निर्यात बढ़ रहा है । परन्तु सत्यता यह है कि न निर्यात ही बढ़ा है और न उत्पादन ही बढ़ा है, स्थिति बहुत ही निराशाजनक है । निर्यात की स्थिति ऐसी है कि १९६१–६२ में लौह अयस्क का निर्यात ३१.०५ लाख टन था, जब कि १९६०–६१ में यह ३०.७२ लाख टन था । कितनी वृद्धि हुई है, आप देख लीजिये । इसी तरह दूसरे आंकड़े हैं । सामूहिक तौर पर निर्यात गिरा है, बढ़ा नहीं । मूल्यों के मामले में तो स्थिति बहुत ही पतली रही है । और आय भी कम रही है । मेरा निवेदन यह है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि वस्तु विनिमय के आधार पर भी उन्होंने यह चीजें कम दामों पर क्यों बेचीं ।

इसी तरह का मामला पटसन का है । कहा यह गया था कि पटसन की कीमतों को एक स्तर पर लाया जायेगा । जो बाजार का दर था उस दर पर लगभग ५५,००० अथवा ५६,००० मन पटसन आप ने खरीद कर गोदामों में भर ली । सदन को यह जान कर आश्चर्य और दुःख होगा कि यह ५०,००० मन पटसन इतनी खराब है कि इस का बाजार में कोई खरीदार ही नहीं और दिन व दिन इस की कोटि खराब होती जा रही है ।

अन्त में मेरा यही कहना है कि निगम को ठीक ढंग से काम करना चाहिए । अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपनी कमियों को सुधारना चाहिए ।

†**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : कोई सन्देह नहीं कि राज्य व्यापार निगम इसी उद्देश्य से पटसन के बाजार में उतरा था कि पटसन का मूल्य बाजार में ठीक हो जायेगा । परन्तु बात बनी नहीं । जो भी उसकी नीति रही, उस से प्रारम्भिक उत्पादकों को कोई लाभ नहीं हुआ । इस से वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका । चावल का निर्यात बढ़ रहा है । १९६२–६३ में १६,२३,००० रुपये के चावल का निर्यात हुआ । १९६३ में जून तक २६ लाख रुपये का निर्यात हो चुका है । मेरे विचार में इसे बन्द कर देना चाहिए । चावल के निर्यात की बात तो समझ में नहीं आई । चावल तो हम अन्य देशों से मंगाते हैं और हमारे यहां इस की कमी है । हमें इस की देश में ही जरूरत है ।

निगम की ओर से कुटीर उद्योगों को निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से सहायता दी जाती है । यह अच्छी बात है, परन्तु इस दिशा में जो भी योजनायें हैं उसे सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए और सहायता के बारे में भी विस्तार से बताया जाना चाहिए । निगम को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि अधिक से अधिक नयी मंडियों का पता लगाये जिस से निर्यात हो और हम विदेशी विनिमय पैदा कर सकें । प्राक्कलन समिति ने तो अपनी रिपोर्ट में इस निगम के बारे में स्पष्ट कहा कि सरकार को इसके कामों के बारे में स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए । समिति का यह भी मत था कि ठीक आधार पर निगम का गठन हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** (तेनालि) : आदर्श की बातें करना और बात है, परन्तु अमली काम करना और बात है । यह बात एक ठोस वास्तविकता पर आधारित है कि राज्य व्यापार निगम के काम से देश भर को घोर निराशा हुई है । इसे निर्यात व्यापार का एकाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए । इससे गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा सारा निर्यात आयात व्यापार तबाह हो जायेगा । इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा ।

इस निगम को प्रारम्भिक तौर पर इस उद्देश्य से ही गठित किया गया था कि सर्वाधिकारवादी देशों से व्यापार किया जाये । क्योंकि ये देश किसी एक गैर सरकारी एजेंसी से व्यापार करना पसन्द नहीं करते । इसके कार्य का अधिक विस्तार नहीं होना चाहिए । गैर सरकारी व्यापारियों पर जो भी आरोप लगाये जाते रहे हैं वे तमाम दोष अब निगम में भी आ गये हैं । यहां भी धांधली चलने लगी है । सीमेंट का मामला आपके सामने है । मेरा मत तो यह है कि व्यापार के मामले में इसका गैर सरकारी क्षेत्र से मुकाबला होना चाहिए । इससे इसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी । कीमतों को बढ़ाना नहीं होगा और फिर माल को स्टोर करने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात व्यापार का विकास ठीक ढंग से नहीं किया गया । इसने अपने कमाये हुए लाभ का प्रयोग बहुत गलत ढंग से किया । वैसे भी निर्यात व्यापार के प्रोत्साहन की दृष्टि से ठीक दिशा में तथा ठीक ढंग से कार्य नहीं हुआ है ।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की यह रिपोर्ट आज सदन के सामने विचार-विमर्श के लिए उपस्थित है । मैंने इसके बैलेंसशीट को बहुत ध्यान से पढ़ा है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के सारे ही अधिकारियों को और उसके सारे ही कार्यक्रमों के लिए हम सभी को हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहिए ।

जितने थोड़े से समय में और जितनी सफलता के साथ और जितने कम खर्च पर जो टर्न ओवर हुआ है और जो प्राफिट दिखाया गया है, उसको यदि अपनी एस० टी० सी० और संसार की एस० टी० सीज़ से कम्पेयर किया जाए तो हमारी एस० टी० सी० को हम ही नहीं बल्कि और देशों के लोग भी बिना बधाई दिये न रहेंगे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने ६ करोड़ रु० का फायदा उठाया है वह देश के हित में हुआ है, वह जनहित में हुआ है । और इस पर जो भी खर्च किया जायेगा वह देशहित में खर्च किया जायेगा । आज सदन में मैंने जो आलोचना सुनी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की उससे मुझे विश्वास हो गया है, ऐसा प्रतीत होने लगा है कि देश में समाजवाद की प्रतिष्ठा के लिये हम सब लोगों को जिन प्रतिक्रियावादी शक्तियों का, विरोधी ताकतों का, रिएक्शनरी फोर्सेज का, सामना करना पड़ रहा है उन्हीं शक्तियों का सामना स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को भी करना पड़ रहा है । इसकी कल्पना हम लोगों ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की स्थापना के पहले ही कर ली थी, क्योंकि तमाम कैपिटलिस्ट, सट्टेबाज और व्यापारी लोग तथा उनके नुमाइन्दे जो कि इस सदन में चुन कर आये हैं, वह जब यह बनने वाला था, तब ही उसकी आलोचना करते थे । लेकिन जब मैं स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की आलोचना में कुछ बड़े कंस्ट्रक्टिव व्यूज के लोगों को भी बहते हुए देखती हूं तो मुझे दुख होता है । मैं आपके द्वारा और सदन के द्वारा उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि जब कभी कोई नया काम हाथ में लिया जाता है तो उसमें थोड़ी सी गलतियां भी

†मूल अंग्रेजी में

होती हैं, भूले भी होती हैं, लेकिन हमारी एप्रोच ठीक होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिये । यदि हम चाहते हैं कि देश के ट्रेड को नेशनलाइज़ किया जाये तो हम लोगों को एक छोटी सी २० करोड़ रुपये का ट्रेड करने वाली संस्था की धज्जियां उड़ाना या बेमानी आलोचना करना उचित नहीं है । मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ९० प्रतिशत जो आलोचना हुई है वह **आउट आफ इग्नोरन्ट** हुई है । आपको और स्वयं सदन को भी बाद में मालूम हो जायेगा कि नावाफियत की वजह से और भी आलोचना हुई है ।

मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जब २० करोड़ रुपये का व्यापार स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन अपने हाथ में लिए हुए है तब उसकी इतनी कटु आलोचना जो लोग आइडियोलाजिकल बेसिस पर, सेद्धान्तिक बेसिस पर, करते हैं उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है, उनका रास्ता और है, लेकिन कम से कम हम लोग जो चाहते हैं कि समाजवाद की प्रतिष्ठा हो अगर उसकी आलोचना करें तो यह आलोचना कंस्ट्रक्टिव होनी चाहियें । इन शब्दों के साथ मैं थोड़े से कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी देना चाहूंगी ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को न्यू मार्केट्स अबेल करने पर अधिक कंसंट्रेट करना चाहिये । नये नये बिजिनेस हाउसेज इस्टेब्लिश करने चाहिये और विदेशों में भी जो जो बिजनेस हाउसेज हमारे इस्टब्लिश्ड हैं उन में रिपेअर शाप्स खोलनी चाहिये । अभी मैं अकरा गई थी । वहां हमारे बिजिनेस हाउसेज हैं । वहां जो उषा के पंखे और मशीन लाखों की तादाद में एक्सपोर्ट की गई हैं, लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि आपके पंखे और मशीनें बहुत अच्छी हैं लेकिन मार्केट में उनकी खपत नहीं है, इसलिये कि वहां पर उनकी रिपेअर शाप्स नहीं हैं । स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का यह उद्देश्य है कि वह नई नई मार्केट्स हमारे ट्रेडिशनल व्यापार के लिये पाये, इसमें कोई सन्देह नहीं है, उसका उद्देश्य यह भी है कि नये बिजिनेस हाउसेज इस्टब्लिश करे । इस दिशा में उस ने कुछ काम भी किया है, लेकिन म चाहती हूं कि वह इस दिशा में और ज्यादा काम करे ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का कुछ कार्य ही नहीं है । वह तो केवल एक एजेंट है । क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि वह तराजू लेकर बैठे और वहां पर सीमेंट की बोरियां तोल कर दें ? यह उद्देश्य है स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का कि लाइसेंस बिकने न पाये, यह उद्देश्य है कि डिस्ट्रिब्यूशन प्रापर हो । सोडा एश को ही ले लीजिये । यह उद्देश्य है स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का कि जो ब्लेक मार्केटिंग सोडा एश में हो रही थी, जो ब्लेक मार्केटिंग सीमेंट में हो रही थी वह रुके । स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को इससे अपनी आंख नहीं बन्द करनी चाहिये । स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने इन चीजों में बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है ।

स्टेट ट्रेडिंग को स्टोरिंग फेसिलिटीज बढ़ानी चाहिये, क्लेम्स व्यापारियों के जल्दी सेट्ल करने चाहिये और अपना व्यापार वहां से करना चाहिये जहां से रुपये में पेमेंट हो सकता है । हम बजाय डालर के रुपये में पेमेंट कर सकें । इस दिशा में भी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को कोशिश करनी चाहिये । वैसे तो मेरे पास बहुत मसाला है, लेकिन मैं एक बात कह कर समाप्त कर दूंगी । हम सब लोग चाहते हैं कि समाजवाद की प्रतिष्ठा हो । जो लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सीज, जो कैपिटलिस्ट् लोग, जो प्राफिटिअर्स लोग, नाजायज काम इस तरह के करते हैं, वे रुके, उनको स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करनी चाहिये या अब जो यह २० करोड़ रुपये का व्यापार करता है उसके बजाय २०० या ३०० करोड़ रुपये का व्यापार अपने हाथ में ले ।

इसके बाद मैं फिर एक बार स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को बधाई देती हूं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : १९५४ में राजकीय व्यापार निमग की स्थापना की गई थी जब इस बात का ज्ञान हुआ कि निर्बाध व्यापार इतना प्रगतिशील नहीं था और व्यापार के विविधकरण में असफल था। इस निगम के स्थापित करने में चार बातों ने काम किया।

सबसे पहली आवश्यकता व्यापार के विस्तार की ओर विविधकरण की है। व्यापार का विस्तार तो हुआ हैं, परन्तु विविधकरण में प्रगति असन्तोषजनक रही है।

दूसरे उद्देश्य अर्थात् स्थायी मूल्य स्तर कायम रखने और संभरण और मांग में समानता रखने में निगम को बहुत कम सफलता प्राप्त हुई है।

निगम का तीसरा उद्देश्य बड़े पैमाने पर माल खरीदने का था। यह निगम व्यापार में गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता करने की बजाए उस क्षेत्र को दबाता रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय मंत्री अपने देश में राजकीय व्यापार के मामले में नीति के विस्तार से और संतोषजनक घोषणा करें।

इस निगम के काम में बाधा नहीं हुई है, परन्तु इस निगम की कार्यवाहियों को नियत्रण में रखना चाहिए।

राजकीय व्यापार-निगम का विस्तार होना चाहिए। निर्यात को बढ़ाकर इसका अनुपूरक बनाया जाना चाहिये। प्रत्येक उद्योग में अनिवार्य निर्यात प्रतिशत की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

निगम को गैरसरकारी क्षेत्र में अधिकतर अच्छा सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। इस निगम को सरकार की नीति के आदेशों की परिधि में काम करना चाहिए।

इस निगम में लालफीताशाही और नौकरशाही को खत्म किया जाना चाहिए ताकि देरी को रोका जाए। इस निगम के बर्ताव में बातचीत की कुशलता अधिकतर होनी चाहिए।

इस निगम को कुशलता और परिवर्तनशीलता का सामंजस्य होना चाहिए। आशा है कि निगम इसे हासिल करेगा।

श्री गौरी शंकरे कक्कड़ (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने बुजुर्ग द्विवेदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हम लोगों को इस विषय पर वाद-विवाद करने का अवसर प्रदान किया, किन्तु खेद है कि समय के अभाव के कारण इस विषय के साथ न्याय नहीं किया जा सकता।

मुझे इस बात का खेद है कि जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की स्थापना की गयी थी उसको यह पूरा नहीं कर पाया। जो आंकड़े और रिपोर्ट मंत्री जी ने दी है उनको देखने से तो यही पता चलता है कि यह सफलता से काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ आवश्यक आंकड़े नहीं दिए गए। इसमें यह नहीं दिखलाया गया कि जो वस्तुएं स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के द्वारा खरीदी जाती हैं वे सीधे सीधे जो उत्पादन करते हैं उनके द्वारा खरीदी जाती हैं या कि मिडिल-मैन के द्वारा खरीदी जाती हैं। मुझे तो लगता है कि अगर इस कारपोरेशन की स्थापना के पहले उत्पादन करने वाले को एक मिडिल-मैन का मुकाबला करना पड़ता था तो अब उसे दो मिडिल-मैनों का मुकाबला करना पड़ेगा, अब उसके लिए दो मिडिल-मैन क्रिएट हो गए हैं। सभी वस्तुएं

†मूल अंग्रेजी में

पहले ठेकेदारों के द्वारा खरीदी जाती हैं, और फिर जब उनको बाहर भेजा जाता है तो दूसरों को लाइसेंस और परमिट देकर उनके द्वारा उनको भेजा जाता है। तो जो इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि जो चीजों का उत्पादन करते हैं उनको उसका उचित दाम मिले और उनका शोषण न हो, उस लक्ष्य को पूरा करने में इसको सफलता नहीं मिली है ।

एक बात मुझे और कहनी है। इसके आंकड़े देखने से पता चलता है कि इस में केवल मुनाफा ही दिया गया है या उसमें धनराशि लिखी हुई है, परन्तु मूल्यांकन किसी का भी नहीं लिखा हुआ है। यह तो बहुत ही दुःख की चीज है कि इस कारपोरेशन के द्वारा जो चीजें बाहर भेजी जाती हैं उनको सस्ते दाम में बाहर भेजा जाता है और हमारे देश वासियों को उन वस्तुओं का दाम कहीं अधिक देना पड़ता है। यह कहां तक न्यायसंगत चीज है।

इसी के साथ मुझे यह कहना है कि यह चीज मेरी समझ में नहीं आती कि जिन वस्तुओं को हम बाहर से मंगाते हैं उनको हम फिर बाहर भेजते हैं। इस संबंध में मैं आपको चावल की मिसाल दूंगा। जो चावल हमारे देशवासियों को बहुत ऊंचे भाव पर मिलता है उसको हम सस्ते भाव पर बारटर व्यवस्था कायम करने के लिए बाहर भेजते हैं। इस प्रकार विदेशी मुद्रा कमाने के लिए या बढ़ाने के लिए देश वासियों का नुक्सान किया जाता है। मैं खुद प्राइवेट सैक्टर के खिलाफ हूं लेकिन उस सैक्टर की बुराइयों को दूर करने के लिए जो यह संस्था बनायी गयी अगर इसमें भी व्यक्तिगत रोजगारी की तरह भ्रष्टाचार हो तो यह उचित नहीं है। यदि इसमें भी वही ब्लैक मेल और वस्तुओं की अशुद्धता हो जो प्राइवेट व्यापारी के द्वारा होती थी हमको इस तरफ कोई सफलता नहीं मिली, ऐसा मानना होगा।

मैं समझता हूं कि इसमें एक सबसे बड़ा दोष यह है कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इसका संचालन होता है, जिनको व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं होता है। और फिर जैसा अभी मेरे बहुत से मित्रों ने कहा, यह एक स्वतंत्र संस्था होने के बजाय एक सरकारी संस्था बन गयी है जिसमें सरकारी कर्मचारी कार्य संचालन करते हैं और उनको अनुभव न होने के कारण हमको उन वस्तुओं का जो उचित दाम है उससे कहीं ज्यादा दाम देना पड़ता है। मैं देखता हूं कि जो हमारा समाजवादी अर्थ व्यवस्था लाने का संकल्प था वह इसके द्वारा पूरा नहीं हो रहा है।

इस समय मैं देखता हूं कि हमारे बुजुर्ग त्यागी जी और द्विवेदी जी ने भी इसके बारे में आलोचना की है। किन्तु आज सदन में कुछ ऐसा समय है कि बहुत से मंत्रियों के स्थान रिक्त हैं। इस कारण कुछ माननीय सदस्यों ने इसका बड़े जोर के साथ समर्थन कर दिया । हो सकता है कि उनको कुछ आशाएं हों। उदाहरण के लिए श्रीमती निगम ने जो अपना भाषण दिया उसमें इस संस्था की इतनी प्रशंसा की और बतलाया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इससे ज्यादा सफलता और नहीं हुई है। तो मुझे केवल यह कहना है कि अगर यह संस्था स्थापित की गई है तो इस विषय पर माननीय मंत्री गौर करें कि जो उत्पादनकर्त्ता हैं उन को उचित मूल्य मिले और जो मिडिलमैन बजाय एक के दो बन गये हैं इस संस्था के द्वारा, वह चीज खत्म हो : मेरे पास आंकड़े हैं जिनको किए क्सपोर्ट का लाइसेंस दिया जाता है या जिनके द्वारा खरीदा जाता है। अब अगर एसी सब चीजें होती हैं तो इससे कोई फाइदा नहीं। मेरा यह सुझाव है कि उत्पादन करने वालों से सीधे सीधे इसमें लेनदेन का व्यवहार होना चाहिए। और उसकी क्वालिटी और शुद्धता की तरफ विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए ।

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां मैं श्री नाथ पाई और श्री इन्द्रजीत गुप्त के इस विचार का समर्थन करता हूं कि इस बात की आवश्यकता है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को अधिक से अधिक कार्यकुशल बनाया जाये, उसकी शासन प्रणाली में जो काम करने वाले हैं, वे योग्य हों ताकि वे इस व्यापार के काम को ठीक व कुशलतापूर्वक कर सकें, वहीं मुझे इस बात का दुःख होता है कि अब भी सदन में रंगा जी सरीखे लोग हैं जोकि उसका कतई समर्थन नहीं करते। वह कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की आवश्यकता ही नहीं है और यह तो मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी के सिद्धांत के अनुरूप ही है कि इस देश में बिलकुल लैसे-फ़यर की अर्थ-व्यवस्था होनी चाहिए, यानी हर एक आदमी को अधिकार हो कि जिसको जहां लूटना चाहे, लूट सके और अगर सरकार जनता के नाम पर, जनसाधारण की सुख-सुविधा के नाम पर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन या ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना चाहे तो वह उसका विरोध करे। लेकिन मैं उनकी ज्ञान वृद्धि के लिए कहूं कि उनके पूंजीवादी देशों में, अमरीका, ब्रिट्रन और अर्जेंटाइना आदि में ऐसे व्यापार मंडल खोल दिये गये हैं। उदाहरणार्थ अभी भी अर्जेंटाइना में ट्रैड प्रमोशन इंस्टीट्यूट्स हैं। अमरीका में भी ऐसे मंडल स्थापित हैं। इसलिए उनको इस बात का जरा भी रंज नहीं होना चाहिए रूस में जा कि सार्वजनिक क्षेत्र का अविष्कार हुआ हो अथवा कहीं और हुआ हो, केवल वहीं नहीं अपितु पूंजीवादी देशों में भी, उनका सिद्धांत मानने वाले देशों ने भी इसको स्वीकार कर लिया है और स्वीकार इसलिये किया है कि इससे जो हमें लाभ है वह बहुत अधिक है। यह तो सीधी बात है। सभी मानते हैं कि पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में जो आमदनी होती है वह उन व्यक्ति विशेष के लिए होती है या मान लीजिए रंगा साहब की पार्टी के लिए होती है या किसी और पार्टी के लिए होती है जिसको कि वे देना चाहते हैं। लेकिन इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र में जो लाभ होता है, भले ही वह थोड़ा क्यों न हो लेकिन उसमें जो लाभ होता है वह हम जनहिताय के लिए करते हैं। अधिक लोगों के लिए करते हैं।

यह बात ठीक है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने अपने पिछले कुछ वर्षों के इतिहास में जो कुछ किया है उसे हम संतोषप्रद नहीं कह सकते हैं और न मंत्री जी इस बात को कहेंगे कि नहीं हम ने सब कुछ ठीक ही किया है। लेकिन यह बात तो सच है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने अपने विगत कुछ वर्षों में ऐसे ऐसे अनेक नये-नये मार्केट्स, बाज़ार खोजे हैं जहां पर कि हमारी पुरानी कनवैंशन और नई अनकनवैंशनल चीजों को उन्होंने वहां दिया है। उदाहरण के लिए मास्को की प्रदर्शनी ले लीजिये। मास्को की प्रदर्शनी में हमारे बहुत से आइटम्स को बुक किया गया है। वहां पर करीब ८५ लाख रुपये के हमारे आइटम्स बुक हुए हैं। मेरा मतलब कहने का यह है कि यह एक ऐसी चीज़ खोली गयी है जिसके लिए यह कहना कि हम पूर्णतया सफल हो गये, उसकी बात हम नहीं कहते लेकिन यह अवश्य मानते हैं कि हमने उसे स्थापित कर के सही दिशा में क़दम उठाया है जब ऐसे व्यक्ति जो कि कहते हैं कि यह होना ही नहीं चाहिए तो उसका मतलब हो जाता है कि हम बिलकुल यह कहें कि यह होना चाहिए और यह सही और दुरुस्त है। हमें ऐसा कहना पड़ता है। जिस तरह से अपोज़ीशन के दोस्तों ने नो कौनफिडेंस मोशन लाकर हमें इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि हम यह कहें कि सरकार की सारी बातें बिलकुल सही और दुरुस्त हैं, उसी तरह जब रंगा साहब ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि यह बिलकुल बेकार है और इसकी क़तई ज़रूरत नहीं है, वे हमें यह कहने के लिए मजबूर करते हैं। कि साहब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन बिलकुल एक आइडियल और नमूना है। जब हम ऐसा मजबूरन कहते हैं तो मेरे कुछ मित्र हमें यह कह कर डिमौरेइलाज़ करते हैं कि चूंकि मंत्रिमंडल में अभी जगहें ख़ाली हैं इसलिए वह इसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन मैं रंगा साहब व उन अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि

ऐसी बात नहीं है । जहां हम इसकी स्थापना का समर्थन करते हैं। और इसे आवश्यक समझते हैं वहां हम चाहते हैं कि इसका कार्य अभी की अपेक्षा अधिक सुचारू रूप से चले।

पिछले कुछ वर्षों में हमारा जो ट्रेड है, आयात और निर्यात का, वह बढ़ा है, उदाहरण केलिए हम और आप सब जानते हैं कि निर्यात की मद में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने ३० नये आइटम्स अपनी सूची पर लायें हैं। आयात में भी ऐसी चीजें लाई गई हैं। श्री द्विवेदी ने इस बारे में बतलाया है। मैं समयाभाव के कारण विस्तार में नहीं जा सकता और वह आयात की वस्तुओं की लम्बी सूची पढ़ कर नहीं सुना सकता जोकि इस के मातहत आ गयी है । आयात के सामान को स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने अपने देश में ले कर किन चीजों को अधिक मूल्यों पर बेचा जिसकी कि ओर उनका इशारा था । यह बात ठीक है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के ज़रिए हमें आयात ऐसी चीजों का लेना चाहिये जिस से कि हम बाज़ार में मूल्यों की दर को स्थिर रख सकें । यह हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि मुनाफ़ा उसके द्वारा न कमाया जाये । कुछ न कुछ थोड़ा बहुत नफ़ा तो उसे करना ही चाहिए । ताकि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की जो फंकशनिंग है वह ठीक हो। उसका काम ठीक से चल सके। यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने अच्छा काम किया लेकिन वह संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जब हमारे देश में आयात और निर्यात का व्यापार १००० या १५०० करोड़ का है । तब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने सिर्फ ६५,७०,८२ या ८५ करोड़ रुपये का ही व्यापार किया है । इसलिए मेरा निवेदन है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के अन्दर अधिक से अधिक इस व्यापार को बढ़ाया जाये और उसके वौल्यूम को बढ़ाया जाथे। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि इसको ऐसे व्यक्तियों के हाथ में दीजिये जिनके कि अंदर सार्वजनिक काम के लिए एक भावना व रिसपैक्ट हो। इसमें ऐसे व्यक्ति मत रखिये जो कल तक तो देश की सरकार के अन्दर सार्वजनिक क्षेत्र चलाने के ठेकेदार थे लेकिन रिटायर होते ही किसी प्राइवेट स्थान पर ४००० रुपया महीने पर चले गये । परिणाम यह होगा कि बराबर आपको उनसे कठिनाई होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि टैकनिकल पर्सनल ऐसा हो जो केवल रुपये के लिये नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी के साथ भी आप का समर्थन करे। इन दो सुझावों को देते हुए मैं कामना करता हूं कि इस स्टेट ट्रेडिंब कारपोरेशन की दिनोंदिन उन्नति और प्रगति हो ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री नाथपाई की आलोचनाओं का समर्थन करता हूं। श्री त्यागी ने टायरों का प्रश्न उठाया । १९५९ में टायरों की कमी थी। इस कृत्रिम कमी को रोकने के लिए राजकीय व्यापार निगम ने रुपया भुगतान आधार पर २ १/२ करोड़ रुपये टायर चैकोसलोकेकिया, पोलैंड और हंगरी में प्रत्येक से मंगवाये और उस को बेचने के लिए अपने एजेन्ट रखे। निगम के सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय के साथ इन टायरों को सरकारी विभागों और अर्ध सरकारी विभागों को देने के लिए मूल्य सौदा किया। एक सदस्य ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा कि चूंकि ये टायर कम्युनिस्ट देशों से मंगवाये गये हैं और हमने कम्युनिस्ट देश से लड़ना है । अतः उनका प्रयोग न किया जाये । यह सदस्य मोटर गाड़ी उद्योग से सम्बन्धित था ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुसन्धान और विकास निदेशालय ने टायरों की जांच की और उन्हें ठीक समझा । मई, १९६३ में आर्थिक एवं प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री ने संभरण एवं उत्सर्जन महानिदेशालय को हिदायतें दीं कि टायरों का उपयोग न कीजिए । सभा के सदस्यों की एक समिति इस मामले को जांच के लिए बनाई जानी चाहिए पर सारा मामला इस लिएहुआ कि एक सदस्य मोटरगाड़ी उद्योग में दिलचस्पी रखता था सरकार की इस कार्यवाई के कारण

†मूल अंग्रज़ी में

ये टायर कुछ एजेन्टों के पास सड़ रहे हैं। इस सारे मामले के विषय में माननीय मंत्री हमें जानकारी दें । इस मामले से संबंधित सारी फाइल सभा-पटल पर रखी जाए । मैं इस प्रश्न का विशिष्ट उत्तर मांगता हूं ।

†**एक माननीय सदस्य** : किस सदस्य ने प्रधान मंत्री को लिखा ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कमल नयन बजाज ।

†**एक माननीय सदस्य** : आप नामों का क्यों जिक्र करते हैं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्योंकि किसी ने इस के बारे में पूछा ।

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : ऐसे मामलों के विचार के लिए जिनमें कि सभा दिलचस्पी ले , अधिक समय निर्धारित किया जाना चाहिए । जिन मामलों पर हम देश के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं जैसाकि राजकीय व्यापार सभा के सदस्यों को बोलने के लिए जितना समय वे चाहें मिलना चाहिये ।

यदि देश ने आयात और निर्यात बढ़ाना है तो अधिकाधिक व्यापार राज्य क्षेत्र में आना होगा । जब सदस्य किसी न किसी जानकारी के न होने के कारण सरकारी क्षेत्र के निगमों की आलोचना करते रहें तो विदेशी व्यापार नहीं बढ़ेगा ।

हम ऐसे व्यक्तियों पर आश्रित नहीं रह सकते जिन्हें समूचे पदार्थों के लिए और आयात निर्यात के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों के लिए दीर्घकालीन ठेकों की समझ न हो। हम उन के रहम और कीमतें कम करने के लिए इकट्ठे होने की क्षमता का आश्रय नहीं ले सकते। मुझे आश्चर्य हुआ कि श्री नाथ पाई ने कुछ ऐसे हितों का समर्थन किया जिनका इस देश में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने लोह अयस्क का जिक्र किया। । उन्होंने मैंगनीज़ अयस्क का जिक्र किया ।

†**श्री नाथ पाई** : मैं उनके इस कहने पर कि उन्होंने किसी वक्ता की वकालत की एतराज करता हूं। मैंने कहा कि इन चीजों का निर्यात कम हो गया है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : निर्यात कम नहीं हुआ है । कभी बढ़ा है। ३ करोड़ रुपये बढ़ा है ।

†**श्री नाथ पाई** : मैंने आप के ही आंकड़े दिये ।

†**श्री मनुभाई शाह** : उन्होंने ३ करोड़ पढ़ा । वे इस बात का इतराज़ कर रहे हैं कि एक एकक की कीमत बढ़ जानी चाहिये । यह असम्भव है । व्यापार का यह सामान्य असूल है कि यदि आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो जबकि इतनी प्रतियोगिता है, तो पदार्थों के बाजार में अवश्य उतराई आएगी । यह व्यापार का प्रारम्भिक नियम है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : कुछ समय के लिए हमारा मैंगनीज व्यापार कठिनाई में था ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री मनुभाई शाह : हां, ठीक है। मैं इस बात पर ज़ोर दूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और हमारे लिए राजकीय व्यापार को असूल को मुतल्लक एक दूसरे को जानना बेहतर होगा ताकि इस देश का भविष्य ठीक रास्ते पर चले।

अब पहले ऐसे पदार्थों को लेता हूं जिनका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। डा० सिंघवी कहते थे कि विविधकरण पर्याप्त नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत अधिक विविधकरण की आवश्यकता है। अन्त में जो उन्होंने कहा कि राजकीय व्यापार को सीमा के अन्दर रखा जाना चाहिय। यह विविधकरण के नियम के विरुद्ध है। हमें राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। बहुत से पूंजीवादी देश इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस प्रकार के व्यापार में बजाए इस के कुछ लोग इकट्ठे हो कर व्यापार करें यह अच्छा होगा कि सारी जनता देश की ओर ऐसा व्यापार करे और मूल्यों को स्थिर बनाएं जोकि उत्पादन करने वालों के ठीक हों।

पहले लोह अयस्क को लीजिए। यदि इस देश ने २५० या ३०० लाख टन बेचने हों तो तो मुझे डर है कि यदि हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ठीक रास्ते पर न चलें कि लोह-अयस्क में राज्य एकाधिकार लोक सभा द्वारा माना जाए और देश में पूर्णतया समझा जाए, तो हम २५० या ३०० लाख टन नहीं बेच सकेंगे। यह तो काफ़ी बड़ी मिकदार होगी जिससे देश को १५० करोड़ से २०० करोड़ रुपये मिलेंगे। मुकाबला किस से है। रूस, ब्राजील, अर्जेन-टाइना, कांगो, आस्ट्रेलिया, वनीज़एला, स्वीडन आदि से मुकाबला है। लोह अयस्क के व्यापार में प्रत्येक देश मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। गैर-सरकारी खानों के स्वामि भी मानते हैं कि उन के लिए इकट्ठा हो कर जापान पूर्वी और पश्चिमी यूरोपीय देशों से व्यापार करना असम्भव है। अतः इन पदार्थों में जिनका मैं नाम ले रहा हूं राजकीय व्यापार आवश्यक है और यदि इस देश ने विदेशी व्यापार बढ़ाना है तो वांछनीय भी है।

इस के बाद मैंगनीज अयस्क का प्रश्न उठा। बिना राजकीय व्यापार निगम की सहायता के किसी एक खान स्वामि के लिए इस को बेचना कठिन होगा। वे खुद हमारी सहायता मांगने के लिय आए हैं।

श्री त्यागी ने कहा कि इस निगम के कुछ सौदे कमीशन एजेण्ट जैसे थे बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई चीजों में सीमा व्यापार भी किया जाता है। कमीशन एजैंसी भी एसी नहीं है कि हम एक वस्तु दूसरे को दे दें। मूल्य उचित विनिमियत किया जाता है। यदि बीस लोग किसी देश को जाएं और एक दूसरे से मुकाबले में अपनी चीज़ बेचने की कोशिश करें तो देश को नुक्सान होता है। यदि राजकीय व्यापार निगम के द्वारा व्यापार किया जाए तो हम सब से अच्छे मूल्य पर माल बेच सकेंगे और प्रत्येक गैर-सरकारी व्यापारी के हितों की रक्षा भी कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करना राष्ट्र के हित में होगा। हम वैयक्तिक हित को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते। परन्तु यहां कि हम सभी खान स्वामियों के व्यक्तिगत हित की रक्षा कर सकें और अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें तो क्या कमीशन एजेन्ट के रूप में काम करना आवश्यक नहीं है? यह कमीशन ऐजेंसी समन्वय के लिए है। ५० से १०० लोगों की पेशकश का समन्वय किया जाता है। यदि वे अलग अलग से विदेशों में जा कर सौदेबाजी करें तो उन्हें कम कीमत मिलेगी और वे सारा

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मनुभाई शाह]

बाजार भी खो बैठेंगे और देश का सम्मान भी जाता रहेगा। राजकीय व्यापार निगम का यह काम भी है।

इसके अतिरिक्त, अभ्रक, कच्चा क्रोम और बौक्साईट आदि वस्तुयें हैं जिन की चर्चा करने से पूर्व में राज्य व्यापार निगम की रचना के बारे में चर्चा करूंगा। यह ठीक है कि एक परिनियत निगम की रचना नियमित विधि द्वारा और भारतीय समवाय विधि के अन्तर्गत भी हो सकती है। जैसे जैसे सरकारी क्षेत्र का विस्तार हुआ, और मैं समझता हूं कि इस में विस्तार अधिक से अधिक होगा, हम ने महसूस किया कि भारतीय समवाय विधि द्वारा जो लचीलापन हमें मिलता है उसमें अनुशासन लाने की आवश्यकता है, जैसे संसद् के प्रति उत्तरदायित्व, मूल्यों का उचित मूल्यांकन, सरकारी क्षेत्र के निगमों का अन्य किन्हीं व्यक्तियों के समान अधिक कुशल प्रणाली से कार्य करना जिससे राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहन मिले। यदि इन उद्देश्यों का संरक्षण भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत एक समवाय अथवा निगम के समाविष्ट करने से मिल सके तो इस बारे उस निगम अथवा समवाय की रचना किस प्रकार हो इसके बारे में कोई मतभेद दिखाई नहीं देता। मैं जानता हूं कि वह सार्वजनिक नैतिकता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व के लिये बहुत उत्सुक है और हमारा विचार भी इसी प्रकार का है कि जो कुछ भी राज्य व्यापार निगम करता है हम उसके लिये जनता के प्रति उत्तरदायित्व को निरन्तर बनाय रखें। परन्तु देखना यह है कि एक निगम की रचना भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत होनी चाहिये अथवा परिनियत निगम के रूप में। मैं अपने ६५ सरकारी क्षेत्र के निगमो के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि मुझे इन दोनों में भद मालूम नहीं पड़ा। वास्तव में, यदि हम एक से अधिक निगम बनाये, जैसे कि हमें भविष्य में बनाने होंग, तो वह विशषोपयुक्त वस्तुओं के लिये होंग और फिर यह वांछनीय होगा कि माननीय सभा राज्य व्यापार के लिय कुछ लचीलापन प्रदान करे ताकि इसकी, विदेशी खरीदारों, बिक्रेताओं और पूंजीवादी तथा समाजवादी देशों के बड़े बड़े निगमों के मुकाबले में प्रतियोगी क्षमता बनी रहे। इसलिये यह कमोबेश राय की बात है। परन्तु मैं व्यवहारिक अनुभव के आधार पर सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि वर्तमान रचना काफी लचीली और काफी कुशल है।

अब मैं सभा का ध्यान राज्य व्यापार निगम के कार्य निष्पादन की ओर दिलाता हूं। यदि आप इस चार्ट को देखें जो वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है तो आप पायेंगे कि विक्रेय राशि जो वर्ष १९५६–५७ में मुश्किल से ९ करोड़ रुपये थी वह बढ़ कर वर्ष १९६२–६३ में ८० करोड़ रुपये हो गई है। ४८ करोड़ रुपये की एक और राशि है जो अप्रत्यक्ष व्यापार की है। इसलिये, गत वर्ष १३० करोड़ रुपये का व्यापार किया। चालू वर्ष में हम १५० अथवा १६० करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। श्री नाथ पाई सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र का देश में कोई ऐसा निगम नहीं दिखा सकते जिसने ४७ लाख की व्यवस्था से १३० अथवा १४० करोड़ की विक्रय राशि दिखाई हो। मैं उनको मुबारकबाद देने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, चाहे वह नौकरशाही हों या कोई अन्य। वह जनता के सेवक हैं जिन की आवाज जनता तक नहीं पहुंचती, इसलिये यह कहना कि वह नौकरशाही अथवा असैनिक सेवा में होने के नाते अथवा बिड़ला और टाटा की फर्म में काम करने के नाते निम्न कोटि के हैं उचित नहीं है। मैंने दोनों प्रकार के लोगों के साथ काम किया है और मैं ने देखा है कि वह कुशलता से काम करते हैं। मेरा स्नेह सरकारी क्षेत्र वालों से है क्योंकि मैं समझता हूं कि वह सच्चे दिल से काम करते हैं और इस संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं। और मैं निश्चय से कह सकता हूं कि उन के पास सार्वजनिक सूचना अधिक रहती

है और जो कुछ वह करते हैं सारे देश के हित के लिये करते हैं, कुछ व्यक्तियों के निजी लाभ के लिये नहीं जो मुनाफाखोरी करते हैं और मूल्य बढ़ा कर सबके लिये कठिनाई उत्पन्न करते हैं। मेरा तात्पर्य गैर-सरकारी क्षेत्रों को बुरा-भला कहने का नहीं हैं। मेरा कहना केवल इतना है कि यह मार्ग हमने जानबूझ कर चुना है और हम समझते हैं कि केवल सरकारी क्षेत्र द्वारा ही देश अधिक से अधिक प्रगति कर सकता है। यदि हम हजारों व्यापारियों पर विदेश व्यापार के लिये निर्भर करें तो मैं समझता हूं कि संसार में हमारा स्थान बहुत नीचा होगा।

अत्यधिक उन्नत देशों में भी जहां कि स्वतन्त्र उपक्रम को ऊंचा स्थान प्राप्त है यह महसूस किया जा रहा है कि इस प्रकार की संस्था बहुत उपयोगी है। आप अमरीका के वस्तु निगम का उदाहरण लीजिए। वहां कच्चे फैरो-मैंगनीज आदि का सारा व्यापार इन्हीं द्वारा होता है। जहां तक मुझे मालूम है इस प्रकार के ६० से अधिक निगम वहां काम करते हैं। इन निगमों के बनाये जाने का कारण यही है कि जब करोड़ों और अरबों रुपयों का व्यापार करना होता है तो इसका भार एक उपक्रमी पर नहीं छोड़ा जा सकता और इतना भार सम्भालना एक व्यक्ति की क्षमता से बाहर की बात है। और फिर, गैर-सरकारी उद्योग में द्वेष बहुत रहता हैं। प्रतिस्पर्धा द्वेष का रूप धारण कर लेती है, हर एक व्यक्ति दूसरे को बाहर निकालना चाहता है, कम मूल्य पर बेचता है और अधिक मूल्य से बेचता है। इस प्रकार के दोषों को विदेश व्यापार में छोड़ना आवश्यक है यदि हम इस व्यापार में विस्तार चाहते हैं तो।

श्री नाथ पाई और श्री बनर्जी ने टायरों की चर्चा करते हुए चिन्ता प्रकट की। परन्तु इस के लिये इस सभा का कोई सदस्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। उस समय देश में टायरों की बहुत कमी थी। उस समय हमारे पास विदेशी मुद्रा की बड़ी कमी थी और वह हमें पूर्वी यूरोपीय देशों से प्राप्त हुई। हम यह प्रमाणित नहीं करते कि जो भी वस्तु हम किसी देश से खरीदेंगे वह मानक के अनुसार होगी। चूंकि यहां की सड़कें तुलनात्मक दृष्टि से बहुत खराब हैं इसलिये हमारी मांग अधिक सशक्त टायरों की है। जिन देशों से हम टायर खरीदते हैं वह हमारी सड़कों की हालत से परिचित हैं। इस विशेष मामले में हमने ६०,००० अथवा ७०,००० टायर हंगरी से खरीदे थे, पोलैंड के बारे में ठीक मात्रा मुझे याद नहीं है, परन्तु इन दोनों देशो से १।। अथवा २ करोड़ टायर खरीदे थे, जिनमें से ७० अथवा ८० प्रतिशत बिक चुके हैं। उस समय मूल्य बहुत बढ़ रहे थे और इन आयातों द्वारा उपभोक्ता को संरक्षण मिल रहा था उस समय मेरे पास भी टायरों के लिये अनुरोध आया करते थे और वह दिये जाते थे। निसन्देह, वह टायर हमारी मांग के अनुसार नहीं थे। कई बार अन्य देशों से टायर खरीदे जाते हैं जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। इसी प्रकार इस मामले में भी वह पूर्णतः मानक के अनुसार नहीं थे। स्थानीय टायरों की तुलना में लगभग १२ अथवा १५ प्रतिशत निम्नस्तर के थे। इन में से अधिकतर टायर बिक चुके थ परन्तु लगभग २५,००० अथवा ४०,००० जोड़े आयातकर्ताओं के पास बच गये थे। मैं श्री नाथपाई से यह स्पष्ट कर दूं कि वह आयातकर्ता राज्य व्यापार निगम के अभिकर्ता के रूप में काम न करते हुए सीधा आयात करने वाले थे। केवल इस आधार पर कि एक गर-सरकारी आयातकर्ता एसे देश से माल मंगवाता है जिसे अदायगी रुपये में की जाती हो। उस व्यक्ति द्वारा किये गये सौदे के लिये राज्य व्यापार निगम को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यदि वह कुछ लाभ कमाना चाहते हैं तो उन्हें किये गये व्यापार सम्बन्धी जोखिम भी उठानी पड़गी, और यदि उन्हें घाटा पड़ जाता है तो हम न तो उसके लिय उत्तरदायी हो सकते हैं और न उसके लिये कोई मुआवजा ही दे सकते हैं। मैंने प्रतिरक्षा के लिये किये गये वितरण की की भी कुछ बात सुनी है। इसके साथ राज्य व्यापार निगम का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह टायर साम्यवादी देशों से रुपये की अदायगी करके मंगाये गये थे, और अधिकतर टायर बिक चुके

[श्री मनुभाई शाह]

हैं। उन में से कुछ बच गये हैं जिनके बच जाने का कारण इस प्रकार है कि उस समय तक, दो वर्ष में हमारा उत्पादन बढ़ गया था जिसके परिणामस्वरूप टायरों की मांग पहले जैसी नहीं रही थी। इसीलिये उन टायरों के बचने में कठिनाई पेश आई। इसलिये वह प्रतिरक्षा वालों के पास उन टायरों को बेचने के लिये गये और उन्होंने मालूम कर लिया होगा कि वह टायर उपयुक्त थे अथवा नहीं। मैं यह व्याख्या इसलिये कर रहा हूं कि आप को बता सकूं कि राज्य व्यापार निगम का हम टायरों के बेचने में कोई हाथ नहीं था क्योंकि वह टायर गैर-सरकारी आयातकर्ताओं द्वारा उस समय मंगाये गये थे जब टायरों की अत्यधिक कमी थी।

जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है उनके द्वारा कोई लेखे नहीं रखे जाते, यह कोई नहीं बता सकता कि उन्होंने कितनी खरीद की और कितनी बिक्री; और उस सभा को इन बातों की जानकारी नहीं मिल पाती। यदि आपका निगम, जिसे कई प्रकार के बंधनों में रह कर काम करना पड़ता है, उसी काम को करता है तो हमें अनुचित प्रकार से उसके विस्तार में नहीं जाना चाहिए। यदि नींबू घास के तेल के मूल्य गिरते हैं। तो केरल के सदस्य संरक्षण के लिये मुझे कहते हैं, यदि नारियल जटा के मूल्य गिरते हैं तो चार राज्यों के सदस्य मुझे संरक्षण के लिये लिखते हैं; और जब हम संरक्षण देते हैं तो श्री नाथ पाई शिकायत करते हैं कि आपने यह क्या किया। वह कहते हैं कि आपने नारियल जटा खरीदी और अब देखिये कि उसका क्या हाल हो रहा है।" मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि इसकी प्रत्येक गांठ को निबटा दिया जायेगा। भारतीय नारियल जटा उद्योग इसे उसे खरीद रहा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि गत वर्ष हम ने केवल ६०,००० गांठें अथवा ३ लाख मन ही खरीदी थीं और अगले वर्ष हो सकता है कि हम १० लाख गांठें खरीदें। उड़ीसा, बिहार, आसाम और बंगाल के नारियल जटा उत्पादकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यदि उन्हें संरक्षण देने का प्रश्न है तो उन्हें संरक्षण अवश्य दिया जायेगा। यदि राज्य व्यापार निगम उनकी सहायता नहीं करती तो यह है ही किस के लिये? यह एक ऐसी फसल है जिससे हमें १५० करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यदि किसानों को संरक्षण दिया जाता है और मेरे पास २० अथवा १००० अथवा १०,००० गांठें बच भी जाती हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं १०,००० गांठें खरीदने के लिये तैयार हूं क्योंकि ऐसा किसानों की सहायतार्थ किया जायेगा।

यदि निगम कोई गलती करता है, जैसा कि हम सब कर सकते हैं, तो निश्चय ही उसको ध्यान में लाया जाना चाहिए। यदि निगम का कोई भी कर्मचारी पक्षपात के लिये दोषी पाया गया तो उसकी जांच होगी और जो उत्तरदायी होगा उसे पकड़ा जायगा। कई सौदे गलत भी हुए हैं जिन्हें रोका जाना चाहिए परन्तु हमें केवल १०–२० सौदों के आधार पर धारणा नहीं बनानी चाहिए। मैंने स्वयं सौदे होते देखे हैं और मैं जानता हूं कि उन में कितनी कठिनाइयां आती हैं। उन सौदों में, आज यदि एक मूल्य है तो ३ दिन बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है और पृष्ठभूमि का कुछ पता नहीं चलता।

मेरे माननीय मित्र ने चीनी का उल्लेख किया। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि केवल उसी सौदे के कारण हम आज इतनी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सके हैं। भारत चीनी से विदेशी मुद्रा ३० करोड़ रुपया प्राप्त कर रहा है। हमारे सारे इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि हम ने इतने अच्छे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर चीनी बेची हो लन्दन दैनिक मूल्य के साथ कनाडा के लिये १९.०० डालर प्रीमियम, यदि यह जापान के लिये है तो और प्रीमियम, यदि अमरीका के लिये है तो अन्य प्रीमियम। प्रत्येक देश में अच्छे से अच्छे मूल्य

प्राप्त किये गये। आज हमें लन्दन दैनिक मूल्य के अनुसार दाम मिल रहे हैं। जिस समय माल जाता है दाम भी उसी समय के लिये जाते हैं।

तो यह सब से अच्छे सौदों में से एक है। यही कारण है कि संसार के चीनी बाजार में आज हमारे पांव जम गये हैं। आज यदि हम ने ५ लाख टन चीनी निर्यात की है तो अगले वर्ष यदि फसल अच्छी होगी तो निर्यात ७।। लाख टन होगा। उसी प्रकार हम १० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। यह तभी हो सकता है कि यदि हमारा उत्पादन बढ़े।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : मूल्यों के लिये क्या खुले टेंडर मंगाये गये थे ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां। बहुत से मूल्यों के टेंडर प्राप्त हुए थे और हम ने उसी को चुना जो राष्ट्रीय हित में था। हम फर्म के स्थायित्व, उस के अनुभव और वह हमें प्रति टन क्या मूल्य देने को तैयार है, इन सभी बातों को देखते हैं।

खाद भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मूल्य पर भेजा गया था। ५० प्रतिशत वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुसार और ५० प्रतिशत नकद रुपया ले कर बेचा गया था।

आज हमारे लिये यह हर्ष की बात है कि विदेशी व्यापार से हमारी आय ५५ करोड़ रुपये और बढ़ गई है। परन्तु यह जादू का असर नहीं है। यह सब उन मंत्रालय के विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किये गये काम के परिणामस्वरूप हुआ है जिनका सम्बन्ध चीनी, कच्चा लोहा, आदि वस्तुओं से है। इन वस्तुओं का निर्यात जिस गति से बढ़ा है मैं नहीं कह सकता कि इस गति को बनाये रखा जा सकेगा कि नहीं, क्योंकि यह स्वयं मेरे लिये एक आश्चर्य की बात है कि सात मासों में ५५ करोड़ की निर्यात में वृद्धि हो गई है। मैं भविष्य के लिये कुछ नहीं कह सकता परन्तु यदि हम ४० से ४५ करोड़ रुपये की वृद्धि को भी बनाये रखें, जो कि राष्ट्रीय लक्ष्य है, तो भी हमें सन्तुष्ट होना चाहिए क्योंकि विश्व के बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत है और हमारी स्थानीय मांग और आबादी बढ़ जाने से बढ़ रही है।

राज्य व्यापार निगम कई प्रकार के काम कर रहा है। विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये परामर्श का लाभ उठाते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। मैं उनका आभारी हूंगा यदि वह इस निगम के कार्यकलापों में निरन्तर दिलचस्पी लेते रहा करें।

†श्री नाथपाई : मैंने कार के सौदे का उल्लेख किया था। कृपया बात को फरमायें बगैर ठीक स्थिति बताई थी।

†श्री मनुभाई शाह : मैं आप द्वारा दिये गये सुझावों का स्वागत करता हूं और आप की टिप्पणियों को सादर स्वीकार करता हूं। मेरा विश्वास है कि आप इसमें अधिक दिलचस्पी रखते हैं और आप ने रचनात्मक सुझाव दिये हैं।

जहां तक कार का सम्बन्ध है राज्य व्यापार निगम को उससे सम्बन्ध नहीं है। सभा में कई बार इस बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। और दोष प्रकट किया गया है कि विभिन्न साधनों से प्राप्त कारों को देश में ऊंचे मूल्यों पर बेचा जा रहा है। यह दोहरा घाटा था। जो लोग कारें लाया करते थे वह तीन चार गुना मूल्यों पर बेचा करते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह[

वह सभी धन विदेशी मुद्रा के रूप में विदेशों को चला जाता था। चूंकि उन्हें छूट थी इसलिये हमारा रुपया भी जाता था और विदेशी मुद्रा भी। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि यह सब अनियमितताएं समाप्त कर दी गयी हैं। अब यह ऊंचे से ऊंचे टेंडर देने वाले को दी जाती हैं। हम उन कारों को मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों अथवा संसद् सदस्यों को नहीं बेच रहे हैं। हम लाभ कमाने की दृष्टि से ऐसा कर रहे हैं और केवल बोली द्वारा ही कारें, उच्चतम मूल्य प्राप्त कर के बेची जाती हैं।

†श्री नाथपाई : परन्तु शुरु शुरु में आप कुछ विशेष लोगों को ही कारें बेचा करते थे। क्या यह सच है ?

†श्री मनुभाई शाह : पहले तो उन लोगों के साथ यह बात तय हुई थी कि हम कारें नहीं बेचेंगे और फिर हमें उन को बताना पड़ा कि उस प्रकार कारें नहीं बेची जा सकतीं। इस बारे में हमें धीरे धीरे कदम उठाने पड़े। मैं माननीय मंत्री को विश्वास दिलाता हूं कि उस समय भी एक दो मामलों को छोड़ कर, कारें पर्यटन विभाग, राज भवनों, राष्ट्रपति भवन और अन्य सरकारों को बेची गयी थीं। कारें बेचना हमारा काम नहीं था परन्तु हम ने इस काम को हाथ में लिया क्योंकि इस देश की जनता की मांग थी कि मुनाफाखोरी और चोरबाजारी को रोका जाय। अब हम ने इन्हें समाप्त कर दिया है। आप के पास बहुत से ऐसे लोग आयेंगे जिन के निहितस्वार्थ हैं परन्तु मैं प्रत्येक ऐसे मामले की ओर ध्यान देने के लिये तैयार हूं जो आप मेरे सामने लायें। यदि किसी अधिकारी ने कोई नाजायज बात की है तो वह अपने पद पर नहीं रहेगा। जब हम इतना जनता का धन उनके सुपुर्द करते हैं तो बस इस सभा अथवा सरकार की राय के विरूद्ध नहीं चल सकते। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन कारों की बिक्री पर ध्यान रखता रहा हूं और मेरे ध्यान में एक ही मामला अनियमितता आदि का नहीं आया। यदि प्रक्रिया में सुधार के लिये कोई सुझाव दियें जायेंगे तो मैं आभारी हूंगा।

†श्री त्यागी : राज्य व्यापार निगम के ऊपर एक आरोप यह लगाया जाता है कि वह कम मूल्यों पर वस्तुओं का निर्यात करता है और निर्यातकर्त्ता को बदले में आयात का लाइसेंस दे दिया जाता है और इस प्रकार वह बाजार में उन वस्तुओं को ऊंचे मूल्यों में बेच कर अपने घाटे को पूरा कर लेता है। क्या यह बात ठीक है।

†श्रीमनुभाई शाह : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह इस प्रकार नहीं है। मैं आप को वस्तु-स्थिति बताऊंगा। उदाहरणार्थ, कच्चे मैंगनीज का निर्यात किया जाता है। खनक के अनुसार उसकी कीमत देश में कम से कम मान लीजिये १२० रुपये अथवा २४ अमरीकी डालर है। विश्व मूल्य आज १७ से १९ डालर अथवा ८०–९५ रुपये है। इस पर ५ डालर प्रति टन के हिसाब से हानि होगी, इस प्रकार वह मैंगनीज बेच नहीं सकता। उस के मजदूरों को काम पर लगाये रखे और उसे काम पर लगे रखने के लिये यदि हम कम से कम उचित लाभ उसे न दें तो कोई फायदा न होगा। ऐसे मामलों में हम उसे निर्धारित

†मूल अंग्रेजी में

प्रीमियम पर किसी वस्तु का आयात करने की अनुमति देते हैं। उपभोक्ता को हानि पहुंचा कर य आयात लाइसेंस नहीं दिया जाता अथवा मुनाफाखोरी नहीं करने दी जाती, न ही उस के लिये विदेशी मुद्रा की सुविधा उपलब्ध की जाती है। चूंकि उसे २५ रुपये प्रति टन हानि पहुंचती है, इसलिये उसी सीमा तक उसे मशीनरी अथवा दवाइयां आदि आयात कर के उस घाटे को पूरा करने दिया जाता है। मूल्य पूर्णतः प्रतिस्पर्धा होता है; उसे उस से एक रुपया भी अधिक नहीं दिया जाता, और फिर जब वह माल का हस्तांतरण वास्तविक उपभोक्ता को करता है तो उसे २० अथवा २५ रुपये तक भारतीय रूपयों में मिल जाते हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस में कोई चोरबाजारी अथवा मुनाफाखोरी नहीं होती।

†**श्री त्यागी** : क्या विक्रय मूल्य निर्धारित होता है और क्या वह उसी मूल्य पर बेचता है है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां। यदि ऐसा कोई मामला माननीय सदस्य के ध्यान में आये तो कृपया मुझे बतायें। मूल्य निर्धारित होता है। वह कानूनी तौर पर उससे अधिक नहीं ले सकता। संसार भर में यही प्रक्रिया है। जापान में भी ऐसा ही होता है। यह सर्वमान्य व्यापार सिद्धांतों के अनुसार ही होता है।

†**श्री राय पाई** : वास्तव में वह आयात करने की बजाय लाईसेंसों को खुले बाजार में बेच देते हैं और ऐसा करना उन के लिये अधिक लाभदायक होता है।

†**श्री मनुभाई शाह** : इस बात का संबन्ध राज्य व्यापार निगम से न हो कर सामान्य आयात निर्यात व्यापार से है। यह ठीक है कि इस कमी वाले बाजार में वास्तविक उपभोक्ता लाईसेंसों के बारे में भी ऐसा होता है इसलिये हमें उन्हें दण्ड देते हैं। हम भारतीय समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम और निर्यात नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत हमने लोगों पर मुकद्दमे चलाये हैं। परन्तु इन दुराचरणों को वास्तविकता से अधिक बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। हम ७–८ लाख के निर्यात-आयात लाईसेंस देते हैं और यदि उनमें से कुछ बुरे तरीके से व्यापार करते हैं तो मैं चाहूंगा कि सभा उस के लिये क्षमा प्रदान करे। कुछ को हम पकड़ सकते हैं परन्तु देश के प्रत्येक नागरिक के पीछे पुलिस मैन को नहीं लगाया जा सकता। हम अपने देशवासियों पर विश्वास करते हैं वह विश्वास के पात्र हैं। भूतकाल में वह संसार भर में शताब्दियों तक व्यापार करते रहे हैं। यहां का माल सात समुद्र तक जाता रहा है परन्तु पैसे की अदायगी में अथवा माल भुगताने में अथवा माल के किस्म में वह पूरे उतरते रहे हैं

उसी परम्परा को हमें लाना है। इसलिये गैर सरकारी क्षेत्र में राज्य व्यापार और नियमित गैर सरकारी क्षेत्र के रूप में सामाजिक अनुशासन का एक अच्छा मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का द्योतक है जिसे इस देश ने और इस सभा ने स्वीकार किया है और जिसे नीति के रूप में इस सरकार ने ग्रहण किया है, और इसी ढांचे के अनुसार राज्य व्यापार निगम काम कर रहा है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : राज्य व्यापार निगम द्वारा चावलों के निर्यात किए जाने के बारे में क्या आप कुछ प्रकाश डालेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह एक सूक्ष्म मामला है। हम काफी अच्छी किस्म का बासमती चावल पैदा कर रहे हैं जिसके लिये हमें २ से ३ रूपये तक मिल जाते हैं और इसका निर्यात हम १४ आन,१२ आने और दस आने में भी करते हैं। इस प्रकार के चावल का निर्यात करके हम इससे तीन गुने चावल को प्राप्त करने के लिये हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। यह देहरादून का चावल है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६१-६२ की वार्षिक रिपोर्ट पर, लेखा-परीक्षक लेखे और उस पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित, जो ४ दिसम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखी गई थी, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २७ अगस्त, १९६३/भाद्र ५, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, २६ अगस्त, १९६३

४ भाद्र, १८८५ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	१२३७—५९
तारांकित प्रश्न संख्या	
२७० प्रतिरक्षा उपकरण .	१२३७–३८
२७१ मद्य निषेध अध्ययन दल . .	१२३८—४२
२७२ एवरो–७४८ . .	१२४२
२९६ एवरो–७४८ सम्बन्धी टाटा समिति	१२४३—४६
२७३ कल्याण संगठन	१२४६—४८
२७४ लंका में भारतीय	१२४८—५१
२७५ भारत में चीनियों की नई घुसपैठ	१२५२—५७
२७६ नागा विद्रोही	१२५७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर— .	१२६०—१३०७
तारांकित प्रश्न संख्या	
२७७ परिवहन नीति तथा समन्वय संबंधी समिति .	१२६०
२७८ आयुध कारखाने . . .	१२६०
२७९ आफिसर ट्रेनिंग स्कूल, पूना .	१२६१
२८० श्रीनगर–लेह सड़क	१२६१
२८१ जुनावनी मैंगनीज खानों में दुर्घटना	१२६१–६२
२८२ पाकिस्तानी रायफलमैन द्वारा आक्रमण	१२६२
२८३ कलकत्ते में उच्च निर्वाह-व्यय	१२६३
२८४ बिहार राज्य बिजली बोर्ड . .	१२६३
२८५ मास्को में विश्व महिला कांग्रेस	१२६४
२८६ नई दिल्ली में चीनी दूतावास . . .	१२६४

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२८७	अनुशासन संहिता	१२६४–६५
२८८	अपहृत भारतीय डाक्टर	१२६५
२८९	संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रतिनिधि-मण्डल	१२६५–६६
२९०	विद्यार्थियों के लिये सैनिक प्रशिक्षण	१२६६–६७
२९१	बिहार	१२६७
२९२	प्रतिरक्षा सामग्री का उत्पादन	१२६७–६८
२९३	ऊंचाई पर काम करने वाले सैनिक	१२६८
२९४	आपातकालीन उत्पादन समिति	१२६८–६९
२९५	ट्रक-तथा जीपें	१२६९
२९८	अदन में भारतीय	१२६९
२९९	जन सम्पर्क	१२७०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८२३	ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें	१२७०
८२४	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	१२७०
९२५	दूसरी योजना का पुनर्विलोकन	१२७१
९२६	न्यूनतम मजूरी अधिनियम	१२७१
९२७	कामगार शिक्षा केन्द्र	१२७१
८२८	राजस्थान में बेरोजगारी	१२७२
८२९	रेडियो सेट	१२७२
८३०	विमान परिचारिकाएं	१२७२–७३
८३१	नेपाली परियोजनाओं के लिये सहायता	१२७३
८३२	नये आकाशवाणी केन्द्र	१२७३–७४
८३३	उड़ीसा में बाढ़	१२७४–७५
८३४	आन्ध्र प्रदेश में पंजीबद्ध बेरोजगार	१२७५
८३५	राज्य योजना बोर्ड	१२७५–७६
८३६	पुर्तगाली प्रदेशों में भारतीय	१२७६
८३७	बंगला प्रसारण	१२७६–७७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:)

अतारांकित प्रश्न संख्या

८३८	राष्ट्रीय रक्षा कोष	१२७७
८३९	"पैट्रियट" के लिये अखबारी कागज	१२७७
८४०	विमान तकनीकी दल	१२७८
८४१	केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पताल	१२७८-७९
८४२	उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी (नेफा)	१२७९
८४३	इलमेनाइट	१२८०
८४४	भूदान	१२८०
८४५	प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना	१२८०
८४६	"कोहेनूर का लुटेरा" नाटक	१२८०—८१
८४७	विशेष धातु मिश्रित इस्पात संयंत्र	१२८१
८४८	यूरेनियम	१२८१—८२
८४९	नागा विद्रोहियों संबंधी समस्यायें	१२८२
८५०	सिंगापुर में भारतीय	१२८२
८५१	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	१२८२
८५२	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड द्वारा विमानों का निर्माण	१२८२—८३
८५३	भारत—विरोधी प्रचार	१२८३—८४
८५४	राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्	१२८४
८५५	कोठागुडियम में बहुप्रयोजनीय संस्था	१२८४—८५
८५६	कोयला खानों के लिये क्वार्टर	१२८५
८५७	नेफा में भूतपूर्व सैनिक	१२८५
८५८	जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड	१२८६
८५९	छावनी बोर्ड	१२७६
८६०	काबुल में भारतीय दूतावास के लिये भवन	१२८६—८७
८६१	प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये "प्ररचना विभाग"	१२८७
८६२	भूतपूर्व सैनिक	१२८७—८८
८६३	परिवार पेंशन	१२८८
८६४	आसाम और नागालैण्ड के बीच सीमा विवाद	१२८९
८६५	रूस स्थित भारतीय दूतावास की पत्रिका	१२८९
८६६	नाल हवाई अड्डा	१२९०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८६७	दोहना हवाई अड्डा	१२६०
८६८	दिल्ली में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य	१२६०–६१
८६९	तिब्बती शरणार्थी बच्चे	१२६१
८७०	पाकिस्तानियों का अनधिकार प्रवेश	१२६१–६२
८७१	आसाम का तकनीकी –आर्थिक सर्वेक्षण	१२६२
८७२	सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड	१२६२
८७३	गोदी मजदूर आवास योजना	१२६२–६३
८७४	सैनिक इंजीनियरिंग सेवा, बैरकपुर	१२६३
८७५	सीमान्त सैनिक कार्यवाही सहायता कोष	१२६३–६४
८७६	सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के फालतू मजदूर	१२६४
८७७	मोजाम्बिक में भारतीय	१२६४–६५
८७८	कमरों के सस्ते कूलर	१२६५
८७९	अन्तर्राष्ट्रीय रहन-सहन सम्बन्धी प्रयोग	१२६५–६६
८८०	व्यावसायिक मजूरी सर्वेक्षण	१२६६
८८१	गैर-योजना व्यय	१२६६–६७
८८२	लाम्रोस में स्थिति	१२६७
८८३	लेह में टेलीफोन लाइनें	१२६८
८८४	प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये भरती	१२६८
८८५	नागालैंड में विदेशी धर्मप्रचारक	१२६८–६९
८८६	टेलीविजन कार्यक्रम	१२६९
८८७	पंजाब में भरती	१२६९
८८८	पंजाब के पिछड़े क्षेत्र	१२६९–१३००
८८९	अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी फिल्म	१३००
८९०	विमान डिपो, कानपुर	१३००
८९१	भोजपुरी लोक-नृत्य	१३००–०१
८९२	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल का वायु विभाग	१३०२
८९३	एमरजेंसी कमीशन	१३०२
८९४	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	१३०२

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

८९५	औद्योगिक विवाद अधिनियम	१३०३
८९६	अपहृत भारतीय	१३०३
८९७	युद्ध बोनस	१३०३–०४
८९८	करगली में दुर्घटना	१३०४
८९९	पांडिचेरी में श्रम विधियां	१३०४-०५
९००	तिरुचिरापल्लि के निकट राइफल फैक्टरी	१३०५
९०१	राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन	१३०५
९०२	दिल्ली में काम दिलाऊ दफ्तर	१३०५–०६
९०३	आसाम में रोजगार की दशा	१३०६
९०४	सेना अधिकारियों के लिए पेंशन	१३०६–०७
९०५	पहाड़ी डिवीजन	१३०७
९०६	पाकिस्तान सीमा पर चीनी सैनिक अधिकारी	१३०७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . १३०८

आसाम के लाटीटीला क्षेत्र में १४ अगस्त, १९६३ को पाकिस्तानी झंडा फहराये जाने और १९ अगस्त, १९६३ को उसी स्थान पर भारतीय नागरिकों पर पाकिस्तानी राईफलमैन द्वारा गोली चलाये जाने की ओर स० मो० बनर्जी द्वारा २२ अगस्त, १९६३ को ध्यान दिलाये जाने के उत्तर में प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३०८-०९

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(क) दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७२६ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (नवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(ख) दिनांक ११ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८१२ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (ग्यारहवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

विषय पृष्ठ

(ग) दिनांक १८ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५२ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (बारहवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(घ) दिनांक १८ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (तेरहवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(ङ) दिनांक २५ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७९ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (चौदहवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३०-क के अन्तर्गत, दिनांक १० अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२४ में प्रकाशित न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) (तीसरा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ख) केन्द्रीय कोयला योजना खान बचाव केन्द्र समिति धनबाद का वर्ष १९६२–६३ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(३) सचिव ने राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति :—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

(ख) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

राज्य सभा से सन्देश १३०९

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी:—

(क) कि राज्य सभा ने अपनी २१ अगस्त, १९६३ की बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित कर दिया है ।

(ख) कि राज्य सभा ने अपनी २२ अगस्त, १९६३ की बैठक में व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित कर दिया है ।

याचिका उपस्थापित . . . . १३०९—११

श्री दास ने भारतीय डाक-घर नियम, १९३३ के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश की ।

विषय पृष्ठ

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . १३११—१३

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) ने उपभोक्ता व्यय संबंधी कुछ आंकड़ों के बारे में एक वक्तव्य दिया और सत्रवें राष्ट्रीय नमना सवक्षण—सितम्बर, १९६१—जुलाई, १९६२ के आधार पर छोट-छोटे समूहों के प्रति मास प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय का औसत बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर भी रखा ।

विधेयक पुरस्थापित . . . १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९६३ ।

विधेयक पारित . . . . . १३१४—३१

(१) २३ अगस्त, १९६३ को प्रस्तुत सीमा-शुल्क प्रथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(२) परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) ने प्रस्ताव किया कि बड़े पत्तन न्यास विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन १३३१

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) ने प्रस्ताव किया कि व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

भारत के राज्य व्यापार निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . १३३२—५६

श्री म० ला० द्विवेदी ने प्रस्ताव किया कि भारत के राज्य व्यापार निगम के प्रतिवेदन पर, जो ४ सितम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाय । कुछ चर्चा के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मंगलवार, २७ अगस्त, १९६३/५ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९६३ पर विचार और उसका पारित किया जाना और अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1040 (Ai) LSD—25-9-63—160.

	पृष्ठ
श्री राज बहादुर	१३१८–१९
श्री उमानाथ	१३२०
श्री यशपाल सिंह	१३२१
श्री रघुनाथ सिंह	१३२१—२३
श्री काशीराम गुप्त	१३२३–२४
श्री जसवन्त मेहता	१३२४
श्री इन्द्रजीत गुप्त	१३२४
श्री शिवमूर्ति स्वामी	१३२४–२५
श्री स०.चं० सामन्त	१३२५
डा० गायतोंडे	१३२५
खंड २ से १३४ और १	१३२६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१३२६
श्री राज बहादुर	१३२६—३१
व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर क्षमा) विधेयक	१२३१
विचार करने का प्रस्ताव	१३३१
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	१३३१
भारत के राज्य व्यापार निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१३३२—५६
श्री म० ला० द्विवेदी	१३३२—३८
श्री इन्द्रजीत गुप्त	१३३८–३९
श्री त्यागी	१३३९–४०
श्री नाथ पाई	१३४०–४१
श्री ब० कु० दास	१३४१
श्री रंगा	१३४२
श्रीमती सावित्री निगम	१३४२—४३
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	१३४४
श्री गौरी शंकर कक्कड़	१३४४–४५
श्री भागवत झा आजाद	१३४६–४७
श्री स० मो० बनर्जी	१३४७–४८
श्री मनुभाई शाह	१३४८—५६
दैनिक संक्षेपिका	१३५७—६३
समेकित विषय सूची	१—८

(१३ से २६ अगस्त, १९६३/२२ श्रावण से ४ भाद्र १८८५ (शक)

P.L.S. 41 XIX. 10. 53.
160

१९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।